



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—१, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, २६ मई, २०१७ ई०

ज्येष्ठ ०५, १९३९ शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या २१२/ XXXVI (३)/ २०१७/ ३२(१)/ २०१७

देहरादून, २६ मई, २०१७

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड माल और सेवा कर विधेयक, २०१७” पर दिनांक २५ मई, २०१७ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या ०६ वर्ष, २०१७ के रूप में सर्व—साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017

(अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017)

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतःराज्यीय पूर्ति पर
 कर के उद्भाप्त होने और संवाहण के लिए और उससे संबंधित या
 उसके आनुषंगिक दिव्यों का उपबंध
 करने के लिए
 अधिनियम

भारत गणराज्य के अइसठवं वर्ष में उत्तराखण्ड के राज्य विधान-मंडल द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम,
2017 है।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और प्रारंभ

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो उत्तराखण्ड सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना
द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की
जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का
यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अनुयोज्य दावे" का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम,
1882 की धारा 3 में उसका है ;

1882 का 4

(2) "परिदान का पता" से माल या सेवाओं या दोनों के पाने वाले का ऐसा पता
अभिप्रेत है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के परिदान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत
व्यक्ति द्वारा जारी कर बीजक पर उपदर्शित है ;

(3) "अभिलेख पर पता" से पाने वाले का वह पता अभिप्रेत है, जो पूर्तिकार के
अभिलेखों में उपलब्ध है ;

(4) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन कोई आदेश या
विनिश्चय देने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, किंतु इसके

अंतर्गत आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अधिम विनियम प्राधिकारी, आधिम १०१वाँ अधील प्राधिकारी, अधील प्राधिकारी और अधील अधिकरण नहीं हैं;

(5) "अभिकर्ता" से फेक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, आफीतोगा, प्र०-प्र०-यक अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेंट), नीलामकर्ता या कोई अन्य व्यक्तिगत अभिकर्ता, जो हैं जिस नाम से जात हों, सहित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति या प्राप्ति का कारबार करता है;

(6) "सकल आवर्त" से सभी करार्थीय प्रदायों (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करके, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है), छूट प्राप्त प्रदायों, माल या सेवाओं या दोनों के नियोतों और अखिल भारतीय आधार पर संगणित समान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों के अंतरराज्यिक पूर्ति का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किंतु इसमें केवल ग कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित है;

(7) "कृचक" से ऐसा कोई व्यक्ति या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब अभिप्रेत है, जो,—

(क) स्वयं के श्रम द्वारा ; या

(ख) कुटुंब के श्रम द्वारा ; या

(ग) नकद या वस्तु के रूप में संदेय मजदूरी पर सेवकों द्वारा या व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के मजदूरों द्वारा,

भूमि पर खेती करता है ;

(8) "अधील प्राधिकारी" से अधीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत धारा 107 में यथानिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(9) "अधील अधिकरण" से धारा 109 में उल्लिखित माल और सेवा कर अधील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(10) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे ;

(11) "निर्धारण" से इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व का अवधारण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्वतःनिर्धारण, पुनः निर्धारण, अनंतिम निर्धारण, संक्षिप्त निर्धारण और सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण भी हैं ;

(12) "सहयुक्त उद्यमों" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92क में उसका है ;

(13) "संपरीक्षा" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित या दिए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित आवर्त, संदत्त कर्ता, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की शुद्धता को और इस

अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप उसके अनुपालन को सत्यापित करने के लिए परीक्षा अभिप्रेत है ;

(14) "प्राधिकृत बैंक" से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या किसी अन्य रकम का संग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई बैंक या किसी बैंक की कोई शाखा अभिप्रेत है ;

(15) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से धारा 116 के अधीन यथा निर्दिष्ट प्रतिनिधि अभिप्रेत है ;

1963 का 54

(16) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है ;

(17) "कारबार" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(क) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, प्रोट्यम, पद्यम या उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी धनीय फायदे के लिए हो या न हो ;

(ख) उपखंड (क) के संबंध में या उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार ;

(ग) उपखंड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार का कोई परिमाण, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो ;

(घ) कारबार के प्रारंभ या उसकी बंदी के संबंध में पूँजी माल सहित माल और सेवाओं का पूर्ति या अर्जन ;

(ङ) किसी कलब, संगम, सोसाइटी या दैसी ही सुविधाओं या फायदों वाले किसी निकाय द्वारा उसके सदस्यों के लिए (किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) कोई व्यवस्था ;

(च) किसी परिसर में किसी प्रतिफलार्थ व्यक्तियों का प्रवेश ;

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में, जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, पूर्ति की गई सेवाएं ;

(ज) किसी घुडदौड़ कलब द्वारा, योगक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं या ऐसे कलब में के बुक-मेकर की अनुजप्ति ; और

(झ) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं ;

(18) "कारबार शीर्षका" से किसी ऐसे उद्यम का विशेष संघटक अभिप्रेत है, जो ऐसे पृथक्-पृथक् माल या सेवाओं के या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं के पूर्ति में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिम और प्रत्यागमके अध्यधीन है, जो उन अन्य

कारबार शीर्षकाओं से भिन्न है :

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर वह अतधारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा माल या सेवाएं, जिनसे संबंधित हैं, उसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

- (क) माल या सेवाओं की प्रकृति ;
- (ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति ;
- (ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों के प्रकार या वर्ग ;
- (घ) माल के वितरण या सेवाओं के पूर्ति में प्रयुक्त पद्धतियाँ ; और
- (ङ) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहाँ कहीं लागू हो), इसके अंतर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगिताएं हैं ;

(19) "पूँजी माल" से ऐसा माल अभिप्रेत है, जिनका मूल्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पूँजीकृत है और जिनका कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है ;

(20) "नैमित्तिक कराधीय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे कराधीय_क्षेत्र में जहाँ उसके कारबार का निश्चित स्थान नहीं है, प्रधान, अभिकर्ता या किसी अन्य हैंसियत में कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में यदा कदा ऐसे संव्यवहार करता है, जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का पूर्ति अंतर्वलित है ;

(21) "केंद्रीय कर" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अधीन उद्घीर्णित केंद्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत हैं ;

(22) "उपकर" का वही अर्थ हो, जो माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में उसका है ;

(23) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट -अभिप्रेत है ;

(24) "आयुक्त" से केंद्रीय कर आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 3 के अधीन नियुक्त केंद्रीय कर प्रधान आयुक्त और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त एकीकृत कर आयुक्त भी है ;

(25) "बोर्ड में का आयुक्त" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 में निर्दिष्ट आयुक्त अभिप्रेत है ;

(26) "सामान्य पोर्टल" से धारा 146 में निर्दिष्ट सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल अभिप्रेत है ;

(27) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "सामान्य कार्य दिवस" से लगातार ऐसे दिन अभिप्रेत हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित अवकाश घोषित नहीं किया गया है ;

1980 का 56

(28) "कंपनी सचिव" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभावित कंपनी सचिव अभिप्रेत है;

(29) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(30) "संयुक्त पूर्ति" से किसी कराधीय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को किया गया कोई ऐसा पूर्ति अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराधीय प्रदायों से मिलकर बना है या उनका कोई ऐसा समुच्चय है, जिन्हें कारबाह के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्रकृतिः बांधा गया है और पूर्ति किया गया है, जिनमें एक मूल पूर्ति है;

इच्छातः : जहाँ माल का बीमा के साथ ऐक और परिवहन किया जाता है, वहाँ माल का पूर्ति, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा संयुक्त पूर्ति होगा और माल का पूर्ति एक मुक्त्य पूर्ति होगा।

(31) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के संबंध में "प्रतिफल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई संदाय, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी;

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए, किसी कार्य या प्रवरित रहने का धनीय मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी :

परंतु माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के संबंध में दिए गए निषेप को ऐसे पूर्ति के लिए किए गए संदाय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जब तक कि पूर्तिकार ऐसे निषेप का, उक्त पूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में उपयोजन न करे;

(32) "माल की निरंतर पूर्ति" से माल की ऐसा पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल पाइपलाइन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा, निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और जिसके लिए नियमित या आवधिक आधार पर पूर्तिकार, प्राप्तिकर्ता के लिए बीजक बनाता है और इसके अंतर्गत ऐसे माल का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूर्ति भी है;

(33) "सेवाओं की निरंतर पूर्ति" से सेवाओं की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन आवधिक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की

अवधि के लिए निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और इसके अंतर्गत ऐसी सेवाओं का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूर्ति भी है;

(34) "प्रवहण" के अंतर्गत कोई जलयान, वायुयान और यान भी है;

(35) "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की 1959 का 23 धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत है;

(36) "परिषद्" से संविधान के अनुच्छेद 279क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद् अभिप्रेत है;

(37) "जमापत्र" से धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(38) "नामे नोट" से धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(39) "समझा गया नियात" से माल की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 147 के अधीन अधिसूचित किया जाए;

(40) "अभिहित प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(41) "दस्तावेज" के अंतर्गत किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (न) में यथापरिभाषित इलेक्ट्रानिक अभिलेख भी है; 2000 का 21

(42) भारत में विनिर्भित और नियात किए गए किसी माल के संबंध में "चुंगी वापसी" से ऐसे माल के विनिर्भाण में प्रयुक्त किसी आयातित निवेश पर या किसी घरेलू निवेशों या इनपुट सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर का रिबेट अभिप्रेत है;

(43) "इलेक्ट्रानिक नकद खाते" से धारा 49 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक नकद खाता अभिप्रेत है;

(44) "इलेक्ट्रानिक वाणिज्य" से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत डिजिटल या इलेक्ट्रानिक नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उत्पाद भी हैं;

(45) "इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफर्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबंध करता हो;

(46) "इलेक्ट्रानिक जमा खाते" से धारा 49 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक जमा खाता अभिप्रेत है;

(47) "छूट प्राप्त पूर्ति" से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति

अभिप्रेत है, जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर की दर शून्य हो या जिसे धारा 11 के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर-करार्धय पूर्ति भी है ;

(48) "विद्यमान विधि" से माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाली संसद् या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है ;

(49) "कुटुंब" से अभिप्रेत है,-

(i) व्यक्ति का पति या पत्नी और बालक ; और

(ii) व्यक्ति के माता-पिता, पितामह-पितामही, मातामह-मातामही, भाई और बहन, यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर आश्रित हैं ;

(50) "नियत स्थापन" से (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं का पूर्ति करने या सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के निबंधनानुसार स्थायित्व और उपयुक्त संरचना की पर्याप्त डिग्री द्वारा विशिष्टता का वर्णन किया गया है ;

(51) "निधि" से धारा 57 के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है ;

(52) "माल" से मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके भागरूप ऐसी घास और वस्तुएं सम्मिलित हैं जिसका पूर्ति के पूर्व या पूर्ति की संविदा के अधीन पृथक् किए जाने का करार किया गया है ;

(53) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है ;

(54) "माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम" से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 अभिशेत है ;

(55) "माल और सेवा कर व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका धारा 48 के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन किया गया है ;

(56) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, उसका राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मण्डल भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में यथानिर्दिष्ट ऐसे सागर-खंडों, महाद्वीपीय मण्डल भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के नीचे का समुद्र तल और अवमृदा और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(57) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(58) "एकीकृत कर" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उदगृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(59) "इनपुट" से कारबाह के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी पूर्तिकार द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए आशयित पूजी माल से भिन्न कोई माल अभिप्रेत है;

(60) "इनपुट सेवा" से कारबाह के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी पूर्तिकार द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई सेवा अभिप्रेत है;

(61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के भद्र धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है;

(62) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "इनपुट कर" से माल या सेवाओं या दोनों के किसी पूर्ति पर प्रभारित कंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,-

(क) माल के आयात पर प्रभारित एकीकृत माल और सेवा कर;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(घ) कंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

किंतु इसमें उद्ग्रहण के प्रशमन के अधीन संदत्त कर सम्मिलित नहीं है;

(63) "इनपुट कर प्रत्यय" से इनपुट कर का प्रत्यय अभिप्रेत है;

(64) "माल का अंतरराज्यिक पूर्ति" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसका है;

(65) "सेवाओं का अंतरराज्यिक पूर्ति" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसका है;

(66) "बीजक" या "कर बीजक" से धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक अभिप्रेत है;

(67) किसी व्यक्ति के संबंध में "आवक पूर्ति" से क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति अभिप्रेत है ;

(68) "छुटपुट कार्य" से किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया अभिप्रेत है और छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(69) "स्थानीय प्राधिकारी" से निम्न अभिप्रेत हैं,-

(क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई पंचायत ;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिका ;

(ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला परिषद, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध करने का विधिक हकदार है या जिसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है ;

2006 का 41

(घ) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 3 में यथा परिभाषित छावनी बोर्ड ;

(ङ) संविधान की छहठी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद् ;

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड ; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् ;

(70) "सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान" से,-

(क) जहां पूर्ति कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(ख) जहां पूर्ति कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र है), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(ग) जहां पूर्ति एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन, वहां पूर्ति की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्राप्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(।।) "सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान" से,-

(क) जहां पूर्ति कारबार के ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान वा अवस्थान अभिप्रेत है;

(ख) जहां पूर्ति कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे रथाना से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (गिरता स्थापन अन्यत्र), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ग) जहां पूर्ति एक से अधिक स्थापनों से किया जाता है, वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन है, वहां पूर्ति की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में पूर्तिकार के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(72) "विनिर्माण" से कच्ची सामग्री या इनपुट का ऐसी रीति से प्रसंस्करण अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप सुमिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नए उत्पाद का अविभाव होता है और "विनिर्माता" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा.

(73) "बाजार मूल्य" से ऐसी पूरी रकम अभिप्रेत होगी, जिसकी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और क्वालिटी के माल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर या उसके आसपास और जहां प्राप्तिकर्ता और पूर्तिकार संबंधित नहीं हैं, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए संदाय किए जाने की अपेक्षा होती है;

(74) "मिश्रित पूर्ति" से किसी कराईय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी ऐसे समुच्चय का, जो परस्पर सहयोग से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक्-पृथक् पूर्ति अभिप्रेत हैं, जहां ऐसे पूर्ति से कोई संयुक्त पूर्ति गठित नहीं होता है।

इष्टांत : डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, मिठाई, चाकलेट, केक, मेवा, वातित पेय और फल के जूस को मिलाकर बनाए गए पैकेज का पूर्ति, जब वह किसी एकल कीमत के लिए किया गया है, तो वह पूर्ति मिश्रित पूर्ति होगा। इन मर्दों में से प्रत्येक मद का अलग-अलग भी पूर्ति किया जा सकता है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगा। यदि इन मर्दों का अलग-अलग पूर्ति किया जाता है तो वह मिश्रित पूर्ति नहीं होगा।

(75) "धन" से भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेसी, चैक, वचनपत्र, विनिमय पत्र, मुजरा पत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चैक, मनी आर्डर, डाक या इलेक्ट्रानिक विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य लिखत अभिप्रेत है, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारतीय विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किंतु इसमें कोई ऐसी करेसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसका अपना मुद्रा विषयक मूल्य है;

(76) "मोटर यान" का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की

धारा 2 के खंड (28) में उसका है ;

(77) "अनिवासी कराधेय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो यदा कदा, प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का पूर्ति अंतर्वलित है, किंतु जिसका भारत में कारबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है ;

(78) "गैर-कराधेय पूर्ति" से माल या सेवाओं या दोनों का ऐसा पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर से उदगृहीत नहीं है ;

(79) "गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र" से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जो कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर है ;

(80) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" और "अधिसूचित" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(81) "अन्य राज्यक्षेत्र" में ऐसे राज्यक्षेत्रों से छिन्न राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खंड (114) के उपखंड (क) से उपखंड (ड) में निर्दिष्ट हैं ;

(82) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "आउटपुट कर" से उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर अभिप्रेत है, किंतु इसमें प्रतिलोम प्रभार के आधार पर उसके द्वारा संदेश कर को अपवर्जित किया गया है ;

(83) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "जावक पूर्ति" से किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों का, विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुजप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन या किसी भी अन्य रीति से किया गया पूर्ति अभिप्रेत है ;

(84) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,-

(क) कोई व्यष्टि ;

(ख) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब ;

(ग) कोई कंपनी ;

(घ) कोई फर्म ;

(ङ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी ;

(च) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या न हो ;

(छ) किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी ;

(ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन

निगमित कोई निगमित निकाय ;

(अ) सहकारी सोसाइटियाँ से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी ;

(ब) कोई स्थानीय प्राधिकारी ;

(ट) केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार ;

(ठ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन यथा परिभाषित सोसाइटी ; 1860 का 21

(ड) न्यास ; और

(ढ) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपरोक्त किसी में नहीं आता है ;

(85) "कारबार के स्थान" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,-

(क) वह स्थान, जहां से मामूली तौर से कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई आंडागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है, जहां कराधेय व्यक्ति अपने माल का भंडारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों का पूर्ति करता है या प्राप्त करता है ; या

(ख) वह स्थान, जहां कराधेय व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को अनुरक्षित रखता है ; या

(ग) वह स्थान, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम से, घाहे वह किसी नाम से जात हो, कारबार में लगा हुआ है ;

(86) "पूर्ति का स्थान" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 5 में यथानिर्दिष्ट पूर्ति का स्थान अभिप्रेत है ;

(87) "विहित" से परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(88) "प्रधान" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी ओर से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति या प्राप्ति का कारबार करता है ;

(89) "कारबार का मुख्य स्थान" से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान अभिप्रेत है ;

(90) "मुख्य पूर्ति" से ऐसे माल या सेवाओं का पूर्ति अभिप्रेत है, जिससे किसी संयुक्त पूर्ति के प्रधान कारक का गठन होता है और जिसके लिए उस संयुक्त पूर्ति के आगरूप कोई अन्य पूर्ति आनुषंगिक है ;

(91) इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में "उचित अधिकारी" से राज्य कर का ऐसा आयुक्त या अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है ;

(92) "तिमाही" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसमें किसी कलेंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले तीन क्रमवर्ती कलेंडर मास समाविष्ट हों ;

(93) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के "प्राप्तिकर्ता" से--

(क) जहां माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल संदेश है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस प्रतिफल के संदाय का दायी है ;

(ख) जहां माल के पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल संदेश नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको माल प्रदत्त किया गया है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या उपयोग के लिए दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है ;

(ग) जहां किसी सेवा के पूर्ति के लिए प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सेवाएं दी जाती हैं,

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश का, जिसे पूर्ति किया गया है, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और इसके अंतर्गत पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी होगा ;

(94) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किंतु इसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है ;

(95) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(96) माल के संबंध में "हटाए जाने" से--

(क) उसके पूर्तिकार द्वारा या ऐसे पूर्तिकार की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिए माल का प्रेषण अभिप्रेत है ; या

(ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रहण अभिप्रेत है ;

(97) "विवरणी" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित विहित या उससे अन्यथा कोई विवरणी अभिप्रेत है ;

(98) "प्रतिलोम प्रभार" से धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार के बजाए माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर संदाय का दायित्व अभिप्रेत है ;

(99) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" से धारा 108 में यथानिर्दिष्ट विनिश्चय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

- (100) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (101) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है ; 1956 - ३। ५२
- (102) "सेवाओं" से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है, किंतु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक करेसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक् प्रतिफल प्रभारित हो, सम्मिलित से संबंधित क्रियाकलाप हैं ;
- (103) "राज्य" से उत्तराखण्ड अभिप्रेत है ;
- (104) "राज्य कर" से इस अधिनियम के अधीन उदगृहीत कर अभिप्रेत है ;
- (105) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में "पूर्तिकार" से उक्त माल या सेवाओं या दोनों का पूर्ति करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसमें पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे पूर्तिकार की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा ;
- (106) "कर अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विवरणी देने की अपेक्षा है ;
- (107) "कराधीय व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है ;
- (108) "कराधीय पूर्ति" से ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का पूर्ति है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उदगृहणीय है ;
- (109) "कराधीय राज्यक्षेत्र" से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं ;
- (110) "दूर-संचार सेवा" से किसी प्रकार की ऐसी सेवा अभिप्रेत है, (जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मेल, वायस मेल, डाटा सर्विस, आडियो टैक्स सर्विस, वीडियो टैक्स सर्विस, रेडियो पेंजिंग और सेल्फ्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी हैं) जो उपयोक्ता को किसी संकेत, सिग्नल, लेख, आकृति और ध्वनि के पारेषण या ग्रहण करने या किसी प्रकार की आसूचना के माध्यम से तार, रेडियो, दृश्य या अन्य इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक साधनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ;
- (111) "केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम" से संबंधित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ;
- (112) "राज्य के आवर्त" से किसी कराधीय व्यक्ति द्वारा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर किए गए (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेश है) सभी कराधीय प्रदायों और छूट प्राप्त प्रदायों, उक्त कराधीय व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से किया गया माल या सेवाओं या दोनों का अंतरराज्यिक पूर्ति का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किंतु इसमें केंद्रीय कर,

राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित हैं ;

(113) "प्रायिक निवास स्थान" से,-

(क) किसी व्यक्ति की दशा में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है ;

(ख) अन्य दशाओं में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां व्यष्टि निर्गमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है ;

(114) "संघ राज्यक्षेत्र" से,-

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप ;

(ख) लक्ष्मद्वीप ;

(ग) दादरा और नागर हवेली ;

(घ) दमन और दीव ;

(ङ) चंडीगढ़ ; और

(च) अन्य राज्यक्षेत्र,

का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण-इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में से प्रत्येक को एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र समझा जाएगा ;

(115) "संघ राज्यक्षेत्र कर" से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अभिप्रेत हैं ;

(116) "संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम" से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत हैं ;

(117) "विधिमान्य विवरणी" से धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन दी गई कोई ऐसी विवरणी अभिप्रेत है, जिस पर स्वतः निर्धारण कर का पूर्ण रूप से संदाय किया गया है ;

(118) "वाऊचर" से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है, जहां उसे माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में या आग्रिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की काध्यता है और जहां पूर्ति किए जाने वाला माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावी पूर्तिकारों की पहचान या तो लिखत पर ही उपदर्शित है या दस्तावेजीकरण में उपदर्शित है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसी लिखत के उपयोग के निबंधन और शर्तें भी हैं ;

(119) "कार्य संविदा" से जहां ऐसी संविदा के निष्पादन में माल के रूप में संपत्ति के अंतरण (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) में संपत्ति का अंतरण अंतर्वलित है, किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, रचना करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सज्जित करने, सुधारने, उपांतरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए कोई संविदा अभिप्रेत है ;

(120) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं;

अध्याय 2

प्रशासन

इस अधिनियम के अधीन अधिकारी।

3. सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित वर्ग के अधिकारियों को नियुक्त करेगी, अर्थात् :-

- (क) राज्य कर प्रधान आयुक्त/मुख्य आयुक्त ;
- (ख) राज्य कर आयुक्त ;
- (ग) राज्य कर विशेष आयुक्त ;
- (घ) राज्य कर अपर आयुक्त ;
- (ङ) राज्य कर संयुक्त आयुक्त ;
- (च) राज्य कर उपायुक्त ;
- (छ) राज्य कर सहायक आयुक्त ; और
- (ज) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझे :

1944 का 1

परंतु उत्तराखण्ड मूल्यवर्त्तित कर अधिनियम 2005 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जाएगा।

4. (1) सरकार, धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में ठीक समझे।

अधिकारियों की नियुक्ति।

(2) आयुक्त की अधिकारिता संपूर्ण राज्य पर होगी, किसी विशेष आयुक्त और किसी अपर आयुक्त के पास, उसे समनुदेशित सभी या किसी कृत्य के संबंध में संपूर्ण राज्य या जहां कहीं राज्य सरकार इस प्रकार निदेश दे, उसके किसी स्थानीय क्षेत्र पर की अधिकारिता होगी तथा सभी अन्य अधिकारियों के पास, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, संपूर्ण राज्य या ऐसे स्थानीय क्षेत्रों पर की अधिकारिता होगी, जैसा कि आयुक्त द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अधिकारियों की शक्तियाँ।

5. (1) राज्य कर अधिकारी, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो आयुक्त अधिरोपित करे, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(2) राज्य कर अधिकारी, किसी अन्य ऐसे राज्य कर अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ है, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस

निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी शक्तियों का, उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राप्तिकारी, किसी अन्य राज्य कर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा।

6. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करेगी, उचित अधिकारी के रूप में प्राप्तिकृत होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,—

क्रमांक	परिवर्तनों	में
परिवर्तनों	में	कर
केंद्रीय	कर	अधिकारी
अधिकारी	का	प्राप्तिकारी
प्राप्तिकारी	के	में प्राप्तिकारी

(क) जहां कोई उचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश देता है, वहां वह राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारिता अधिकारी की प्रजापना के अधीन, यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम द्वारा प्राप्तिकृत रूप में भी आदेश दे सकेगा;

(ख) जहां राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई उचित अधिकारी किसी विषय-वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ करता है, वहां उचित अधिकारी द्वारा उसी विषय वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां-जहां लागू हों, के लिए कोई कार्यवाही राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी।

आध्याय 3

कर का उद्याहण और संग्रहण

पूर्ति की परिणि ।

7. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "पूर्ति" पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञाप्ति, भाटक, पह्ता या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के सभी प्ररूप ;

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं ;

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए

अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप ; और

(घ) अनुसूची 2 में व्यथाविनिर्दिष्ट माल के पूर्ति या सेवाओं के पूर्ति के रूप में माने गए क्रियाकलाप ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, या

(ख) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, जिनमें वे ऐसे लोक प्राधिकारियों, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, के रूप में लगे हुए हैं,

न तो माल के पूर्ति के रूप में और न ही सेवाओं के पूर्ति के रूप में माना जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें,--

(क) माल के पूर्ति के रूप में, न कि सेवाओं के पूर्ति के रूप में ; या

(ख) सेवाओं के पूर्ति के रूप में, न कि माल के पूर्ति के रूप में,

माना जाएगा ।

8. किसी संयुक्त या मिश्रित पूर्ति पर कर के दायित्व का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :--

संयुक्त और
मिश्रित प्रदायों पर
कर का दायित्व ।

(क) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किए गए किसी संयुक्त पूर्ति को, जिसमें से एक मुख्य पूर्ति है, ऐसे मुख्य पूर्ति की पूर्ति के रूप में माना जाएगा ; और

(ख) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किए गए मिश्रित पूर्ति को उस विशिष्ट पूर्ति की पूर्ति के रूप में माना जाएगा, जिसके कर की दर उच्चतम है ।

9. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मन्दियसारिकपान के पूर्ति को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी अंतर्राज्यिक प्रदायों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नामक कर का, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाएगा और जो कराधीय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा ।

उद्ग्रहण और
संग्रहण ।

(2) अपरिष्कृत पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन इंधन के पूर्ति पर राज्य कर का उद्ग्रहण उस तारीख से किया जाएगा, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए ।

(3) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिस पर कर का संदाय, ऐसे माल या सेवाओं

या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोमप्रभार के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के संबंध में कर के संदाय का दायी है।

(4) किसी ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधीय माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के संबंध में राज्य कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के संबंध में कर के संदाय का दायी है।

(5) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, सेवाओं के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतरराज्यिक प्रदार्यों पर कर, यदि सेवाओं का पूर्ति इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किया जाता है तो, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा पूर्तिकार है जो ऐसी सेवाओं की पूर्ति के संबंध में कर के संदाय का दायी है :

परंतु यदि कराधीय राज्यक्षेत्र में किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है तो कराधीय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा :

परंतु यह और कि कराधीय राज्यक्षेत्र में किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां ऐसा इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, कर संदाय के प्रयोजन के लिए कराधीय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा।

प्रशमन उद्घाटन

10. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किंतु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, किंतु जो,—

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में के आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट पूर्ति करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में के आवर्त के द्वारा प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; और

(ग) अन्य पूर्तिकारों की दशा में, राज्य में के आवर्त के आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा :

परंतु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रुपए की उक्त सीमा तो एक करोड़ रुपए से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि,—

(क) वह अनुसूची 2 के पैरा 6 के छंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदायाँ से भिन्न सेवाओं के पूर्ति में नहीं लगा हुआ है ;

(ख) वह ऐसे किसी माल का पूर्ति करने में नहीं लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है ;

(ग) वह माल के किसी अंतरराज्यिक जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है ;

(घ) वह किसी ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा 52 के अधीन झोल पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी माल का पूर्ति करने में नहीं लगा है ;

(ङ) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिसे सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए :

1961 का 43

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का (आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी) स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस धारा के अधीन कर के संदाय के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया विकल्प उस दिन से, जिसको वित्तीय वर्ष के दौरान उसका संकलित आवर्त उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जाएगा ।

(4) कोई ऐसा कराधीय व्यक्ति, जिसको उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं, उसके द्वारा किए गए प्रदायाँ पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा ।

(5) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधीय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कर संदर्भ कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे ।

11. (1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया, पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या

कर से छट देने की शक्ति ।

दोनों को उस पर उद्घग्नीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी ।

(2) जहाँ सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहाँ वह, परिषद् की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश दवारा, ऐसे आदेश में कथित अपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्घग्नीय हैं, कर के संदाय से छूट दे सकेगी ।

(3) सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश की परिधि या लागू किए जाने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या सभीचीन समझती है तो, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना दवारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे आदेश में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानों वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहाँ किसी माल या सेवा या दोनों के संबंध में, उस पर उद्घग्नीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई है, वहाँ ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा ।

अध्याय 4

पूर्ति का समय और मूल्य

माल के पूर्ति का समय ।

12. (1) माल पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पूर्ति के समय उम्मूल्हा होगा ।

(2) माल के पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :-

(क) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन पूर्तिकार दवारा बीजक जारी किए जाने की तारीख या ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे पूर्ति की बाबत बीजक जारी करने की अपेक्षा है ; या

(ख) वह तारीख, जिसको पूर्तिकार पूर्ति की बाबत संदाय प्राप्त करता है :

परंतु जहाँ कराधीय माल का पूर्तिकार, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपए तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहाँ पूर्ति का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त पूर्तिकार के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी किए जाने की तारीख होगा ।

स्पष्टीकरण 1—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "पूर्ति" को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जहाँ तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है ।

स्पष्टीकरण 2-खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ऐसी तारीख, जिसको पूर्तिकार संदाय प्राप्त करता है, वह तारीख होगी, जिसको उसकी लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(3) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिसके संबंध में, प्रतिलोमप्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) माल प्राप्ति की तारीख ; या

(ख) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बीजक कोई अन्य दस्तावेज, चाहे वह जिस नाम से जात हो, जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख :

परंतु जहां खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी ।

(4) किसी पूर्तिकार द्वारा वाऊचरों के पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय,--

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस बिंदु पर पहचान योग्य है ; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के स्रोत की तारीख होगा ।

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय,--

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर संदत्त किया जाता है ।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए व्याज, विलंब फीस या शास्ति को पूर्ति के मूल्य में जोड़े जाने का है, पूर्ति का समय वह तारीख होगा, जिसको पूर्तिकार मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है ।

13. (1) सेवाओं पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पूर्ति के समय उद्भूत होगा ।

सेवाओं के पूर्ति का समय ।

(2) सेवाओं के पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख, यदि बीजक धारा 31

की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) सेवा उपबन्ध करने की तारीख, यदि धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) वह तारीख, जिसको प्राप्तिकर्ता अपनी लेखा-पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है, उस मामले में, जहां खंड (क) या खंड (ख) में के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं :

परंतु जहां कराईय सेवा का पूर्तिकार, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपए तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां पूर्ति का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त पूर्तिकार के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी करने की तारीख होगा ।

स्पष्टीकरण—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) पूर्ति को उस सीमा तक किया गया समझा जाएगा, जिस तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है ;

(ii) "संदाय प्राप्त करने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको संदाय की प्रविष्टि पूर्तिकार की लेखा-पुस्तकों में की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(3) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिसके संबंध में, प्रतिलोमप्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेश है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :—

(क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, याहे जिस नाम से जात हो, जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख :

परंतु जहां खंड (क) या खंड (ख) के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी :

परंतु यह और कि सहयुक्त उद्यमी द्वारा पूर्ति की दशा में, जहां सेवा का पूर्तिकार भारत से बाहर स्थित है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ।

(4) किसी पूर्तिकार द्वारा वाऊचरों के पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय,—

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस बिंदु पर प्राप्त होना चाहिए है ; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोषन की तारीख होगा ।

(5) जहाँ उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहाँ पूर्ति का समय,-

(क) उस दशा में, जहाँ कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहाँ वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर का संदाय किया जाता है ।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए व्याज, विलंब फीस या शास्ति को पूर्ति के मूल्य में जोड़े जाने का है, पूर्ति का समय वह तारीख होगा, जिसको पूर्तिकार मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है ।

माल या सेवाओं के पूर्ति के संबंध में कर की दर में परिवर्तन ।

14. धारा 12 या धारा 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर की दर में कोई परिवर्तन होता है, वहाँ पूर्ति के समय का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) यदि कर की दर में परिवर्तन से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों का पूर्ति किया गया है, उस दशा में,-

(i) जहाँ उसके लिए बीजक जारी किया गया है और संदाय भी कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहाँ पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ;

(ii) जहाँ बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है, किंतु संदाय कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहाँ पूर्ति का समय बीजक जारी करने की तारीख होगा ; या

(iii) जहाँ संदाय कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त हो गया है, किंतु उसके लिए बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् जारी किया जाता है, वहाँ पूर्ति का समय संदाय की प्राप्ति की तारीख होगा ;

(ख) कर की दर में परिवर्तन के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों का पूर्ति किए जाने की दशा में,-

(i) जहाँ संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, किंतु बीजक कर की दर में परिवर्तन के पहले जारी कर दिया गया है, वहाँ पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख होगा ;

(ii) जहाँ कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व बीजक जारी कर दिया गया है और संदाय प्राप्त हो जाता है, वहाँ पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ;

या

(iii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् बीजक जारी किया गया है, किंतु संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पूर्व प्राप्त हो जाता है, वहां पूर्ति का समय, बीजक जारी करने की तारीख होगा :

परंतु संदाय प्राप्त होने की तारीख, बैंक खाते में जमा करने की तारीख होगी यदि बैंक खाते में ऐसी जमा कर की दर में परिवर्तन की तारीख से चार कार्य दिवस के पश्चात् की जाती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संदाय के प्राप्त होने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको पूर्तिकार की लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

15. (1) जहां पूर्तिकार या पूर्ति का प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं है और पूर्ति के लिए एक मात्र प्रतिफल कीमत है, वहां माल या सेवाओं या दोनों के किसी पूर्ति का मूल्य ऐसा संव्यवहार मूल्य होगा, जो माल या सेवाओं या दोनों के उक्त पूर्ति के लिए वास्तविक रूप से संदत्त किया जाता है या संदेय है ।

(2) पूर्ति के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(क) इस अधिनियम, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम से अन्न तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन उदगृहीत कोई कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार, यदि पूर्तिकार द्वारा पृथक् रूप में प्रभारित किया गया है ;

(ख) कोई ऐसी रकम, जिसका पूर्तिकार, ऐसे पूर्ति के संबंध में संदाय करने के लिए दायी है, किंतु जो पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उपगत की गई है और उसे माल या सेवाओं या दोनों के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(ग) किसी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता से पूर्तिकार द्वारा प्रभारित आनुषंगिक व्यय, जिसके अंतर्गत कमीशन और पैक करना भी है, माल के परिदान या सेवाओं के पूर्ति के समय या उसके पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में पूर्तिकार द्वारा की गई किसी बात के लिए प्रभारित कोई रकम ;

(घ) किसी पूर्ति के लिए किसी प्रतिफल के विलंबित संदाय के लिए ब्याज या विलंब फीस या शास्ति ; और

(ङ) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायिकियों को अपवर्जित करते हुए कीमत से प्रत्यक्षतः जुड़ी हुई सहायिकियां ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, सहायिकी की रकम को ऐसे पूर्तिकार के, जो सहायिकी प्राप्त करता है, पूर्ति के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा ।

(3) पूर्ति के मूल्य में किसी को ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो,—

(क) पूर्ति के पूर्व या पूर्ति के समय दी जाती है, यदि ऐसी छूट को ऐसे पूर्ति

कराएय पूर्ति का मूल्य ।

के संबंध में जारी बीजक में सम्यक रूप से अभिलिखित किया गया है ; और

(ख) पूर्ति के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाती है, यदि,—

(i) ऐसी छूट, ऐसे पूर्ति के समय या उसके पूर्व किए गए किसी कारबार ते, निबंधनानुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से सुसंगत बीजकों से जुड़ी हुई है ; और

(ii) इनपुट कर प्रत्यय, जिसे पूर्तिकार द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर छूट माना गया है, जिसे पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोमित कर दिया गया है ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है, वहां उसका अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रदायों के, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, मूल्य का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ऐसे व्यक्तियों को "संबंधित व्यक्ति" समझा जाएगा, यदि,—

(i) ऐसे व्यक्ति किसी अन्य कारबार के अधिकारी या निदेशक हैं ;

(ii) ऐसे व्यक्ति कारबार में विधिक रूप से मान्यताप्राप्त भागीदार है ;

(iii) ऐसे व्यक्ति नियोजक और कर्मचारी हैं ;

(iv) कोई व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पच्चीस प्रतिशत या अधिक के परादेय मतदान स्टाक या शेररों या उन दोनों पर स्वामित्व, नियंत्रण है या धारण करता है ;

(v) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पर नियंत्रण रखता है ;

(vi) वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हैं ;

(vii) वे साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं ; या

(viii) वे एक ही कुटुंब के सदस्य हैं ;

(ख) "व्यक्ति" पद के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी हैं ;

(ग) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति के कारबार से सहबद्ध हैं, जिसमें वह किसी अन्य का एक मात्र अभिकर्ता या एक मात्र वितरक या एक मात्र रियायतग्राही, चाहे किसी भी नाम से जात हो, है, संबद्ध व्यक्ति समझा जाएगा ।

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

18. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, और धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति से उसको किए गए ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिसका उसके कारबाह के दौरान या उसे अग्रसर करने के उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) उक्त धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,—

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो ;

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां पूर्तिकार द्वारा, किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदृष्ट कर दिया जाता है ;

(ग) धारा 41 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे पूर्ति के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त पूर्ति के संबंध में अनुज्ञय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए ; और

(घ) वह धारा 39 के विवरणी न दे दे :

परंतु जहां माल, बीजक के विरुद्ध, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किश्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसे प्रदायी से भिन्न, जिन पर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को पूर्ति के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात् भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति मूल्य के साथ

इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए प्राप्तता और शर्तें।

उस पर संदेय कर के मध्ये रकम का उसके द्वारा किए गए संदाय पर इनपुट या र प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा ।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन पूँजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षयण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक पर इनपुट कर प्रत्यय अनुजात नहीं किया जाएगा ।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नाम नोट से संबंधित बीजक संबंधित है, अंत के अगले सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के लिए किसी बीजक या नाम नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा ।

प्रत्यय और निस्द
प्रत्ययों का
प्रभाजन ।

17. (1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः किसी कारबार के प्रयोजन के लिए किया जाता है और भागतः अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे उसके कारबार के प्रयोजनों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शून्य दर प्रदायों सहित कराधीय प्रदायों को पूर्ण करने के लिए और भागतः उक्त अधिनियमों के अधीन छूट प्राप्त प्रदायों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे शून्य दर प्रदायों सहित उक्त कराधीय प्रदायों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त पूर्ति का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे पूर्ति, जिस पर प्राप्तिकर्ता प्रतिलोम_प्रभार के आधार पर कर संदाय का दायी है, प्रतिश्रूति संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा ।

(4) किसी बैंककारी कंपनी या किसी ऐसी वित्तीय कंपनी को, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, जो निक्षेपों का प्रतिग्रहण करके, अर्णों या अग्रिम धन का विस्तार करके सेवाओं का पूर्ति करने में लगी हुई है, उपधारा (2) के उपबंधों का पालन करने का या उस मास के प्रत्ययों, पूँजी माल और इनपुट सेवाओं पर उपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत के बराबर रकम का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष व्यपगत हो जाएगा ;

परंतु एक बार उपयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि पचास प्रतिशत का निर्बंधन एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्यांक वाले किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किए गए प्रदायों पर संदत्त कर को लागू नहीं होगा ।

(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात

1961 का 43

के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा।
अर्थात् :-

(क) मोटर यान और अन्य प्रवहण, सिवाय तब के जब उनका उपयोग,-

(i) निम्नलिखित कराधीय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है।

अर्थात् :-

(अ) ऐसे यानों या प्रवहणों के और पूर्ति के लिए ; या

(आ) याक्रियों के परिवहन के लिए ; या

(इ) ऐसे यानों या प्रवहणों के चालन, उड़ान, नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए ;

(ii) माल के परिवहन के लिए ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित पूर्ति के लिए :-

(i) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी कराधीय व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के आवक पूर्ति का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के जावक कराधीय पूर्ति के लिए या कराधीय संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के कारक के रूप में किया जाता है ;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता ;

(iii) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय, जहां,-

(अ) सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनका तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है ; या

(आ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आवक पूर्ति का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का जावक कराधीय पूर्ति करने के लिए या कराधीय संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के आगरूप किया जाता है ; और

(iv) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत जैसे प्रवकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा फायदे ।

(ग) (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) कार्य संविदा सेवाएं, जब उनका पूर्ति स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए किया जाता है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा के और पूर्ति के लिए कोई आवक सेवा है ;

(घ) किसी कराधीय व्यक्ति द्वारा, अपने स्वयं के उपयोग के लिए (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) किसी स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया

माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाओं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबाह के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है।

स्पष्टीकरण—खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "सन्निर्माण" पद के अंतर्गत उक्त स्थावर संपत्ति का पूजीकरण के विस्तार तक पुनर्निर्माण, नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी हैं;

(ङ) ऐसा माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धारा 10 के अधीन कर संदर्भ कर दिया गया है;

(च) किसी अनिवासी कराधीय व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा आयातित माल के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों;

(छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों;

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, दान या निःशुल्क सेंपल द्वारा अपलिखित या व्ययनित माल;

(झ) धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदर्भ कोई कर।

(6) सरकार ऐसी रीति विहित कर सकेगी, जिसमें उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्यय निर्धारित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय और अध्याय 6 के प्रयोजनों के लिए, "संयंत्र और मशीनरी" पद से ऐसे साधित्र, उपस्कर और प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी अभिप्रेत हैं, जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों का जावक पूर्ति करने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब भी हैं, किंतु इसमें निम्नलिखित अपवर्जित हैं,—

- (i) भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल सन्निर्माण;
- (ii) दूर-संचार टावर; और
- (iii) कारखानाएं परिसर के बाहर बिछाई गई पाइप लाइनें।

18. (1) ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं,—

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया है और उसे ऐसा रजिस्ट्रीकरण दे दिया गया है, उस तारीख से, जिससे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्वती दिन को स्टाक में धारित इनपुट और स्टाक में धारित अर्ध परिस्पित या परिस्पित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा;

विशेष
परिस्थितियों में
प्रत्यय की
उपलब्धता।

(ख) कोई व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण लेने का हकदार है, स्टाक में धारित इनपुट और रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से ठीक पूर्वती दिन को स्टाक में अंतर्विष्ट अर्ध परिस्पित या परिस्पित माल के

संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ;

(ग) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 10 के अधीन कर का संदाय रोक दिया है, उस तारीख से, जिससे वह धारा 9 के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को वहां वह स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्थ परिस्पृष्ट या परिस्पृष्ट माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में और पूँजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु पूँजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ;

(घ) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का छूट प्राप्त पूर्ति कराधीय पूर्ति हो गया है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे छूट प्राप्त पूर्ति संबंधित स्टाक में धारित इनपुट और स्टाक में धारित अर्थ परिस्पृष्ट या परिस्पृष्ट माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में और उस तारीख से, जिसको ऐसा पूर्ति कराधीय हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ऐसे छूट प्राप्त पूर्ति के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त पूँजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु पूँजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता के बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे पूर्ति से संबंधित कर बीजक जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उसे पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के गठन में, दायित्व अंतरण के विनिर्दिष्ट उपबंधी के अनुसार कारबार के विक्रय, वित्तन, निविलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण के कारण कोई परिवर्तन होता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अनुजात होगा, जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे विक्रीत, वितीन, निविलीन, समामेलित, पट्टा पर दिए गए या अंतरित कारबार के उसके इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में अनुपयोजित है ।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने धारा 10 के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है या जहां उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों पूर्ण रूप से छूट प्राप्त हो गए हैं, वहां वह इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में, विकल्प द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्थ परिस्पृष्ट या परिस्पृष्ट माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूँजी माल पर, यथास्थिति, ऐसे विकल्प का प्रयोग करने या ऐसी छूट की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को, ऐसी प्रतिशतता बिंदु को, जो विहित किया जाए, कम करके इनपुट कर प्रत्यय के बराबर है :

परंतु ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात् उसके इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में पड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यय की रकम और उपधारा (4) के अधीन संदेय रकम

की संगणना ऐसी सीति में की जाएगी, जो विहित की जाए ।

(6) ऐसे पूँजी माल या संयंत्र और मशीनरी के पूर्ति की दशा में, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिशतता बिंदु को घटाकर, जो विहित किया जाए, उक्त पूँजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम का या धारा 15 के अधीन ऐसे पूँजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा :

परंतु जहां स्कैप के रूप में रिफैक्टरी ईंट, सांचे और डाई, जिन्स और फिक्चरों का पूर्ति किया जाता है, वहां कराधीय व्यक्ति धारा 15 के अधीन अवधारित ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य पर कर का संदाय कर सकेगा ।

19. (1) प्रधान, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, छुटपुट काम के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए इनपुट पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा ।

(2) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान निवेशों को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, इनपुट पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।

(3) जहां प्रधान को, छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए इनपुट भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर, धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार छुटपुट कार्य पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा वापस प्राप्त नहीं होता है या छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति के कारबार के स्थान से उसका पूर्ति नहीं किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा छुटपुट कार्य के लिए ऐसे इनपुट का पूर्ति उस दिन किया गया था, जब उक्त इनपुट भेजे गए थे :

परंतु जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे इनपुट भेजे जाते हैं, वहां छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा इनपुट के प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि की संगणना की जाएगी ।

(4) प्रधान, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए पूँजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा ।

(5) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान पूँजी माल को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, पूँजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।

(6) जहां प्रधान को छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया पूँजी माल, भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर वापस प्राप्त नहीं होता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसे पूँजी माल का पूर्ति उस दिन किया गया था जब उक्त पूँजी माल भेजा गया था :

छुटपुट काम के लिए किए गए निवेशों और भेजे गए पूँजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना ।

परंतु जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे पूँजी माल भेजा जाता है, वहां छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा पूँजी माल के प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की संगणना की जाएगी ।

(7) उपधारा (3) या उपधारा (6) में अंतर्विष्ट कोई बात छुटपुट कार्य करने के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए सांचे और डाई, जिन्स और फिक्चरों और औजारों को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "प्रधान" से धारा 143 में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ।

20. (1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जरी न करके, जिसमें वितरण किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा ।

इनपुट सेवा
वितरक द्वारा
प्रत्यय के वितरण
की रीति ।

(2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के लिए, जिसमें ऐसे व्यारे अंतर्विष्ट हों, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है ;

(ख) वितरण किए गए प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी ;

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा ;

(घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके लिए ऐसी इनपुट सेवा मानी गई है, आवर्त का अनुपाततः होगा ;

(ड) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण, सुसंगत अवधि के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं के संकलित आवर्त और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं, ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर अनुपाततः होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "सुसंगत अवधि",—

(i) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ

राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी :

(ii) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यारे उपलब्ध हैं :

(ख) "प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता" पद से उस इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान स्थायी खाता संख्यांक वाला माल या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार अभिप्रेत है ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल के, जो कराधेय नहीं हैं, पूर्ति में लगा हुआ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उदगृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत है ।

आधिकाय में
वितरित प्रत्यय के
वसूली की रीति ।

21. जहां इनपुट सेवा वितरक, धारा 20 में अंतविष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिकाय में प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिकाय प्रत्यय व्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूल किए जाने वाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

आध्याय 6

रजिस्ट्रीकरण

22. (1) किसी राज्य में मालों या सेवाओं या दोनों के कराधेय पूर्ति को करने वाला प्रत्येक प्रदाता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त दस लाख रूपए से अधिक है

रजिस्ट्रीकरण के
नियम दायी
व्यक्ति ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन, विद्यमान विधि के अधीन_रजिस्ट्रीकृत है या अनुजन्मि धारण करता है, नियत दिन से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा ।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा चलाया गया कारबार, किसी अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में, चाहे उत्तराधिकार या अन्यथा के लेखे अंतरित किया जाता है, अंतरित या उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे अंतरण या उत्तराधिकार की तारीख से रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा ।

(4) उपधारा (1) और (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जैसा भी मामला हो, स्कीम की मंजूरी या समामेलन के लिए ठहराव या अंतरण की दशा में उच्च न्यायालय, अधिकरण के आदेश के अनुसरण में या अन्यथा दो या अधिक कंपनियों के निविलयन के मामले, अंतरिती ऐसी तारीख से जिससे उच्च न्यायालय या अधिकरण के ऐसे आदेश को प्रभाव देते हुए कंपनी रजिस्ट्रार निगमन का प्रमाणपत्र जारी करता है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(i) अभिव्यक्ति संकलित व्यापारवर्त में, कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई सभी पूर्ति, चाहे उसके अपने लेखे के रूप में या उसके सभी मालिकों की ओर से सम्मिलित है;

(ii) रजिस्ट्रीकृत फुटकर कर्मकार द्वारा फुटकर-काम पूर्ण करने के पश्चात्, मालों की पूर्ति, धारा 143 के निर्दिष्ट प्रधान द्वारा मालों की पूर्ति मानी जाएगी और ऐसे मालों में रजिस्ट्रीकृत फुटकर कर्मकार का संकलित व्यापारवर्त सम्मिलित नहीं होगा;

(iii) अभिव्यक्ति "विशेष प्रवर्ग राज्यों" से संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है।

23. (1) निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के कारबार में अनन्य रूप से लगा हुआ है जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल या सेवा कर अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है ;

व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है।

(ख) कृषक, भूमि की खेती की उपज की पूर्ति के विस्तार तक।

(2) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है।

कठिपय मामलों में
अनिवार्य
रजिस्ट्रीकरण।

24. धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,—

- (i) व्यक्ति जो अंतरराज्यिक कराधेय पूर्ति करते हैं ;
- (ii) कराधेय पूर्ति करने वाले नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति ;
- (iii) व्यक्ति जिससे प्रतिलोम-प्रभार के अधीन कर अदा करना अपेक्षित है ;
- (iv) व्यक्ति जिससे धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन कर का संदाय —करना अपेक्षित है ;
- (v) कराधेय पूर्ति करने वाले अनिवासी कराधेय व्यक्ति ;
- (vi) व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है चाहे

इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं :

(vii) व्यक्ति जो, चाहे अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, अन्य कराएग व्यक्तियों की ओर से कराएय मालों या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति करते हैं ;

(viii) इनपुट सेवा वितरक, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं ;

(ix) व्यक्ति जो धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट पूर्ति से भिन्न मालों या सेवाओं अथवा दोनों की ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य ऑपरेटर जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है, के माध्यम से पूर्ति करता है ;

(x) प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्य ऑपरेटर ;

(xi) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के स्थान से ऑन लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या सुधार सेवाओं भारत में किसी व्यक्ति की पूर्ति करता है ;

(xii) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए ।

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया ।

25. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, वह उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होता है, से तीस दिवस के भीतर, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परंतु नैमित्तिक कराएय व्यक्ति या अनिवासी कराएय व्यक्ति कारबार प्रारंभ होने के कम से कम पांच दिवस पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड से प्रदाय करता है, ऐसे राज्य, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु अवस्थित है, में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है को एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा :

परंतु एक राज्य में बहुल कारबार वर्टिकल रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक कारबार वर्टिकल के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है वह स्वयं को स्वेच्छया रजिस्ट्रीकृत करा सकता है और इस अधिनियम के सभी उपबंध जैसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं, वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे ।

(4) एक व्यक्ति जिसमें एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण ऐसे चाहे एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्र में प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक की बाबत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए

सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा।

(5) जहाँ एक व्यक्ति जिसने एक स्थापन की बाबत राज्य या संघ राज्यक्षेत्र गेरजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है, के पास किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक स्थापन है, तब ऐसे स्थापनों को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के स्थापनों के रूप में माना जाएगा।

1961 का 43

(6) प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र होने के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखेगा :

परंतु व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, स्थायी खाता संख्या के बजाय, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या रख सकेगा।

(7) उपधारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक अनिवासी कराधीय व्यक्ति को ऐसे अन्य दस्तावेजों जो विहित किए जाए के आधार पर उप धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकता है।

(8) जहाँ एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में विफल हो जाता है, उचित अधिकारी कोई कार्रवाई जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जा सकता है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्टर करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

(9) उपधारा (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(क) संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई विशिष्ट अभिकरण या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित बहुपार्श्व वित्तीय संस्था और संगठन, विदेशी देशों के कौसल-कार्यालय या राजदूतावास ; और

1947 का 46

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजनों, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त मालों का सेवाओं अथवा दोनों की अधिसूचित पूर्ति पर, कर्ता का प्रतिदाय, जैसा कि विहित किया जाए, विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा।

(10) रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या ऐसी रीति में सम्यक् सत्यापन के पश्चात् और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा या खारिज किया जाएगा।

(11) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में जारी किया जाएगा और ऐसी तारीख से लागू होगा, जो विहित किया जाए।

(12) एक रजिस्ट्रीकरण या एक विशिष्ट पहचान संख्या उप धारा 10 के अधीन विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रदान किया गया समझा जाएगा, यदि आवेदक द्वारा उस अवधि के भीतर आवेदक को कोई कमी संसूचित नहीं की जाती है।

रजिस्ट्रीकरण
समझा जाना।

26. (1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट

पहचान संख्या का प्रदान किया जाना, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन धारा 25 की उपधारा (10) में यथाविनियम समय के भीतर खारिज नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना समझा जाएगा।

(2) धारा 25 की उपधारा (10) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कैदीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन का खारिज किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का खारिज किया जाना समझा जाएगा।

आकस्मिक कराधीय व्यक्ति और अनिवासी कराधीय व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य होगा और ऐसा व्यक्ति केवल रजिस्ट्रीकरण, प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् कराधीय पूर्ति करेगा :

परंतु उचित अधिकारी, पर्याप्त कारणों से जो उक्त कराधीय व्यक्ति द्वारा दर्शाए जाए, उक्त नब्बे दिन की अवधि को नब्बे दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(2) एक नैमित्तिक कराधीय व्यक्ति या अनिवासी कराधीय व्यक्ति धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राककलित कर दायित्व के समतुल्य रकम में कर का अधिग्रहण निष्केप करेगा :

परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन समय का कोई विस्तार चाहा गया है, ऐसा कराधीय व्यक्ति, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राककलित कर दायित्व के समतुल्य कर की अतिरिक्त रकम निष्केप करेंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन निष्केप की गई रकम, ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी और धारा 49 के अधीन उपबंधित रीति में उपयोग किया जाएगा।

28 (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित की गई है रजिस्ट्रेशन के समय या तत्पश्चात् ऐसे प्ररूप रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दी गई सूचना में किसी परिवर्तन को उचित अधिकारी को सूचित करेगा।

रजिस्ट्रीकरण का संशोधन।

(2) उचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन दी गई या उसके द्वारा अभिनिश्चित की गई सूचना के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए संशोधनों का अनुमोदन करेगा या खारिज करेगा :

परंतु ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं, के संशोधन की बाबत उचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा :

परंतु यह और कि उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए

आवेदन को किसी व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना खारिज नहीं करेगा।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन संशोधनों का खारिज किया जाना या अनुमोदन, इस अधिनियम के अधीन खारिज किया जाना या अनुमोदित किया जाना माना जाएगा।

29. (1) उचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक वारिसों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां,—

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण।

(क) कारबार किन्हीं कारणों जिसके अंतर्गत स्वत्वधारी की मृत्यु किसी अन्य विधिक सत्ता के साथ समामेलन, निर्विलयन या अन्यथा निपटान भी है, बंद कर दिया है, पूरी तरह से अंतरित कर दिया है;

(ख) कारबार के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ग) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराधीय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन इससे अधिक रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होगा।

(2) उचित अधिकारी, ऐसी तारीख जिसके अंतर्गत किसी भूतलक्षी तारीख से जैसा वह उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां—

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जैसा विहित किया जाए, ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है; या

(ख) धारा 10 के अधीन कर अदा करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी नहीं दी है; या

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की अवधि तक विवरणी नहीं दी है; या

(घ) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छिया रजिस्ट्रीकरण कराया है रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है; या

(ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है:

परंतु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा।

(3) ऐसी धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, कराधीय व्यक्ति के कर अदा करने के दायित्व पर और इस अधिनियम के अधीन अन्य शोध्य या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, रद्दकरण की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए, चाहे ऐसा कर और अन्य शोध्य, रद्दकरण की तारीख से पहले या पश्चात् अवधारित किए जाते हैं, किसी बाध्यता के निर्वहन पर प्रभाव नहीं डालेगा।

(4) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना समझा जाएगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में विकलन के माध्यम से ऐसी रकम का संदाय करेगा जो रद्दकरण की ऐसी तारीख से ठीक पूर्व दिन को स्टाक में धारित निवेश के संबंध में इनपुट कर और स्टाक में धारित अद्वैतेयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट या पूँजी माल या संयंत्र और मशीनरी या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए संगणित ऐसे माल पर संदेय आउटपुट कर, जो भी अधिक हो, के प्रत्यय के समतुल्य है।

परंतु पूँजीमाल या संयंत्र और मशीनरी के मामले में कराधीय व्यक्ति उक्त पूँजीमाल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के समान ऐसी रकम का संदाय करेगा जो ऐसे प्रतिशतता बिन्दु जो विहित किए जाए, से घटाकर आये या धारा 15 के अधीन ऐसे पूँजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर जो भी अधिक हो, संदत्त करेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन देय रकम ऐसी रीति जो विहित की जाए, से प्रकल्पित की जाएगी

30. (1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है, रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण।

(2) उचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को खारिज कर सकेगा :

परंतु रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना खारिज नहीं किया जाएगा।

(3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण माना जाएगा।

अध्याय 7

कर बीजक, जमा पत्र और नामे नोट

31. (1) कराधीय मालों की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे समय से पहले या उस पर,—

कर बीजक।

(क) प्राप्तिकर्ता की पूर्ति, जहां पूर्ति में मालों का संचलन अंतर्वलित है, के लिए माल को हटाएगा; या

(ख) किसी अन्य मामले में, मालों का परिदान करेगा या प्राप्तिकर्ता को उसको उपलब्ध कराएगा, वर्णन, परिमाप और मालों के मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी

अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना दवारा ऐसे समय में और ऐसी रीति में जो विहित किया जाए, मालों या पूर्तियों के प्रवर्गों जिनके संबंध में कर बीजक जारी किया जाएगा, को विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) कराधीय सेवाओं की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सेवाओं के उपबंध के पूर्व या पश्चात् परंतुक विहित अवधि के भीतर वर्णन, और मालों के मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना दवारा और उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए संगठनों के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में—

(क) पूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जाएगा ; या

(ख) कर बीजक जारी किया जाना अपेक्षित नहीं हो ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से, उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक, प्रारंभ होने वाली अवधि के दौरान पहले से जारी बीजक के विरुद्ध पुनरावलोकित बीजक जारी कर सकेगा ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा यदि ऐसी शर्तों और ऐसी रीति जो विहित की जाए के अध्यधीन रहते हुए, मालों या सेवाओं या दोनों पूर्तियों का मूल्य दो सौ रुपए से कम है ;

(ग) छूट प्राप्त मालों और सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला या धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर अदा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टियाएं अंतर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, एक बिल जारी करेगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, पूर्ति का बिल जारी नहीं करेगा, यदि पूर्ति किया गया माल या सेवाओं या दोनों का मूल्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जो विहित का जाए, दो सौ रुपए से कम है ;

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में अग्रिम संदाय की प्राप्ति पर ऐसे संदाय का साक्षय देते हुए ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट, जो विहित की जाए, कोई रसीद वात्थर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा ;

(ङ) जहां, माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के संबंध में अग्रिम की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई रसीद वात्थर जारी करता है, परन्तु पश्चात्वर्ती कोई पूर्ति नहीं की जाती है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है,

उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसमें संदाय किया है, ऐसे संदाय के विरुद्ध कोई प्रतिदाय वाउचर जारी कर सकेगा;

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे प्रदाता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा;

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, पूर्तिकार संदाय वाउचर जारी करेगा।

(4) माल की निरंतर पूर्ति की दशा में जहाँ लेखाओं के क्रमवार विवरण या क्रमवार संदाय अंतर्वलित हैं, वहाँ बीजक प्रत्येक ऐसे विवरण के जारी करते समय या उससे पूर्व या, यथास्थिति, जब प्रत्येक ऐसा संदाय प्राप्त किया जाता है, जारी किया जाएगा।

(5) उपधारा (3) के खंड (घ) के उपबंधों के अध्यधीन सेवाओं की निरंतर पूर्ति की दशा में,—

(क) जहाँ संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता लगाया जा सकता है, वहाँ बीजक संदाय की नियत तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा;

(ख) जहाँ संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ बीजक जब सेवाओं का पूर्तिकार संदाय प्राप्त करता है, के समय या उससे पूर्व जारी किया जाएगा;

(ग) जहाँ संदाय को किसी घटना के पूरा होने से जोड़ा जाता है, वहाँ बीजक उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा।

(6) किसी ऐसे मामले में जहाँ किसी संविदा के अधीन पूर्ति के पूरा होने से पूर्व सेवाओं की पूर्ति समाप्त हो जाती है, वहाँ बीजक ऐसे समय पर जारी किया जाएगा जब पूर्ति समाप्त होती है और ऐसा बीजक ऐसी समाप्ति से पूर्व प्रभावित पूर्ति की सीमा तक जारी किया जाएगा।

(7) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ विक्रय या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजे जा रहा या लिया जा रहा माल पूर्ति किए जाने से पूर्व हटाया जाता है, वहाँ बीजक पूर्ति के समय या उससे पूर्व अथवा हटाए जाने की तारीख से छह मास तक, जो भी पूर्वतर हो, जारी किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “कर बीजक” पद के अंतर्गत पहले की गई पूर्ति के संबंध में पूर्तिकार द्वारा जारी कोई पुनरीक्षित बीजक होगा।

32. (1) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है, माल और सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई रकम संगृहीत नहीं करेगा।

कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिबंध।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करेगा।

33. इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई पूर्ति किसी प्रतिफल के लिए की जाती है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी पूर्ति के लिए कर संदाय करने के लिए दायी है निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेजों में कर बीजक और अन्य ऐसे अन्य दस्तावेज, टैक्स की रकम जो उस मूल्य का भाग होगी जिस पर ऐसी पूर्ति की जाती है प्रमुखतः उपदर्शित करेगा।

पर बीजक और
मूल्य दस्तावेज
में आदायीत की
जाने ताथे कर की
रकम।

34. (1) जहाँ किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में प्रभावित कर योग्य मूल्य या कर ऐसी पूर्ति के संबंध में कर योग्य मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहाँ पूर्तिकार द्वारा पूर्ति किए गए माल को वापिस किया जाता है या जहाँ पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कभी घाँट जाती है, वहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की पूर्ति की है पूर्तिकार को ऐसी विशिष्टियाँ जो विहित की जाएं से अंतर्विष्ट जमापत्र जारी कर सकेगा।

जमा पत्र भी
नामे नोट।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है। ऐसे जमा पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा साख पत्र जारी किया गया है परंतु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी पूर्ति की गई थी, के अंत के पश्चात् सितंबर मास से अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, तथा कर दायित्व ऐसी रीति जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगा।

परंतु यदि ऐसी पूर्ति पर कर और ब्याज का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति को पास किया गया है तो पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कभी अनुजात नहीं की जाएगी।

(3) जहाँ किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में कर योग्य मूल्य या प्रभावित कर योग्य मूल्य या ऐसी पूर्ति के संबंध में संदेय कर से कम पाया जाता है, वहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है प्राप्त कर्ता को ऐसी विशिष्टियाँ जो विहित की जाए, से अंतर्विष्ट नामे पत्र जारी करेगा।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई नामे नोट जारी करता है, ऐसे नामेनोट के ब्यौरे उस मास की विवरणी में, जिसके दौरान ऐसा नामे नोट-जारी किया गया है, घोषित करेगा और कर दायित्व ऐसे रीति में जो विहित की जाए में समायोजित करेगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए “नामे नोट” पद के अंतर्गत पूरक बीजक हैं।

अध्याय 8

लेखे और अभिलेख

35. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कारबाह के मूल स्थान पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में यथावर्णित,—

(क) माल के उत्पादन और विनिर्माण ;

- (ख) माल या सेवाओं या दोनों की आवक या जावक पूर्ति;
 - (ग) माल का स्टाक;
 - (घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्यय;
 - (ड) संदेय और संदत्त आउटपुट कर; और
 - (च) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं,
- की सत्य और शुद्ध लेखे रखेगा और अनुरक्षित करेगा :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रभान्यपत्र में एक से अधिक कारबार के स्थान विनिर्दिष्ट हैं, किए गए हैं वहां कारबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखे कारबार के उन्हीं स्थानों में रखे जाएंगे :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे लेखे और अन्य विशिष्टियां इलेक्ट्रानिक रूप में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रख सकेगा और अनुरक्षित कर सकेगा ।

(2) भांडागार या गोदाम या माल के भंडारण के लिए उपयोग में लाया गया किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या ऑपरेटर और प्रत्येक वाहक इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं, परेक्ट, परेक्टी और ऐसे माल के अन्य सुसंगत व्यौरे जो विहित किए जाएं, के अभिलेख रखेगा ।

(3) आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं के अतिरिक्त लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित करने के लिए कर योग्य व्यक्तियों का वर्ग अधिसूचित कर सकेगा ।

(4) जहां आयुक्त समझता है कि कर योग्य व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखे रखने और अनुरक्षित करने की दशा में नहीं है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए कर योग्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लेखों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए अनुरक्षित करने के लिए अनुजात कर सकेगा ।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति, धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए ।

(6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहां उचित अधिकारी माल या सेवाओं या दोनों पर संदेय कर की रकम, जिसका लेखा नहीं दिया गया है, अवधारित करेगा, मानो ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की ऐसी व्यक्ति द्वारा पूर्ति की गई थी और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

36. धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन लेखों की बहियों और अन्य अभिलेखों को रखने और अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उनको ऐसे लेखों और अभिलेखों से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से

लेखों के प्रतिपारण
की अवधि ।

72 मास की समाप्ति तक प्रतिधारित करेगा :

परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी अपील प्राप्तिकारी या पुनरीक्षण प्राप्तिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही चाहे उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा फाइल की गई हो, मैं कोई पक्षकार हूँ, या अध्याय 19 के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेषणाधीन हूँ, ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण की विषयवस्तु से संबंधित लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण के अंतिम निपटान के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए या ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो भी पश्चात्वर्ती हो, के लिए प्रतिधारित करेगा।

अध्याय ९

विवरणियां

37. (1) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदर्भ करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रानिक रूप में ऐसे प्ररूप में और रीति में जो विहित की जाए माल या सेवाओं या दोनों की की गई जावक पूर्तियों के ब्यौरे कर अवधि के दौरान उक्त कर अवधि के मास के उत्तरवर्ती 10वें दिन से पूर्व या को देगा और ऐसे ब्यौरे उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे :

जावक पूर्तियों के ब्यौरे देना ।

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन से 15वें दिन तक की अवधि के दौरान जावक पूर्तियों के ब्यौरे देने के लिए अनुजात नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और भी कि केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसको धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन ब्यौरे धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन इनपुट सेवा वितरक की आवक पूर्तियों से संबंधित ब्यौरे संसूचित किए गए हैं, 17वें दिन से पूर्व या को इस प्रकार संसूचित ब्यौरे को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, परंतु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन से पूर्व नहीं तथा उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे तदनुसार संशोधित होंगे ।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का

संदाय करेगा :

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे व्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात श्रीतबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात या सुसंगत तारीख विवरणी देने हुए, जो भी पूर्वतर है, उपधारा (1) के अधीन दिए गए व्यौरे के संबंध में रहे या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, "आवक पूर्तियों के व्यौरे" पद के अंतर्गत किसी कर-अवधि के दौरान की गई आवक पूर्तियों के संबंध में जारी बीजक, नामेनोट, जमा पत्र और पुनरीक्षित बीजक के व्यौरे हैं ।

आवक पूर्तियों के व्यौरे देना ।

38. (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबधियों के अधीन कर संदर्भ करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यदि अपेक्षित हो, अपनी आवक पूर्तियों और जमा पत्र या नामेनोट के व्यौरे तैयार करने के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन संसूचित आवक पूर्तियों और जमा पत्र या नामेनोट से संबंधित व्यौरे सत्यापित करेगा, विधि गान्ध करेगा, उपांतरित करेगा या हटाएगा और उसमें ऐसी पूर्तियों, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन पूर्तिकार द्वारा घोषित नहीं की गई हैं, के संबंध में प्राप्त आवक पूर्तियों और जमा पत्र या नामेनोट के व्यौरे सम्मिलित कर सकेगा ।

(2) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबधियों के अधीन कर संदर्भ करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों, जिसके अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियां, जिन पर इस अधिनियम के अधीन प्रतिलोम आधार पर कर संदेय हैं तथा समन्वित माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियां या जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन समन्वित माल और सेवा कर संदेय हैं तथा कर अवधि के दौरान 10वें दिन के पश्चात परंतु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन से पूर्व या को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसी पूर्तियों के संबंध में प्राप्त जमा पत्र या नामेनोट के व्यौरे देगा :

परंतु आयुक्त, कारणों को लिखत में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे व्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई पूर्तियों के और उपधारा (2) के अधीन दिए गए व्यौरे संबंधित पूर्तिकार को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे ।

(4) धारा 39 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन प्राप्तिकर्ता द्वारा दी गई विवरणी में उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई पूर्तियों के व्यौरे संबंधित पूर्तिकार को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (2) के अधीन व्यौरे दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और व्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे व्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सिंतंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उपधारा (2) के अधीन दिए गए व्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुजात नहीं किया जाएगा ।

39. (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में माल या सेवा या दोनों की आवक और जावक पूर्तियां, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और अन्य विशिष्टियां और ऐसे कलेंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन से पूर्व या को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, विवरणी देगा ।

विवरणीयां देना ।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, राज्य में आवर्त, कोई माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियाँ, संदेय कर और संदत्त कर की विवरणी, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् 18 दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में संदत्त करेगा ।

(3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर, की गई है, की विवरणी इलेक्ट्रानिक रूप में देगा ।

(4) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक करयोग्य व्यक्ति प्रत्येक कलेंडर मास या उसके भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् 13 दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा ।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए कलेंडर मास के अंत के पश्चात् 20 दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा ।

(6) आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणीयां देने के लिए समय-सीमा विस्तारित कर सकेगा :

परंतु केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर अन्तिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है से अपश्चात् सरकार को संदर्भ करेगा ।

(8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है । प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा, चाहे माल या सेवा या दोनों की कोई पूर्ति ऐसी कर अवधि के दौरान की गई या नहीं ।

(9) धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के एरिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन व्याज के संदाय के अध्यधीन, उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परंतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी नहीं दी गई है ।

40. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बना, से उस तारीख तक जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया, के मध्य अवधि में जावक पूर्तियां की हैं रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् उसके द्वारा दी गई प्रथम विवरणी में उसकी घोषणा करेगा ।

प्रथम विवरणी ।

इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंतिम स्थीकृति ।

41. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निबंधनों जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन यथा स्वनिर्धारित, पात्र इनपुट कर, का अपनी विवरणी में जमा लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अनंतिम आधार पर उसकी इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट जमा का उपयोग केवल उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्व निर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए किया जाएगा ।

इनपुट कर प्रत्यय का भिलान, उलटाव और वापस लेना ।

42. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “प्राप्तिकर्ता” कहा गया है) द्वारा किसी कर अवधि के लिए ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दिए गए प्रत्येक आवक पूर्ति के ब्यौरे –

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में "पूर्तिकार" कहा गया है) द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दी गई जावक पूर्ति के तत्स्थानी व्यौरे के साथ ;

1175 का 51

(ख) उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन आयातित माल और सेवा कर के साथ ; और

(ग) इनपुट कर प्रत्यय के दावों के अनुलिपिकरण के लिए, मिलान किया जाएगा ।

1175 का 51

(2) उस आवक पूर्ति, जो तत्स्थानी जावक पूर्ति के व्यौरों के साथ या उसके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन आयातित माल के संबंध में संदर्भ समन्वित माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है, के संबंध में बीजकों या नामेनोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का दावा अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी ।

(3) जहां आवकपूर्ति के संबंध में किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय उसी पूर्ति के लिए पूर्तिकार द्वारा घोषित कर से अधिक है या पूर्तिकार द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणीयों में जावक पूर्ति घोषित नहीं की गई है, वहां अंतर दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए संसूचित किया जाएगा ।

(4) इनपुट कर जमा के दावों की अनुलिपि प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी ।

(5) कोई रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको उस मास की विधिमान्य विवरणी में पूर्तिकार द्वारा ठीक नहीं किया गया है जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, को प्राप्तिकर्ता के उस मास के, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई है, के उत्तरवर्ती मास की विवरणी आउटपुट कर में ऐसी रीति में जोड़ा जाएगा, जो विहित की जाए ।

(6) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गई रकम, जो दावों की आवृत्ति के कारण अधिक्य पाई जाती है, को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास, जिसमें आवृत्ति संसूचित की जाती है, की विवरणी में जोड़ा जाएगा ।

(7) प्राप्तिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि पूर्तिकार धारा 39 की उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी विधिमान्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के व्यौरों को घोषित करता है ।

(8) कोई प्राप्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, प्रत्यय लेने की तरीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्धन किए जाने तक इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व पर किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उपधारा (8) के अधीन संदर्भ ब्याज का प्राप्तिकर्ता को उसकी

इलेक्ट्रोनिक नकद खाते में तत्स्थानी शीर्ष में रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए गए ब्याज की रकम पूर्तिकार द्वारा रद्द त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी ।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ा जाएगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और प्राप्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

आउटपुट कर दायित्व का मिलान, प्रतिलोम और प्रतिदाय ।

43. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “पूर्तिकार” कहा गया है) द्वारा किसी करावधि के लिए बाहर के लिए पूर्ति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक जमा पत्र के ब्यौरे का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, निम्नलिखित के लिए मिलान किया जाएगा—

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “प्राप्तिकर्ता” कहा गया है) द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी कटौती दावे के लिए उसी करावधि या अन्य पश्चात्वर्ती करावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में ; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति के लिए ।

(2) पूर्तिकार द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावा, जो प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी दावे में कमी से मिलान करता है, को अंतिमतः स्वीकार किया जाएगा तथा उसकी संसूचना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार को दी जाएगी ।

(3) जहां बाहर के लिए प्रदायाँ के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी इनपुट कर दावे में तत्स्थानी कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी जमा पत्र की प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणीयों में घोषणा नहीं की गई है तो इस विसंगति की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(4) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति की संसूचना पूर्तिकार को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(5) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन कोई विसंगति संसूचित नहीं है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास की विवरणी, जिसमें ऐसी विसंगति संसूचित की गई है, की विधिमान्य विवरणी में ठीक नहीं किया गया है, को पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में उस मास के पश्चात्वर्ती मास में, जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, की विवरणी में उस रीति में जोड़ दिया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(6) आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती के संबंध में रकम, जो दावों की आवर्ती के लेखे पाई जाती है, को पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें ऐसी आवर्ती संसूचित की जाती है ।

(7) पूर्तिकार अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा यदि प्राप्तिकर्ता अपने जमा पत्र के ब्यौरों को अपनी विधिमान्य

विवरणी में धारा 39 की उपधारा (9) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है।

(8) कोई पूर्तिकार, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, इस प्रकार जोड़ी गई रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी जोड़ जाने तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार किया जाता है वहां उपधारा (8) के अधीन संदर्भ ब्याज का पूर्तिकार को उसकी इलैक्ट्रोनिक नकद छाते में तत्स्थानी शीर्ष में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रकम का प्रत्यय करके प्रतिदाय किया जाएगा:

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तिकर्ता द्वारा संदर्भ ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को पूर्तिकार की उस मास की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा पूर्तिकार इस प्रकार जोड़ी गई रकम में धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

वार्षिक विवरणी।

44. (1) इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधीय व्यक्ति और अनिवासी कराधीय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए इलैक्ट्रोनिकी रूप से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के अंधात् 31 दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 35 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षित प्रति और एक समाधान विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में घोषित प्रदायों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाए, के साथ इलैक्ट्रोनिकी रूप में उपधारा (1) के अधीन एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

अंतिम विवरणी।

45. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जिसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से तीन मास के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा।

विवरणी
व्यतिक्रमियों को
सूचना।

46. जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39, धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी भ्रस्तुत करने में असफल रहता है तब वहां पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी।

विलंब फीस का
उद्वयहन।

47. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 37 या धारा 38 के अधीन अपेक्षित बहिर्गमी या अंतर्गमी प्रदायों या धारा 39 या धारा 45 के अधीन के व्यौरे सम्यक तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रुपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, सौ रुपए विलंब फीस का संदाय करेगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो सम्यक तारीख तक धारा 44 या धारा 45 के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उसके कारबार के एक चौथाई प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सौ रुपए की विलंब फीस का संदाय करने का दायी होगा।

माल और सेवा
कर व्यवसायी।

48. (1) माल और सेवा कर व्यवसायी के अनुमोदन की रीति, उनकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य और बाध्यताएं, हठाने की रीति तथा अन्य शर्तें, जो उनके कार्य करने के लिए सुसंगत हैं, वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा 37 के अधीन बहिर्गमी प्रदायों के व्यौरे धारा 38 के अधीन अंतर्गमी प्रदायों के व्यौरे और धारा 39 या धारा 44 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए प्राप्तिकृत कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी या फाइल किए गए अन्य व्यौरों के सही होने का उत्तरदायित्व उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर होगा जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और व्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं।

अध्याय 10

कर संदाय

कर, ब्याज, शास्ति
और अन्य रकमों
का संदाय।

49. (1) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या ब्रेंडिट कार्ड या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी निधि अंतरण या वास्तविक समय समग्र निपटान या किसी ऐसे अन्य ढंग द्वारा और ऐसी शर्तों तथा ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए किया गया प्रत्येक जमा का ऐसे व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में प्रत्यय किया जाएगा।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वयं निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसकी इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते, जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में धारा 41 के अनुसरण में प्रत्यय किया जाएगा।

(3) इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

(4) इलेक्ट्रोनिक जमा खाते में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा ।

(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलेक्ट्रोनिक जमा खाते में निम्नलिखित के लिए उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम—

(क) एकीकृत कर का पहले उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उस क्रम में संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(ख) केंद्रीय कर का पहले उपयोग केंद्रीय कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यदि कोई हो, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(ग) राज्य कर का पहले उपयोग, राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यदि कोई हो, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर का पहले उपयोग संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(ङ) केंद्रीय कर का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा ; और

(च) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग केंद्रीय कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा ।

(6) इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कर, व्याज, शास्ति, फीस या संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात् इलेक्ट्रोनिक नकद खाते या इलेक्ट्रोनिक जमा खाते में शेष का धारा 54 के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा ।

(7) इस अधिनियम के अधीन कराधीय व्यक्ति के सभी दायित्वों को इलेक्ट्रोनिकी उत्तरदायित्व रजिस्टर में अङ्गिलिखित किया जाएगा और उनका ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुरक्षण किया जाएगा ।

(8) प्रत्येक कराधीय व्यक्ति इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) स्वयं निर्धारित कर और अन्य पूर्व कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्य ;

(ख) स्वयं निर्धारित कर और अन्य चालू कर कालावधियों से संबंधित

विवरणियों के शोध्य ;

(ग) इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित मांग भी है।

(9) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों पर कर संदर्भ किया है, जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए, से यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण रकम को ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को पारित कर दिया है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की जाने की तारीख को इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा करने की तारीख समझा जाएगा;

(ख) पद,--

(i) “कर शोध्य” से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं है; और

(ii) “अन्य शोध्य” से इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम अभिप्रेत है।

50. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किंतु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदर्भ रहता है, स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेगा।

विलंबित कर
संदाय पर ब्याज।

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए शोध्य था, के पश्चात्वर्ती दिन से यथाविहित ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।

(3) कोई कराधीय व्यक्ति, जो धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का असम्यक् या आधिक्य का दावा करता है या धारा 43 की उपधारा (10) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में असम्यक् या आधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे असम्यक् या आधिक्य दावे या ऐसी असम्यक् या आधिक्य कटौती पर केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा।

51. (1) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार,--

शोत पर कर
कटौती।

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापन को; या

(ख) स्थानीय प्राधिकारी को; या

(ग) सरकारी अभिकरणों को ; या

(घ) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए,

जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “कटौतीकर्ता” कहा गया है, को पूर्तिकार (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “जिससे कटौती की गई है” कहा गया है) को करार्थी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को किए गए संदाय या किए गए प्रत्यय से वहां, जहां ऐसा पूर्ति का कुल मूल्य किसी संविदा के अधीन दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, के एक प्रतिशत की दर से कर कटौती करने का आदेश दे सकेगी :

परंतु कोई कटौती तब नहीं की जाएगी यदि पूर्तिकार की अवस्थिति और पूर्ति का स्थान ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है, जो कि पूर्तिकार के रजिस्ट्रीकरण राज्य अथवा, जैसी भी स्थिति हो, संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न है_।

स्पष्टीकरण—पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट कर की कटौती के प्रयोजन के लिए पूर्ति के मूल्य को बीजक में उपदर्शित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को अपवर्जित करते हुए रकम के रूप में लिया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का कटौतीकर्ता द्वारा उस मास के अंत से दस दिन के भीतर, जिसमें ऐसी कटौती की गई है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार को संदाय किया जाएगा ।

(3) कटौती करने वाला, जिससे कटौती की जा रही है, को संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गई रकम, सरकार को संदत्त रकम और ऐसी अन्य विशेषित्यों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(4) यदि कोई कटौतीकर्ता, जिसकी कटौती की जा रही है, को झोत पर कर की कटौती करने के पश्चात् सरकार के लिए इस प्रकार कटौती की गई रकम का प्रत्यय करने के पांच दिन के भीतर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कटौतीकर्ता विलंब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि ऐसी असफलता को ठीक नहीं कर लिया जाता है, पांच हजार रुपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा ।

(5) जिसकी कटौती की जा रही है वह अपने इलेक्ट्रोनिक नकद खाते में कटौती किए गए और धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत कटौतीकर्ता की विवरणी में उपदर्शित कर के प्रत्यय का दावा करेगा ।

(6) यदि कोई कटौतीकर्ता उपधारा (1) के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का सरकार को संदाय करने में असफल रहता है तो वह कटौती किए गए कर की रकम के अतिरिक्त धारा 50 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में व्याज का संदाय करेगा ।

(7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा ।

(8) आधिक्य या त्रुटिपूर्ण कटौती के मद्दे उद्भूत कटौती के कटौतीकर्ता या जिसकी

कटौती की जा रही है, को प्रतिदाय से धारा 54 के उपबंधों के अनुसरण में व्याहार किया जाएगा।

जाएगा :

परंतु कटौतीकर्ता को किसी प्रतिदाय को अनुदत्त नहीं किया जाएगा यदि कटौती नो गई रकम का, जिसकी कटौती की जा रही है, की इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में पत्रगण कर दिया गया है।

स्रोत पर कर का संग्रहण ।

52. (1) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पत्रगण, इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्रचालक" कहा गया है), जो अभिकर्ता नहीं है, एक रकम का संग्रहण करेगा जिसकी संगणना परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, उसके द्वारा अन्य पूर्तिकारों द्वारा की गई कराधीय प्रदायों के कुल मूल्य का एक प्रतिशत से अनधिक दर पर की जाएगी, जहां ऐसी प्रदायों के संबंध में प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया जाना है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से भिन्न "कराधीय पूर्तियों का शुद्ध मूल्य" से मालों या सेवाओं की कराधीय पूर्तियों या दोनों, जिनकी सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किसी मास के दौरान प्रचालक द्वारा पूर्ति की गई है, से उक्त मास के दौरान पूर्तिकारों द्वारा वापस लौटाई गई कराधीय प्रदायों के समग्र मूल्य को घटाकर समग्र मूल्य अभिप्रेत है।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करने की शक्ति प्रचालक से वसूली के किसी अन्य ढंग पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन संगृहित रकम का संदाय प्रचालक द्वारा सरकार को उस मास, जिसमें ऐसा संग्रह किया गया था, के अंत से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा।

(4) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गमी प्रदायों, जिनके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का पूर्ति हैं तथा मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहित रकम के व्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्रस्तुप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में ऐसे मास के अंत से दस दिन के पश्चात् इलैक्ट्रोनिकी रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(5) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा की जाने वाली मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गमी प्रदायों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का पूर्ति हैं तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा के अधीन संगृहित रकम के व्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्रस्तुप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के अंत के पश्चात् 31 दिसंबर से पूर्व इलैक्ट्रोनिकी रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि कोई प्रचालक उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलायों से भिन्न हैं तो वह ऐसे उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई है, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में

लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए ठीक करेगा :

परंतु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों के ऐसे शुद्ध करने को वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(7) पूर्तिकार, जिसने प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है, संगृहित रकम और उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक की विवरणी में उपदर्शित रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में प्रत्यय का दावा करेगा ।

(8) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत पूर्तिकारों के व्यौरों का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंधित पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत बहिर्गमी पूर्तिकारों के तत्स्थानी व्यौरों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा ।

(9) जहां उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गमी पूर्तिकारों के व्यौरे धारा 37 के अधीन पूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी व्यौरों के साथ मिलान नहीं करते हैं तो इस विसंगति की दोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जाएगी ।

(10) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (9) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको पूर्तिकारों द्वारा विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई थी, ठीक नहीं किया जाता है तो उसे उक्त पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में वहां ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जोड़ा जाएगा जहां प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गमी प्रदायों का मूल्य पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत बहिर्गमी प्रदायों के मूल्य से उस मास के पश्चात्वर्ती मास की विवरणी में जिसमें विसंगति की सूचना दी गई थी, अधिक है ।

(11) संबंधित पूर्तिकार, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (10) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, वह ऐसा पूर्ति के संबंध में ब्याज सहित कर का संदाय धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर जोड़ी गई रकम पर उस तारीख से, जिसको ऐसा कर शोध्य था, उसके संदाय की तारीख तक करेगा ।

(12) उपायुक्त के पंक्ति से अन्यून कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके प्रक्रम में प्रचालक को निम्नलिखित से संबंधित ऐसे व्यौरे प्रस्तुत करने की सूचना की तामील कर सकेगा—

(क) किसी कालावधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से की गई मालों या सेवाओं या दोनों का पूर्ति ; या

(ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से पूर्ति कर रहे पूर्तिकारों द्वारा गोदामों या आंडागारों, चाहे किसी भी नाम से वे जात हों, धृत मालों का स्टाक, जिसका ऐसे

प्रचालक द्वारा प्रबंध किया जा रहा है और ऐसे पूर्तिकारों ने जिसकी कारबाह के, अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषणा की है,

जो सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(13) प्रत्येक प्रचालक, जिस पर उपधारा (12) के अधीन सूचना की तामील की गई है, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(14) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (12) के अधीन तामील की गई सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा 122 के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “संबंधित पूर्तिकार” पद से प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला पूर्तिकार अभिप्रेत है।

53. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर शोध्य के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग पर जैसा कि धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विधिमान्य विवरणी में उपदर्शित है, राज्य कर के रूप में संगृहित रकम को इस प्रकार उपयोग किए गए ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम से घटा दिया जाएगा और राज्य सरकार राज्य कर लेखे से इस प्रकार घटाई गई रकम के समतुल्य रकम को एकीकृत कर लेखे में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरित करेगी।

इनपुट कर प्रत्यय
का अनुसरण।

अध्याय 11

प्रतिदाय

54. (1) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त व्याज, यदि कोई हो तो, या उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा :

कर प्रतिदाय।

परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलेक्ट्रोनिक नकद खाते में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा।

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित है, उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की अंतर्गतीय प्रदायों के लिए संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिए ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, में उस तिमाही, जिसमें पूर्ति प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से छह मास के अवसान से पूर्व आवेदन कर

सकेगा ।

(3) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा :

परंतु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा—

(i) कर का संदाय किए बिना की गई शून्य दर पूर्ति ;

(ii) जहां इनपुट पर कर की दर मद्दे सिवाय मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदायों के जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, बहिर्गमी प्रदायों (शून्य मूल्यांकित या पूर्णतः छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर के उच्चतर होने के कारण संचित हुआ है :

परंतु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्तों के अधीन हैं :

परंतु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार केन्द्रीय कर के संबंध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी प्रदायों पर संदर्भ एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है ।

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे—

(क) यह साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कि आवेदक को प्रतिदाय शोध्य है ; और

(ख) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अंतर्गत धारा 33 में निर्दिष्ट दस्तावेज हैं) जैसा कि आवेदक यह साबित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की रकम और ब्याज, यदि कोई है, का ऐसे कर पर संदाय किया गया है या ऐसी किसी रकम का संदाय किया गया है जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उस रकम को उससे एकत्रित किया गया था या उसके द्वारा संदर्भ किया गया था तथा ऐसे कर और ब्याज को चुकाने को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है :

परंतु जहां प्रतिदाय का दावा की गई रकम दो लाख रुपए से कम है, तो आवेदक के लिए कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किंतु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया है ।

(5) यदि किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि दावा किए गए प्रतिदाय की संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का प्रतिदाय किया जा सकता है तो वह तदनुसार आदेश करेगा और इस प्रकार अवधारित रकम का

धारा 57 में निर्दिष्ट नियम में प्रत्यय करेगा ।

(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से इन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालौं या सेवाओं या दोनों के शून्य दर पूर्ति होने के आधार पर प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गई रकम, जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है, के नव्वे प्रतिशत का अनंतिम आधार पर प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापार्यों के अधीन रहते हुए, जैसा की विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (5) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के लिए अंतिम आदेश करेगा ।

(7) उचित अधिकारी उपधारा (5) के अधीन सभी परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(8) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिदेय रकम का नियम में प्रत्यय किए जाने के स्थान पर आवेदक को संदाय किया जाएगा यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है—

(क) शून्य दर मालौं या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी शून्य दर प्रदायों के लिए किया गया है, पर कर का प्रतिदाय ;

(ख) उपधारा (3) के अधीन प्रत्यय किया गया इनपुट कर, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, का प्रतिदाय ;

(ग) पूर्ति पर संदत्त कर का प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्णतः या भागतः उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है या जहां कोई प्रतिदाय वात्तर जारी किया गया है ;

(घ) धारा 77 के अनुसरण में कर का प्रतिदाय ;

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा संदत्त कोई रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज को किसी अन्य व्यक्ति को पारित (पास) नहीं किया हो ; या

(च) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जैसा कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा चुकाया जाने वाला कर या ब्याज ।

(9) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी सिवाय उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसरण में कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

(10) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन कोई प्रतिदाय देय है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या

अपील प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई है, उचित अधिकारी

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या यथास्थिति, कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने तक शोध्य प्रतिदाय के संदाय को विधारित कर सकेगा;

(ख) शोध्य प्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधीय व्यक्ति दायी है किंतु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत रहती है, कटौती कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट तारीख” से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख अभिप्रेत है।

(11) जहां किसी प्रतिदाय को देने वाला आदेश किसी अपील या और कार्यवाहियों की विषय-वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं और आयुक्त का यह मत है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में अपकरण या किए गए कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है तो वह कराधीय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा वह कराधारित करे, विधारित कर सकेगा।

(12) जहां उपधारा (11) के अधीन किसी प्रतिदाय को विधारित किया गया है तो धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधीय व्यक्ति परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का हकदार होगा यदि अपील या और कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वह प्रतिदाय का हकदार हो जाता है।

(13) इस धारा में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी नैमित्तिक कराधीय व्यक्ति या धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अनिवासी कराधीय व्यक्ति द्वारा जमा की गई अग्रिम कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस समस्त कालावधि के लिए, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, के प्रवृत्त रहने की अवधि के लिए धारा 39 के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर दी हैं।

(14) इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को संदाय नहीं किया जाएगा यदि रकम एक हजार रुपए से कम है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(1) “प्रतिदाय” में शून्य दर मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या ऐसे शून्य दर प्रदायों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुटों या इनपुट सेवाओं के लिए कर का प्रतिदाय या माने गए निर्यात के रूप में मालों की पूर्ति पर कर प्रतिदाय या उपधारा (3) के अधीन यथाउपबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है।

(2) “सुसंगत तारीख” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) भारत से निर्यात किए गए मालों की दशा में, यथास्थिति, जहां ऐसे

मालों के लिए स्वयं या ऐसे सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है।-

(i) यदि मालों का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तारीख जिसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है ; या

(ii) यदि मालों का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं ; या

(iii) यदि मालों का निर्यात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मालों के पारेषण की तारीख ;

(ख) माने गए निर्यात के संबंध में मालों की पूर्ति की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह तारीख जिसको ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गई है ;

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख—

(i) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की पूर्ति को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है ; या

(ii) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिए संदाय को बीजक जारी करने की तारीख से पूर्व अधियम में प्राप्त कर लिया गया था ;

(घ) उस दशा में जहां कर किसी अपील प्राप्तिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप कर प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की तारीख ;

(ङ) उपधारा (३) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय की दशा में उस वित्त वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उद्भूत होता है ;

(च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किया जाता है तो कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन की तारीख ;

(छ) पूर्तिकार से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख ; और

(ज) किसी और दशा में कर के संदाय की तारीख ।

55. सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त

कर्तिपय मामलों में प्रतिदाय ।

1947 का 46

राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का बर्ग, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, जो कि ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित पूर्ति पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने का हकदार होंगे।

56. यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक व्याज संदेय होगा :

विलोक्ति प्रतिकार
पर व्यापार ।

परंतु जहां प्रतिदाय के लिए कोई दावा किसी न्यायालिनीयक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, जो अंतिम आदेश है, से उद्भूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप पारित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली नौ प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसा प्रतिदाय करने की तारीख तक व्याज संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन उचित अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है तो अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश माना जाएगा ।

उपभोक्ता कल्याण
निधि ।

57. सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगी और उस निधि में निम्नलिखित का प्रत्यय, ऐसी रीति से जैसी कि विहित की जाए, किया जाएगा—

- (क) धारा 54 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट रकम ;
- (ख) निधि में प्रत्यय की गई रकम के विनिधान से कोई आय ; और
- (ग) उसके द्वारा प्राप्त ऐसी अन्य धनराशियां ।

निधि का
उपयोग ।

58. (1) निधि में प्रत्यय की गई सभी राशियों का सरकार द्वारा उपयोग उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(2) सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निधि के संबंध में उचित और पृथक् लेखे तथा पृथक् अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से यथाविहित प्रस्तुत में तैयार करेगा ।

अध्याय 12

निर्धारण

स्वतः निर्धारण ।

59. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेश करों का स्वतः निर्धारण करेगा और धारा 39 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

अनंतिम
निर्धारण ।

60. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कराएय व्यक्ति मालों या सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उसको लागू कर की दर का अवधारण करने में असमर्थ है तो वह उचित अधिकारी को अनंतिम आधार पर लिखित में कर के संदाय के कारणों को देते हुए अनुरोध करेगा और उचित अधिकारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन से अपश्चात् अवधि के भीतर अनंतिम आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर के संदाय को अनुज्ञात करेगा ।

(2) अनंतिम आधार पर कर के संदाय को अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि कराएय व्यक्ति ऐसे प्रस्तुप में, जो विहित की जाए, और ऐसा प्रतिभूत या ऐसी प्रतिभूति, जो उचित अधिकारी उचित समझे, जो कराएय व्यक्ति को अंतिम रूप से निर्धारित कर और अनंतिम रूप से निर्धारित कर की रकम के बीच के अंतर का संदाय करने के लिए याध्य करती हो, निष्पादित करता है ।

(3) उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की संस्चना की तारीख से छह मास से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को गणना में लेने के पश्चात् अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगा :

परंतु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए तथा आयुक्त द्वारा चार वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मालों या सेवाओं की पूर्ति या दोनों पर अनंतिम निर्धारण के अधीन संदेश कर, किन्तु जिसका संदाय नियत तारीख तक धारा 39 की उपधारा (7) या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन नहीं किया गया है, पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट दर पर मालों या सेवाओं या दोनों की उक्त पूर्तिके संबंध में कर का संदाय करने की नियत तारीख के पश्चात् प्रथम दिन से वास्तविक संदाय की तारीख तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा याहे ऐसी रकम का संदाय अंतिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने से पूर्व या पश्चात् किया गया हो ।

(5) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 54 की उपधारा (8) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा (3) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय का हकदार हो जाता है तो ऐसे संदाय पर धारा 56 में यथा उपबंधित प्रतिदाय का संदाय किया जाएगा ।

61. (1) उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विशिष्टियों की विवरणी के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा करेगा और ध्यान

विवरणी की
संवीक्षा ।

मैं आई विसंगतियों, यदि कोई हैं, की ऐसी रीति, जो विहित की जाए, मैं सूचना देगा । यथा उस पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा ।

(2) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अनुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(3) उचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, मैं समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी मैं, जिसमें विसंगति स्वीकार की गई थी, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो उचित अधिकारी समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाईयां हैं या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा ।

विवरणियों के फ़ाइल न करने वालों का निर्धारण ।

62. (1) धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी असफल रहता है तो उक्त अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम जानकारी और उपलब्ध तात्त्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदर्भ कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किंतु धारा 47 के अधीन विलंब फीस के संदाय या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन व्याज का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा ।

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण ।

63. धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किंतु जो कर का संदाय करने का दायी था तो उचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदर्भ कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा :

परंतु व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश नहीं किया जाएगा ।

कठिपय विशेष मामलों में त्वरित निर्धारण ।

64. (1) उचित अधिकारी उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को उपदर्शित करने वाले साक्ष्य के आने पर अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण

करने के लिए अग्रसर होगा और निर्धारण आदेश जारी करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हों कि ऐसा करने में कोई विलंब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है :

परंतु कराधीय व्यक्ति, जिससे दायित्व संबंधित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और ऐसा दायित्व मालों की पूर्ति के संबंध में है तो ऐसे मालों के प्रभारी व्यक्ति को निर्धारण के दायी कराधीय व्यक्ति समझा जाएगा और वह कर का और इस धारा के अधीन शोध्य अन्य रकम का संदाय करने का दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधीय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वयं अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश का प्रतिसंहरण कर लेगा और धारा 73 और धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

अध्याय 13

लेखापरीक्षा

कर प्राधिकारी
द्वारा लेखापरीक्षा ।

65. (1) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षा कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान या अपने कार्यालय में लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेंगे ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पूर्व ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सूचना के माध्यम से लेखापरीक्षा के संचालन की सूचना दी जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा के आरंभ होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा :

परंतु जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में लेखापरीक्षा तीन मास के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए छह मास से अनधिक और कालावधि के लिए कालावधि का विस्तार कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “लेखापरीक्षा का आरंभ” से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे गए अभिलेख और दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या लेखापरीक्षा के वास्तविक आरंभ पर, कारबार के स्थान, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हों, में उपलब्ध करा दिए जाते हैं ।

(5) लेखापरीक्षा के प्रक्रम में प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा,—

(i) लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की उसकी अपेक्षानुसार सत्यापन के लिए उसे आवश्यक सुविधा प्रदान करना ;

(ii) उसे ऐसी जानकारी, जो वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की तथा लेखापरीक्षा के समय पर पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करने की ।

(6) लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर उचित अधिकारी तीस दिन के भीतर उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई है, निष्कर्षों, उसके अधिकारों और बाध्यताओं तथा ऐसे निष्कर्षों के कारणों से सूचित करेगा ।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदर्भ किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो उचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा ।

68. (1) यदि संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या उसके समक्ष किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के प्रक्रम में सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्यून अधिकारी का मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित में यह मत है कि मूल्य की सही रूप से घोषणा नहीं की गई है या लिया गया प्रत्यय सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लिखित संस्कृना द्वारा उसके अभिलेखों, जिसके अंतर्गत लेखा बहियाँ भी हैं, की किसी चार्टड लेखाकार या लागत लेखाकार, जैसा कि आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, से जांच करवाने और लेखापरीक्षा करवाने का निर्देश दे सकेगा ।

विशेष लेखापरीक्षा ।

(2) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट चार्टड लेखाकार या लागत लेखाकार नब्बे दिन की कालावधि के भीतर ऐसी लेखापरीक्षा की उसके द्वारा सम्यक्त हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट उक्त सहायक आयुक्त को उसमें अन्य विशिष्टियों का वर्णन करते हुए, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा :

परंतु सहायक आयुक्त उसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या चार्टड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी तात्त्विक और पर्याप्त कारण से उक्त कालावधि का नब्बे दिन की और कालावधि से विस्तार कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन की गई है ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर एकत्रित किसी सामग्री, जिसका इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों की जांच और लेखापरीक्षा व्यय, जिसके अंतर्गत चार्टड लेखाकार या लागत लेखाकार का परिश्रमिक भी है, का आयुक्त द्वारा अवधारण और संदाय किया जाएगा तथा ऐसा अवधारण अंतिम होगा ।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदर्भ किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या

इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के स्पृष्ट में होता है तो अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।

अध्याय 14

निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

निरीक्षण, तलाशी
और अभिग्रहण की
शक्ति ।

67. (1) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून उचित अधिकारी के पास गह विश्वास करने का कारण है कि—

(क) जहां किसी कराधीय व्यक्ति ने मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति गा अपने पास रखे गए मालों के स्टाक के संबंध में किसी संघर्षवहार को छिपाया है गा इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारी से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दाना किया है या वह इस अधिनियम के अधीन कर अपवंचन के लिए इस अधिनियम गा तदीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में लिप्त रहा है ; या

(ख) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति या किसी आंडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे मालों को रख रहा है जिन पर कर का संदाय नहीं किया गया है या उसने अपने लेखाओं या मालों को ऐसी रीति में रखा है जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन होने की संभावना है,

तो वह लिखित में राज्य कर के किसी अधिकारी को कराधीय व्यक्ति के कारबार या मालों के परिवहन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों या आंडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान के प्रचालक या स्वामी के किसी स्थान का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून उचित अधिकारी के पास या तो उपधारा (1) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अधिग्रहण के लिए दायी कोई माल या कोई दस्तावेज या बहियां या चीजें, जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हें किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे मालों, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर सकेगा :

परंतु जहां ऐसे मालों को अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है तो उचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी मालों के स्वामी या अभिरक्षक पर एक आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुजा के सिवाय मालों को नहीं हटाएगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा उनसे व्यौहार नहीं करेगा :

परंतु इस प्रकार अभिग्रहण किए गए दस्तावेज या बहियां या चीजें ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक प्रतिधारित की जाएंगी जब तक वह उनकी परीक्षा के लिए और इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के लिए आवश्यक हैं ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज या बहियां या चीजें या कराधीय व्यक्ति या

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज बहियां या चीजें जिन पर इस अधिनियम या तदोन बनाए गए नियमों के अधीन सूचना जारी करने के लिए अवलंब नहीं लिया गया है, को ऐसे व्यक्ति को उक्त सूचना जारी करने की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को किसी परिसर के दरवाजे को सील करने की या तोड़ने की या किसी अलमारी, इलैक्ट्रानिकी युक्ति, बाक्स, संदूक, जिसमें व्यक्ति के कोई माल, लेख, रजिस्टर या दस्तावेजों को छिपाए जाने का संदेह है, जहां ऐसे परिसर, अलमारी, इलैक्ट्रानिकी युक्ति, बाक्स, संदूक तक पहुंच को रोका जाता है, वहां उन्हें तोड़कर खोल सकेगा ।

(5) वह व्यक्ति, जिसकी अभियरक्षा से उपधारा (2) के अधीन किन्हीं दस्तावेजों को अभिग्रहण किया गया है, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और ऐसे समय जो ऐसा अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करे, सिवाय जहां ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसा उद्धरण लेना उचित अधिकारी के मत में जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, लेने का हकदार होगा ।

(6) उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल अनंतिम आधार पर बंधपत्र निष्पादित करने पर और क्रमशः ऐसी रीति और ऐसे मात्रा की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, जो विहित की जाए, या यथास्थिति, लागू कर, ब्याज और संदेय शास्ति के संदाय पर निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

(7) जहां उपधारा (2) के अधीन किन्हीं मालों का अभिग्रहण किया गया है और मालों के अभिग्रहण से छह मास की अवधि के भीतर उनके संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है तो मालों को उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था :

परंतु पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर छह मास की अवधि का उचित अधिकारी द्वारा छह मास से अनधिक और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा ।

(8) सरकार मालों के नष्ट होने या परिसंकटमय प्रकृति समय के साथ मालों के मूल्य में अवक्षयण, मालों के लिए भांडारण स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत विचारणों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा मालों या मालों के ऐसे वर्ग को, जिसका उचित अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण के यथासंभव शीघ्र पश्चात् निपटान किया जाएगा, घोषित कर सकेगी ।

(9) जहां कोई माल, जो उपधारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट माल है, जिनका उचित अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किया गया है, वह ऐसे मालों की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक सूची तैयार करेगा ।

(10) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 उपधारा (5) में “मजिस्ट्रेट” शब्द, जहां-जहां

वह आता है, के स्थान पर "आयुक्त" शब्द रख दिया गया था।

(11) जहां उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण है कि व्यक्ति ने कर का अपवंचन किया है या वह किसी कर के संदाय के अपवंचन का प्रयास कर रहा है, वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे व्यक्ति के लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाहियों के संबंध में जब तक आवश्यक हो, प्रतिधारित करेगा।

(12) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकारी अधिकारी किसी कराधीय व्यक्ति के कारबाह परिसर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के क्रय को ऐसे व्यक्ति द्वारा कर बीजकों के जारी करने या पूर्ति बिलों की जांच करने के लिए क्रय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा इस प्रकार क्रय किए गए मालों के वापस करने पर कारबाह परिसर का प्रभारी कोई व्यक्ति मालों के लिए इस प्रकार संदर्भ रकम का पूर्व में जारी किए गए पूर्ति के लिए कर बीजक या बिल को रह करने के पश्चात् प्रतिदाय करेगा।

88. (1) सरकार ऐसी रकम से अधिक मूल्य के, जो उसके द्वारा प्रवहन करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए, मालों के परेषण का प्रवहन को ले जाए जाने वाले प्रवहन के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों और ऐसी युक्तियों की, जो विहित की जाए, अपेक्षा कर सकेगी।

सथलन में मालों
का निरीक्षण।

(2) उपधारा (1) के अधीन वहन किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के व्यौरों का ऐसी रीति में विधिमान्यकरण किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रवहन को किसी स्थान पर उचित अधिकारी द्वारा रोक लिया जाता है तो वह उक्त प्रवहन के प्रभारी व्यक्ति से उक्त उपधारा के अधीन विहित दस्तावेजों और युक्तियों की सत्यापन करने के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और उक्त व्यक्ति दस्तावेजों और युक्तियों को प्रस्तुत करने का तथा मालों के निरीक्षण को भी अनुज्ञात करने का दायी होगा।

89. (1) जहां आयुक्त के पास यह विश्वास करने के कारण है कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित किया है जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या उपधारा 2 के अधीन दंडनीय है तो वह आदेश द्वारा राज्य कर के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

गिरफ्तार करने की
शक्ति।

(2) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार से सूचित करेगा और उसे चौबीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,-

(क) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन धारा 132 की उपधारा (4)

के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत मंजूर की जाएगी या जमानत के व्यक्तिक्रम की दशा में मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के लिए अवैधित किया जाएगा ;

(ख) असंजेय और जमानतीय अपराध की दशा में उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पास किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के लिए वहीं शक्तियाँ होंगी और उन्हीं उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति के पास होती हैं ।

70. (1) इस अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझाता है, उसी रीति में शक्ति होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गई है ।

1908 का 5

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय टंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत "न्यायिक कार्यवाहियाँ" समझा जाएगा ।

कारबार परिसरों
तक पहुंच ।

71. (1) संयुक्त आयुक्त से अन्यून उचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की किसी रजिस्ट्रीकूट व्यक्ति के कारबार के किसी स्थान तक लेखाबहियाँ, दस्तावेज़ों, कंप्यूटरों, कंप्यूटर प्रोग्रामों, कंप्यूटर साफ्टवेयर चाहे किसी कंप्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा और ऐसी अन्य चीज़ों तक और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, पर किसी लेखापरीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच, जो राजस्व के हितों के सुरक्षोपाय के लिए आवश्यक हो, पहुंच होगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थान का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति मांग किए जाने पर उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या उचित अधिकारी द्वारा तैनात लेखापरीक्षा दल या धारा 66 के अधीन नामनिर्दिष्ट लागत लेखाकार या चार्ट्ड लेखाकार को निम्नलिखित—

(i) ऐसे अभिलेख, जिन्हें रजिस्ट्रीकूट व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया या रखा गया है और उचित अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, घोषित किया गया है ;

(ii) शेष परीक्षण पत्र या उसका समतुल्य ;

(iii) सम्यक्त: लेखा परीक्षित वित्तीय लेखाओं की वार्षिक विवरणी, जहाँ अपेक्षित हो ;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो ;

व्यक्तिगत नो
साक्ष्य देने और
दस्तावेज प्रदान
करने के लिए
समन बनाने की
शक्ति ।

1860 का 45

(v) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44क्ख के अधीन आय-कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो ; और

2013 का 18

1961 का 43

(vi) कोई अन्य सुसंगत अभिलेख,

अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संवीक्षा करने के लिए उस दिन से, जिसको ऐसी मांग की गई थी, से पन्द्रह कार्य दिवस से अधिक अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा अनुजात की जाए, उपलब्ध कराएगा।

उचित अधिकारियों की सहायता के लिए अधिकारी।

72. (1) पुलिस, रेल, सीमाशुल्क और भू-राजस्व के संग्रहण में लगे हुए अधिकारी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण अधिकारी और केंद्रीय कर के अधिकारी और संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारी हैं, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में उचित अधिकारियों की सहायता करेंगे।

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उचित अधिकारियों की सहायता करने के लिए, जब ऐसा करने के लिए आयुक्त द्वारा कहा जाए, अधिकारियों के किसी वर्ग को सशक्त कर सकेगी और उनसे अपेक्षा कर सकेगी।

अध्याब 15

मांग और वसूली

73. (1) जहां उचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय निया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय व्याज और इस अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्यग्हणीय शास्ति का संदाय करे।

(2) उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम तीन मास पूर्व जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो उचित अधिकारी संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के व्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली ऐसी कर अवधियों से भिन्न के

असदृत कर या कम संदत्त गा त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाए गए कर का अवधारण।

लिए अवलंब लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, सूचना की तामील समझा जाएगा ।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील या उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन उसके द्वारा संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का अपने स्वयं के ऐसे कर के निर्धारण या उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर संदाय करेगा और उचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा ।

(6) उचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना या उपधारा (3) के अधीन विवरण की इस प्रकार संदत्त कर या इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय किसी शास्ति के लिए तामील नहीं करेगा ।

(7) जहां उचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अन्यस्तर होगा ।

(8) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा ।

(9) उचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् कर, ब्याज और शास्ति की कर के दस प्रतिशत के समतुल्य रकम या दस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, को ऐसे व्यक्ति से शोध्य अवधारित करेगा और एक आदेश जारी करेगा ।

(10) उचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन आदेश को वित्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित करने की तारीख, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था, से त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(11) उपधारा (6) या उपधारा (8) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (9) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्वतः निर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है ।

असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या कपट से उपयोग किए गए इनपुट कर

74. (1) जहां उचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवर्घन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवर्घन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या

प्रत्यय या तथ्यों
का जानबूझकर
मिथ्या कथन या
लिपाए गए कर
का अवधारण ।

कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्याहणीय शास्ति का संदाय करे ।

(2) उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम छह मास पूर्व जारी करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो उचित अधिकारी संदर्भ न किए गए कर या कम संदर्भ किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील को धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन समझा जाएगा कि उक्त विवरण में अवलंब लिए गए आधार सिवाय कपट के आधार के या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न कर अपवर्चन के लिए किसी जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के लिए अवलंब लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है ।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का संदाय करेगा और कर के स्वयं निर्धारण या उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर ऐसे कर की रकम के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करेगा और उचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा ।

(6) उचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार किसी संदर्भ कर या इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय किसी शास्ति के संबंध में सूचना की तामील नहीं करेगा ।

(7) जहां उचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदर्भ रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अवश्यक होगा ।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा ।

(9) उचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अङ्गावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर की रकम, ब्याज और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा ।

(10) उचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन उस वित्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख से पांच वर्ष के भीतर जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया है या गलत उपयोग किया गया है, से ब्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(11) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (9) के अधीन आदेश की तामील की गई है, धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां” में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी ;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, “छिपाना” पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिससे कराईय व्यक्ति से इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को उचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता अभिप्रेत होगा ।

75. (1) जहां किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) तथा धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से अपवर्जित किया जाएगा ।

(2) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन इस कारण से भरणीय नहीं है कि कर अपवर्चन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होता है जिसको सूचना जारी की गई थी, तो उचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा कि धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई थी ।

(3) जहां अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है तो ऐसा आदेश उक्त निदेश की संसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा ।

(4) सुने जाने के अवसर को वहां अनुदत्त किया जाएगा जहां कर या शास्ति से प्रभार्य व्यक्ति का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है या जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल विनिश्चय की प्रत्याशा है ।

(5) उचित अधिकारी यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को समय अनुदत्त करेगा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगा :

परंतु ऐसा कोई स्थगन कार्यवाहियों के दौरान किसी व्यक्ति को तीन बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

(6) उचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के लिए सुसंगत तथ्यों का अधिकथन करेगा ।

(7) आदेश में मांग किए गए कर, व्याज और शास्ति की रकम सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और सूचना में विनिर्दिष्ट आधारों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर किसी मांग की पुष्टि नहीं की जाएगी ।

(8) जहां अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय उचित अधिकारी द्वारा अवधारित कर की रकम को उपांतरित करता है तो व्याज और शास्ति की रकम भी इस प्रकार उपांतरित कर की रकम को गणना में लेते हुए तदनुसार उपांतरित हो जाएगी ।

(9) कम संदत्त किए गए या संदत्त नहीं किए गए कर पर व्याज संदेय होगा चाहे कर दायित्व का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं ।

(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है ।

(11) कोई विवापक (इश्यू), जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी के विनिश्चय की तारीख के बीच की कालावधि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहां अपवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करने के माध्यम से संस्थित की गई हैं ।

(12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वतः निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय व्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो उसकी धारा 79 के उपबंधों के अधीन वसूली की जाएगी ।

(13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो

उसे कृत्य या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

(1) अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निर्देश में या इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में किसी रकम का संग्रह किया है और उक्त रकम का सरकार को संदाय नहीं किया है तो वह तुरंत इस बात के होते हुए कि वह पूर्ति, जिनके संबंध में ऐसी रकम का संग्रह किया गया है, कराधीय है या नहीं, उक्त रकम का सरकार को संदाय करेगा ।

रागहित १५१
सरकार को सदृश
न किया गया
कर ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी रकम का सरकार को संदाय किया जाना अपेक्षित है और जिसका संदाय नहीं किया गया है तो उचित अधिकारी ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को कारण बताने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा कि सूचना में यथा विनिर्दिष्ट उक्त रकम को उसके द्वारा सरकार को संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के समतुल्य शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए ।

(3) उचित अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (2) के अधीन सूचना की तारीख की गई है, के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का अवधारण करेगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने के अतिरिक्त उस पर धारा 50 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर उसके द्वारा संगृहित रकम की तारीख से सरकार को ऐसी रकम का संदाय करने की तारीख तक के लिए ब्याज का संदाय करने का भी दायी होगा ।

(5) वहां सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा जहां ऐसे व्यक्ति से, जिसको कारण बताने की सूचना जारी की गई है, लिखित अनुरोध प्राप्त होता है ।

(6) उचित अधिकारी सूचना जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(7) जहां आदेश जारी करने पर न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है तो ऐसी रोक की कालावधि को एक वर्ष की कालावधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा ।

(8) उचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के सुसंगत कारणों को अधिकथित करेगा ।

(9) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन सरकार को संदर्त रकम का उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रदायों के संबंध में व्यक्ति द्वारा संदेय कर, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजन किया जाएगा ।

(10) जहां उपधारा (9) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई आधिकार्य शेष बचता है

तो ऐसे आधिक्य की रकम का या तो निधि में प्रत्यय किया जाएगा या उस व्यक्ति को प्रतिदाय किया जाएगा जिसने ऐसी रकम को छुकाया है।

(11) वह व्यक्ति, जिसने रकम को छुकाया है, धारा 54 के उपबंधों के अनुसार उसका प्रतिदाय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

गलत से संग्रहित किया गया और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदर्भ किया गया कर।

77. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतराज्य पूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर केंद्रीय कर और राज्य कर संदर्भ किया है किन्तु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंतराज्यीय पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, को इस प्रकार संदर्भ रकम का ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतराज्यीय पूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर संदर्भ किया है किन्तु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंतराज्यीय पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, से, संदेय राज्य कर की रकम पर ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी।

78. इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कराधीय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर संदर्भ किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर वसूली कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी :

परंतु जहां उचित अधिकारी राजस्व हित में ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कराधीय व्यक्ति से उसके द्वारा ऐसी तीन मास से कम विनिर्दिष्ट की जा सकने वाली कालावधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

79. (1) जहां इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय किसी रकम को संदर्भ नहीं किया जाता है तो उचित अधिकारी निम्नलिखित एक या अधिक ढंगों से रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा, अर्थात् :-

(क) उचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय संदेय किसी रकम से इस प्रकार संदेय रकम की कटौती करेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से रकम की कटौती करने की अपेक्षा करेगा, जो रकम उचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन हैं;

(ख) उचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय संदेय किसी रकम से इस प्रकार संदेय रकम की वसूली करेगा या ऐसे व्यक्ति से संबंध रखने वाली वस्तुओं को निरुद्ध करके और विक्रय करके, जो रकम उचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन हैं, वसूली करेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से रकम को वसूल करने की अपेक्षा करेगा;

(ग) (i) उचित अधिकारी लिखित सूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे धन शोध्य है या ऐसे व्यक्ति को शोध्य हो जाता है, जो ऐसे व्यक्ति के लेखे धन धारण करता है या पश्चात्वर्ती रूप से धन धारण करता है, सरकार को तुरंत

वसूली कार्यवाही
का प्रारंभ किया
जाना।

कर की वसूली।

धन शोध्य होने पर या उसके द्वारा धारण किए जाने पर सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, जो धन के शोध्य या धारण किए जाने से पूर्व की नहीं होगी, उतने धन को, जो ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को संदाय करने के लिए या संपूर्ण धन को जब वह उस रकम के समतुल्य या कम हो, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की जाती है ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशेषतया जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है तो किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या संदाय किए जाने से पूर्व इस बात के होते हुए भी कि तत्प्रतिकूल कोई नियम, पद्धति या अपेक्षा है, प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा ;

(iii) किसी व्यक्ति को, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की गई है, के उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस नियम या तदीन बनाए गए सभी नियमों के परिणाम लागू होंगे ;

(iv) उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी किसी भी समय ऐसी सूचना का साशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या सूचना के अनुसरण में संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा ;

(v) उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की अनुपालना में कोई संदाय करने वाले किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन संदाय करने वाला समझा जाएगा और ऐसे संदाय का सरकार में प्रत्यय किए जाने पर ऐसे व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व का रसीद में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार तक अच्छा और पर्याप्त निर्वहन समझा जाएगा ;

(vi) व्यतिक्रमी व्यक्ति के किसी दायित्व का उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की तामील के पश्चात् निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति निर्वहन किए गए दायित्व के विस्तार तक या कर, व्याज और शास्ति, इनमें से जो भी कम हो, व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व के विस्तार तक सरकार के प्रति दायी होगा ;

(vii) जहां कोई व्यक्ति जिस पर उपखंड (i) के अधीन सूचना की तामील की गई है, सूचना जारी करने वाले अधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि मांग किया गया धन या उसका कोई आग व्यतिक्रमी व्यक्ति से शोध्य नहीं था या न ही वह व्यतिक्रमी व्यक्ति के लेखे उस पर सूचना की तामील किए जाने के समय किसी धन को धारण कर रहा था, और न ही मांग किया गया धन या उसके किसी आग के उस व्यक्ति से शोध्य होने या उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लेखे धारण किए जाने की संभावना है, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात की उस व्यक्ति से जिस पर सूचना की ऐसे किसी धन या उसके आग की संदाय करने के लिए तामील की गई है, संदाय करने की अपेक्षा होगी ;

(g) उचित अधिकारी इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का

करस्थम् और उसे तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि संदेय रकम को संदर्भ नहीं कर दिया जाता है और उक्त संदेय रकम का कोई भाग या करस्थम् की लागत या संपत्ति को रखने की लागत ऐसे करस्थम् के पश्चात् अगले तीस दिन की कालावधि के पश्चात् असंदर्भ रहती है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय करना कारित कर सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगती संदेय रकम को छुकाया जाएगा तथा रकम, जिसके अंतर्गत विक्रय की लागत से असंदर्भ लागत है और अधिक लागत को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा ;

(ङ) उचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और इसे उस जिले के कलेक्टर या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भेजेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबाहर करता है और उक्त कलेक्टर या उक्त अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति से उस प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया था ;

1974 का 2

(च) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उचित अधिकारी समुचित मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानो यह उसके द्वारा अधिरोपित अर्थदंड था ;

(2) जहां इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों या तदीन बनाए गए विनियमों के अधीन निष्पादित कोई बंधपत्र या लिखत यह उपबंध करता है कि ऐसे लिखित के अधीन शोध्य किसी रकम को उपधारा (1) में अधिक्यित रीति में वसूल किया जाएगा तो वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रकम की उस धारा के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी ।

(3) जहां कर, व्याज या शास्ति की कोई रकम इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय है और जो असंदर्भ रहती है तो केंद्रीय कर का उचित अधिकारी उक्त कर बकाया की वसूली के प्रक्रम में उक्त व्यक्ति से रकम की ऐसी वसूली करेगा मानो वह केंद्रीय कर का बकाया थी और इस प्रकार वसूल की गई रकम का सरकार के खाते में प्रत्यय करेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन वसूल की गई रकम केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को शोध्य रकम से कम है तो संबंधित सरकारों के खाते में रकम का प्रत्यय प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में किया जाएगा ।

80. किसी कराधीय व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवरणी में स्वतः निर्धारित दायित्व के अनुसार शोध्य रकम से अन्न किसी रकम के संदाय को धारा 50 के अधीन व्याज के संदाय के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए चौबीस से अनधिक मासिक किस्तों में संदाय करने के लिए अनुजात कर सकेगा :

कर और अन्य रकम का किस्तों में संदाय ।

परंतु जहां किसी सम्बन्धीय तारीख को किसी एक किस्त के संदाय में कोई व्यक्तिक्रम होता है तो ऐसी तारीख को संदेय सभी बकाया शोध्य हो जाएगा और तुरंत संदेय होगा तथा बिना किसी और सूचना की ऐसे व्यक्ति पर तामील किए बिना वसूली का दायी होगा ।

81. जहां कोई व्यक्ति, उससे किसी रकम के शोध्य हो जाने के पश्चात् उससे संबंधित या उसके कब्जे की किसी संपत्ति पर कोई प्रभार सृजित करता है या उससे विक्रय, बंधक रखने, विनिमय या किसी अन्य विधि से अंतरण चाहे, जो भी हो, द्वारा अपने किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सरकारी राजस्व पर कपट करने के आशय से विलग होता है तो ऐसा प्रभार या अंतरण उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय किसी कर या किसी अन्य राशि के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शून्य होगा :

परंतु यह कि ऐसा प्रभार या अंतरण शून्य नहीं होगा यदि वह पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्विवृत्ति और इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाहियों के लंबन पर बिना किसी सूचना के या ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय अन्य राशि या उचित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से किया जाता है ।

कर या संपत्ति पर पहला प्रभार होना ।

कठिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की ।

कठिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण ।

कठिपय गामली गं संपत्ति अंतरण का शून्य होना ।

2016 का 31

82. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी अन्य बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, सिवाय दिवाला' और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में अन्यथा उपबंधित के किसी कराधीय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति के लेखे संदेय कोई रकम, जिसके लिए वह सरकार को संदाय करने का दायी है, का ऐसे कराधीय व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर पहला प्रभार होगा ।

83. (1) जहां धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबन के दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधीय व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा ।

(2) ऐसी अनंतिम कुर्की का उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से एक तर्ब की कालावधि के अवधान पर प्रभाव नहीं होगा ।

84. जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य रकम (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "सरकारी शोध्य" कहा गया है) के संबंध में किसी कराधीय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को किसी सूचना की तामील की जाती है और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं तब—

(क) जहां ऐसे सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में बढ़ा दिया जाता है तो आयुक्त कराधीय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उस रकम के संबंध में जिसके द्वारा ऐसे सरकारी शोध्यों को बढ़ा दिया जाता है, की वसूली के लिए दूसरी मांग सूचना जारी करेगा और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई वसूली कार्यवाहियां, जो उस पर तामील की गई मांग की सूचना में आती हैं, ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व किसी नई मांग

सूचना की तामील के बिना उस प्रक्रम से जारी रहेगी, जिस पर ऐसी कार्यवाहियाँ ऐसे निपटान के ठीक पूर्व थीं ;

(ख) जहां सरकारी शोध्याँ को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियाँ में कम कर दिया जाता है तो,—

(i) आयुक्त के लिए कराधीय व्यक्ति पर मांग की नई सूचना की तामील करना आवश्यक नहीं होगा ;

(ii) आयुक्त ऐसी कमी की उसे और उचित प्राधिकारी को, जिसके पास वसूली कार्यवाहियाँ लंबित हैं, संसूचना देगा ;

(iii) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियाँ के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग के आधार पर संस्थित कोई वसूली कार्यवाहियाँ इस प्रकार कम की गई रकम के संबंध में उसी प्रक्रम से, जिस पर जहां वह ऐसे निपटान से ठीक पूर्व थीं, जारी रहेंगी ।

अध्याय 16

कर्तिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व

85. (1) जहां कोई कराधीय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, अपने कारबार का पूर्णतया या भागतः विक्रय, उपहार, पष्टा, इजाजत और अनुज्ञाप्ति, भाटक या किसी अन्य रीति, चाहे जो भी हो, अंतरण करता है तो कराधीय व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसको इस प्रकार कारबार का अंतरण किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथक्तः पूर्णतया या ऐसे अंतरण के परिमाण तक कराधीय व्यक्ति से ऐसे अंतरण तक शोध्य कर, ब्याज या किसी अन्य शास्ति, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे अंतरण से पूर्व किया गया हो किंतु जो असंदर्त रहती है या जिसका तत्पश्चात् अवधारण किया गया है, के लिए दायी होगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंतरिती ऐसे कारबार को स्वयं के नाम से या किसी अन्य के नाम से घलाता है तो वह ऐसे अंतरण की तारीख से उसके द्वारा पूर्ति किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के लिए कर का और यदि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है और विहित समय के भीतर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन करता है, दायी होगा ।

86. जहां कोई अभिकर्ता अपने प्रधान व्यक्ति के निमित्त कराधीय वस्तुओं की पूर्ति करता है या उन्हें प्राप्त करता है तो ऐसा अभिकर्ता और उसका प्रधान व्यक्ति संयुक्त रूप से और पृथक्तः इस अधिनियम के अधीन ऐसे मालों पर संदेय कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे ।

87. (1) जब दो या अधिक कंपनियों का किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्यथा के आदेश के अनुसरण में समामेलन या विलयन होता है और आदेश का आदेश किए जाने की तारीख से पूर्व प्रभावी होना है तथा दो या उससे अधिक ऐसी कंपनियों ने एक दूसरे को उस तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि से आदेश के प्रभावी होने की तारीख के बीच मालों की या सेवाओं की या दोनों की पूर्ति की है या मालों को या सेवाओं को या दोनों को प्राप्त

कारबार के अंतरण की दशा में दायेत ।

अभिकर्ता और प्रधान व्यक्ति का दायित्व ।

कंपनियों के समामेलन या विलयन की दशा में दायित्व ।

किया है तब ऐसा पूर्ति और प्राप्ति के संबंधित कंपनियों के पूर्ति या प्राप्ति आवर्त में सम्मिलित किया जाएगा और वह तदनुसार कर का संदाय करने की दायी होगी ।

(2) उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी दो या अधिक कंपनियों को उक्त आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए सुमिन्न कंपनियां समझा जाएगा और उक्त कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश की तारीख से रद्द किया जाएगा ।

४४. (1) जब कोई कंपनी को किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अधीन या अन्यथा समाप्त किया जा रहा है तो कंपनी की किन्हीं आस्तियों को प्राप्त करने के लिए प्राप्तक के रूप में नियुक्त व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “परिसमापक” कहा गया है), अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपनी नियुक्ति की संसूचना देगा ।

(2) आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् या ऐसी सूचना मंगाने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसको वह परिसमापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, परिसमापक को और वह रकम, जो उसके मत में किसी कर, ब्याज या शास्ति, जो तब ‘या तत्पश्चात् कंपनी द्वारा संदेय है या संदेय हो जाती है, अधिसूचित करेगा ।

(3) जब किसी प्राइवेट कंपनी को समाप्त किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी पर किसी अवधि के लिए, चाहे परिसमापन के प्रक्रम में या तत्पश्चात् अवधारित कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्तः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा ।

प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व ।

४५. (1) कंपनी अधिनियम, 2013 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी प्राइवेट कंपनी से किसी अवधि के लिए मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, शोध्य है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्तः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) जहां प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तित किया जाता है और किसी अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, के दौरान मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी कर, ब्याज या शास्ति की ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व वसूली नहीं की जा सकती है तो उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को

परिसमापन के अधीन कंपनियों की दशा में दायित्व ।

2013 का 18

लागू नहीं होगी, जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का ऐसी प्राइवेट कंपनी द्वारा मालों की या सेवाओं की या दोनों की पूर्ति के संबंध में किसी कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में निदेशक था :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर अधिरोपित वैयक्तिक शास्ति को लागू नहीं होगी ।

फर्म के भागीदारों का ब्र का संदाय करने के लिए दायित्व ।

90. तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में तत्पतिकूल किसी संविदा के होते हुए भी, जहां कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है तो फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार ऐसे संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होगा :

परंतु जहां कोई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्ति हो जाता है तो वह या फर्म उक्त भागीदार की सेवानिवृत्ति की तारीख को इस निमित्त लिखित सूचना द्वारा आयुक्त को संसूचित करेगा और ऐसा भागीदार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने का चाहे उस तारीख को अवधारित की जाए या नहीं, दायी होगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसी कोई सूचना सेवानिवृत्ति की तारीख से एक मास के भीतर नहीं दी जाती है तो पहले परन्तुक के अधीन ऐसे भागीदार का दायित्व उस तारीख तक बना रहेगा जिसको ऐसी सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है ।

91. जहां कोई कारबार, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति संदेय है, को किसी अल्पव्यय या किसी अन्य अक्षम व्यक्ति के निमित्त और ऐसे अल्पव्यय या अन्य अक्षम व्यक्ति के फायदे के लिए किसी अभिरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता द्वारा चलाया जाता है तो ऐसे अभिरक्षक या न्यासी या अभिरक्षक पर कर, ब्याज या शास्ति उसी रूप में और उसी सीमा तक उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका ऐसे अल्पव्यय या अन्य अक्षम व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, यदि वह व्यक्त या सक्षम व्यक्ति होता और जैसे कि वह स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के उपर्युक्त तदनुसार लागू होंगे ।

92. जहां किसी कराधीय व्यक्ति की संपदा या उसके किसी भाग के अधीन कोई कारबार है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति कराधीय है, किसी प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक (जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी पदनाम से जात हो, जो वास्तव में कारबार का प्रबंध करता है), जिसकी नियुक्ति किसी न्यायालय के आदेश के अधीन की गई है, के नियंत्रणाधीन है, कर, ब्याज या शास्ति उस प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक पर उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी, उसी रीति से और उसी सीमा तक जैसे कि उसका कराधीय व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, जैसे कि कराधीय व्यक्ति स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के उपर्युक्त तदनुसार लागू होंगे ।

अभिरक्षक,
न्यासी आदि का
दायित्व ।

प्रतिपाल्य
अधिकरण आदि
का दायित्व ।

लिए दायी हैं, तब—

(क) यदि व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है तो ऐसा विधिक प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा ; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु से पूर्व या उसके पश्चात् जारी नहीं रखा जाता है तो उसके विधिक प्रतिनिधि मृतक की संपदा से उस परिमाण तक, जिस तक संपदा ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय छुकाने में सक्षम है, संदाय करने के लिए दायी होगा,

चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण उसकी मृत्यु से पूर्व किया गया हो किंतु जो उसकी मृत्यु के पश्चात् असंदर्भ या अवधारित किया गया है।

(2) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहाँ कोई कराधीय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम है और हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम के विभिन्न सदस्यों या व्यक्तियों के दलों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है तब प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह संयुक्त रूप से या पृथक्तः इस अधिनियम के अधीन कराधीय व्यक्ति से बंटवारे के सभय तक कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु जो बंटवारे के पश्चात् असंदर्भ रह गया है या अवधारित किया गया है।

(3) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहाँ कोई कराधीय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है और फर्म का विघटन कर दिया गया है तब प्रत्येक व्यक्ति, जो आगीदार था, संयुक्त रूप से या पृथक्तः इस अधिनियम के अधीन फर्म से शोध्य, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु जो बंटवारे के पश्चात् असंदर्भ रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है।

(4) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहाँ कोई कराधीय व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है,—

(क) किसी प्रतिपाल्य का अभिरक्षक है, जिसकी ओर से अभिरक्षक द्वारा कारबार चलाया जाता है ; या

(ख) कोई न्यासी है, जो फायदाग्राही के लिए किसी न्यास के अधीन कारबार का संचालन करता है,

तब यदि अभिरक्षा या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, प्रतिपाल्य या फायदाग्राही

करने के लिए
दायित्व ने रावण
में विशेष अधिकार।

2016 का 31

2016 का 31

कराधीय व्यक्ति से अभिरक्षा या न्यास के समापन तक रोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण अभिरक्षा या न्यास के समापन से पूर्व किया गया है किंतु जो असंदर्भ रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है।

अन्य मामलों में
दायित्व।

94. (1) जहां कराधीय व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब ने कारबार करना बंद कर दिया है,-

(क) ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब द्वारा ऐसे कारबार को बंद करने की तारीख तक इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे किया जाएगा मानो कारबार को जारी न रखना हुआ ही न हो ; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार को ऐसे बंद करने के समय ऐसी फर्म या ऐसे संगम या कुटुंब का सदस्य था, ऐसा बंद करना होते हुए भी फर्म, संगम या कुटुंब पर अवधारित कर और ब्याज के संदाय के लिए और अधिरोपित शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होगा, चाहे ऐसे कर और ब्याज का अवधारण या शास्ति को उससे पूर्व अधिरोपित किया गया है या ऐसा बंद करने के पश्चात् अधिरोपित किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति या भागीदार या सदस्यों को ऐसे लागू होंगे मानो वह कराधीय व्यक्ति था।

(2) जहां फर्म या व्यक्तियों के संगम के संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो फर्म के भागीदार या संगम के सदस्य, जैसा कि वह पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे और जैसे कि वह उसके पश्चात् विद्यमान हैं, धारा 90 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी फर्म या व्यक्तियों से उसके पुनर्गठन की कालावधि से पूर्व शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होंगे।

(3) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, कराधीय व्यक्ति, जो विघटित हो गई फर्म या व्यक्तियों का संगम है, को या कराधीय व्यक्ति, जो अविभक्त हिन्दू कुटुंब है, जिसने उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के संबंध में विभाजन किया है, को लागू होंगे और तदनुसार उस उपधारा में बंद करने के प्रतिनिर्देश का ऐसे विघटन या विभाजन के प्रति अर्थ लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए—

2009 का 6

(i) “सीमित दायित्व भागीदार” जिसे सीमित दायित्व भागीदार अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है, को भी एक फर्म माना जाएगा ;

(ii) “न्यायालय” से जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अभिप्रेत है।

अध्याय 17

अधिगम विनिर्णय

95. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

परिभ्रामा।

(क) "अग्रिम विनिर्णय" से किसी प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा किसी आवेदक को धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 की उपधारा (1) में मालौं या सेवाओं या दोनों की पूर्ति, जिसे आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है, पर विनिर्दिष्ट विषयों या प्रश्नों पर दिया गया अग्रिम विनिश्चय अभिप्रेत है;

(ख) "अपील प्राधिकारी" से धारा 99 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "आवेदक" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "आवेदन" से धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकारी को किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(ङ) "प्राधिकारी" से धारा 96 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी अभिप्रेत है;

96. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा उत्तराखण्ड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के नाम से जात एक प्राधिकारी का गठन करेगी :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य में अवस्थित किसी प्राधिकारी को किसी राज्य के लिए प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

(2) प्राधिकारी, निम्नलिखित से ग्रिलकर बनेगा,-

(i) केंद्रीय कर के अधिकारियों में से एक सदस्य ; और

(ii) राज्य कर के अधिकारियों में से एक सदस्य,

जिन्हें क्रमशः केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) सदस्यों की अहताएं, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

97. (1) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला आवेदक ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उन प्रश्नों का कथन करते हुए, जिन पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, एक आवेदन करेगा।

(2) वह प्रश्न, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की जाती है, निम्नलिखित के संबंध में होगा,-

(क) किन्हीं मालौं या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना ;

(ग) मालौं या सेवाओं या दोनों के समय और मूल्य का अवधारण ;

(घ) संदर्भ या समझे गए इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेयता ;

(ड) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के कर दायित्व का अवधारण ;

(च) क्या आवेदक से रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है ;

(छ) क्या आवेदक द्वारा किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में की गई कोई विशिष्ट बात का परिणाम उस पद के अर्थान्तर्गत मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के बराबर या उनकी पूर्ति के रूप में होता है ।

आवेदन की प्राप्ति
की प्रक्रिया ।

११८. (१) किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकारी उसकी एक प्रति को संबंधित अधिकारी को अग्रेष्ट कराएगा और यदि आवश्यक हो तो उससे सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग करेगा :

परंतु किसी मामले में जहां प्राधिकारी द्वारा किन्हीं अभिलेखों की मांग की गई है तो ऐसे अभिलेखों को यथासंभव शीघ्र संबंधित अधिकारी को लौटा दिया जाएगा ।

(२) प्राधिकारी आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् तथा आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के पश्चात् आदेश द्वारा या तो आवेदन को स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा :

परंतु प्राधिकारी वहां आवेदन को मंजूर नहीं करेगा जहां आवेदन में उठाया गया प्रश्न पहले से ही लंबित है या आवेदक के किसी मामले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसका विनिश्चय किया जा चुका है :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन को आवेदक को सुने जाने का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो उसके अस्वीकार किए जाने के कारणों को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(३) उपधारा (२) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति आवेदक और संबंधित अधिकारी को अंजी जाएगी ।

(४) जहां किसी आवेदन को उपधारा (२) के अधीन ऐसी और सामग्री, जो उसके समक्ष आवेदक द्वारा रखी जाए या अभिप्राप्त की जाए, की जांच के पश्चात् और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित अधिकारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्वीकार किया गया है तो प्राधिकारी द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय की उद्घोषणा की जाएगी ।

(५) जहां प्राधिकारी के सदस्य ऐसे किसी प्रश्न पर मतभिन्नता रखते हैं, जिस पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर वह मतभिन्नता रखते हैं और ऐसे प्रश्न पर सुनवाई और विनिश्चय के लिए अपील प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेंगे ।

(६) प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर लिखित में अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा ।

(७) आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उद्घोषणा के

पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्कतः हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, प्राधिकारी द्वारा ऐसी उदघोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति भेजी जाएगी ।

99. सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अधिसूचना द्वारा उत्तराखण्ड माल और सेवाकर संबंधी अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी के नाम से जात एक अपील प्राधिकारी का गठन करेगी, जो :

अग्रिम विनिर्णय
भागील
प्राधिकारी का
गठन ।

- (i) बोर्ड द्वारा यथा अभिहित केंद्रीय कर मुख्य आयुक्त ; और
- (ii) राज्य कर आयुक्त
से मिलकर बनेगा ।

100. (1) धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन उदघोषित अग्रिम विनिर्णय से व्यक्ति संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।

अपील प्राधिकारी
को अपील ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको ईप्सिट विनिर्णय के विरुद्ध की गई अपील की संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक को संसूचना दी जाती है, से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी :

परंतु अपील प्राधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था तो वह तीस दिन की उक्त अवधि से अनधिक और अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करना अनुजात कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगी तथा उसका ऐसी रीति में सत्यापन किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

अपील प्राधिकारी
के आदेश ।

101. (1) अपील प्राधिकारी अपील या निर्देश के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह अपील किए गए आदेश या निर्दिष्ट आदेश की पुष्टि करने के लिए या उपांतरित करने के लिए उचित समझे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश धारा 100 के अधीन अपील पारित करने या धारा 98 की उपधारा (5) के अधीन निर्देश करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा ।

(3) जहां अपील प्राधिकारी के सदस्य उसे निर्दिष्ट किसी अपील या निर्देश में किसी बिन्दु या उन बिन्दुओं पर मतभिन्नता रखते हैं और यह समझा जाएगा कि अपील या निर्देश के अधीन प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम विनिर्णय जारी नहीं किया गया है ।

(4) आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उदघोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्कतः हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसी उदघोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति भेजी जाएगी ।

को परिशुद्धि ।

पारित किसी आदेश संशोधन कर सकेगी ताकि अभिलेख पटल पर स्पष्ट गलतियों को ठीक किया जा सके, यदि ऐसी गलती प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी की जानकारी में स्वयं आती है या उसकी जानकारी में संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी, आवेदक या अपीलार्थी द्वारा आदेश की तारीख से छह मास के भीतर लाई जाती है :

परन्तु ऐसी कोई परिशुद्धि, जिसका प्रभाव कर दायित्व में वृद्धि करने अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेय रकम को कम करने के रूप में होता है को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

अधिम विनिर्णय
का लागू होना ।

103. (1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा उदघोषित अधिम विनिर्णय केवल निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा—

(क) उस आवेदक पर, जिसने अधिम विनिर्णय के लिए धारा 97 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उसकी वांछा की थी ;

(ख) आवेदक के संबंध में संबंधित अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले अधिकारी पर ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिम विनिर्णय बाध्यकर होगा सिवाय तब जब मूल अधिम विनिर्णय की समर्थनकारी विधि, तथ्य या परिस्थितियां न बदल गई हों ।

कलिपय
परिस्थितियों में
अधिम विनिर्णय
का शून्य होना ।

104. (1) जहां अपील प्राधिकारी यह पाता है कि धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा उदघोषित अधिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्त्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुव्यर्पदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानो अधिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं था :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि आवेदक को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो ।

स्पष्टीकरण—धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अधिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी ।

105. (1) प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी,—

प्राधिकारी और
अपील प्राधिकारी
की शक्तियां ।

(क) खोज और निरीक्षण ;

(ए) किसी व्यक्ति की उपस्थिति का प्रवर्तन और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) कमीशन जारी करना और लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना।

1974 का 2

1860 का 45

(2) प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझी जाएगा किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं, और प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और धारा 228 के अर्थात् और भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

106. प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी को इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

प्राधिकारी और
अपील प्राधिकारी
की प्रक्रिया।

अध्याय 18

अपील और पुनरीक्षण

अपील प्राधिकारी
को अपील।

107. (1) इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो उस तारीख से जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर विहित किया जाए।

(2) आयुक्त उक्त विनिश्चय या आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या केंद्रीय कर आयुक्त के निवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा और परीक्षण कर सकेगा जिसमें किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है तथा आदेश द्वारा ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए जो उक्त विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होते हैं, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर अपील प्राधिकारी को किसी अधीनस्थ अधिकारी को आवेदन करने के लिए निदेश दे सकेगा जैसा आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) जहां उपधारा (2) अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील प्राधिकारी को आवेदन करता है, वहां ऐसे आवेदन पर अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यवहार किया जाएगा मानो यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील हो और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी कोई अपीलकर्ता हो तथा इस अधिनियम के अपील से संबंधित उपबंध ऐसे आवेदन को लागू होंगे।

(4) अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता, यथास्थिति, तीन या छह मास की पूर्वाकृत अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनुज्ञात करेगा।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रस्प में होगी और ऐसी रीति में सत्यपित की जाएगी जो विहित किया जाए ।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी यदि अपीलकर्ता ने—

(क) अक्षेपित आदेश से उद्भूत कोई कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति का पूर्ण या ऐसे आग का संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए ; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय नहीं किया हो ।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन अपीलकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है, वहां बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जाएंगी ।

(8) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

(9) अपील प्राधिकारी, यदि उसे अपील सुनवाई की किसी अवस्था पर पर्याप्त कारण दर्शित किया जाए तो पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय देगा और लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित रखेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक समय नहीं दिया जाएगा ।

(10) अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी आधार को जोड़ना अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्तियुक्त नहीं था ।

(11) अपील प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाला विनिश्चय का आदेश करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णयक प्राधिकारी को मामला पुनःनिर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था :

परन्तु अधिहरण (कांफिस्केसन) या वर्जित मूल्य के माल का अधिहरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या आगत कर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि अपील प्राधिकारी की जहां यह राय है कि कोई कर संदर्भ नहीं किया गया है या कम संदर्भ किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां आगत कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या आगत कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया है और धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आदेश पारित किया जाता है ।

(12) अपील निपटारा करने वाला अपील प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और

अवधारण के बिन्दुओं, उन पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारणों का कथन करेगा ।

(13) अपील प्राधिकारी, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील को उसे फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अवधि के भीतर सुनवाई और विनिश्चय करेगा :

परन्तु जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि एक वर्ष की अवधि की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी ।

(14) अपील के निपटारे पर अपील प्राधिकारी उसके द्वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संसूचित करेगा ।

(15) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अधिकारिता आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को और केंद्रीय कर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी ।

(16) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश धारा 108 या धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होंगा ।

108. (1) धारा 121 और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना पर या केंद्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकेगा और परीक्षा कर सकेगा तथा यदि वह यह मानता है कि उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी ने इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है, जो ब्रूटिपूर्ण है और राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तथा अवैध या अनुचित है अथवा उसने कतिपय सारावान् तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है चाहे वे उक्त आदेश के जारी करने के समय उपलब्ध हैं या नहीं या भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किये गए अवलोकन के क्रम में हैं, तो वह यदि आवश्यक हो तो ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे ऐसे विनिश्चय या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी और उचित समझे जिसके अन्तर्गत उक्त विनिश्चय या आदेश को वर्द्धित करना या उपांतरित करना या अपास्त करना भी है ।

पुनरीक्षण
प्राधिकारी
शक्तिशा ।

41

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, यदि—

(क) आदेश धारा 107 या धारा 112 या धारा 117 या धारा 118 के अधीन अपील के अध्यधीन है ; या

(ख) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है या पुनरीक्षित किए जाने वाले विनिश्चय या आदेश को पारित करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक समय समाप्त हो गया है ; या

(ग) इस धारा के अधीन किसी पूर्वतर अवस्था पर आदेश को पहले ही पुनरीक्षण के लिए लिया जा चुका है ; या

(घ) आदेश उपधारा (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में पारित किया जा चुका है :

परन्तु यह कि पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी दिन्तु पर कोई आदेश पारित कर सकेगा जो उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्दिष्ट किसी अपील में ऐसी अपील में आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व या उस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उसके समक्ष नहीं उठाया गया है या विनिश्चित नहीं किया गया है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा ।

(4) यदि उक्त विनिश्चय या आदेश में कोई ऐसा मुद्दा अन्तर्वलित है जिसमें अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय ने किसी अन्य कार्यवाही में अपना विनिश्चय दिया है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लंबित है, अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच व्यतीत अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी जहां पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां इस धारा के अधीन नोटिस जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं ।

(5) उपधारा (1) के अधीन जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि की परिसीमा की गणना में अपवर्जित कर दी जाएगी ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद,-

(i) "अभिलेख" में इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के समय किसी कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे ;

(ii) "विनिश्चय" में पुनरीक्षण प्राधिकारी से पंक्ति में न्यून किसी अधिकारी द्वारा दी गई सूचना सम्मिलित होगी ।

109. (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा ।

(2) राज्य में अवस्थित राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और अधिकारिता, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 109 या तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी ।

अपील अधिकरण
और उसकी
न्यायपीठ ।

110. राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों के अध्यक्ष और सदस्यों की अहताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, पदावधि, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार होगा ।

अपील अधिकरण
के समक्ष प्रक्रिया ।
प्राप्ति अधिकरण
के ३७ गत भीर
सदरग, भाषी
अहताएं, नियुक्ति,
सेवा की शर्त
भाटि ।

111. (1) अपील अधिकरण, अपने समक्ष किसी कार्यवाहियों या अपील को निपटाते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अध्यधीन द्वारा निर्देशित होगा और अपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(2) अपील अधिकरण की इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में यथा विहित शक्तियों के समान होगी जो उन्निलिखित मामलों के संबंध में वाद के विचारण के समय होगी, अर्थात् :-

1908 का 5

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करने की अपेक्षा;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

1872 का 1

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अध्यधीन किसी भी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज की प्रति मंगाना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) चूक या एकपक्षीय विनिश्चय के किसी प्रतिवेदन पर किसी प्रतिवेदन को खारिज करना;

(छ) किसी प्रतिवेदन को चूक के लिए खारिज करने के आदेश या अपने द्वारा पास किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना; और

(ज) कोई अन्य मामले जो विहित किए जाएं ।

(3) अपील अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश उसी रीति में लागू होगा जैसे न्यायालय द्वारा उसके यहां लंबित किसी वाद में की गई डिक्री हो और यह अपील अधिकरण के लिए विधि सम्मत होगा कि वह अपने आदेशों के निष्पादन के लिए स्थानीय अधिकारिता के न्यायालय में भेजे-

(क) कंपनी के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां संबद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता है या लाभ के लिए व्यापारिक या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है ।

1860 का 45

(4) अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और अपील अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

1974 रा 2

112. (1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यक्ति कोई व्यक्ति अपील अधिकरण में, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा।

अपील अधिकरण को आपील।

(2) अपील अधिकरण ऐसी किसी अपील को अपने विवेक के अनुसार स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है जहां कर या इनपुट कर प्रत्यय अंतर्वलित हो या इनपुट कर में अंतर अंतर्वलित हो या ऐसे आदेश द्वारा जुर्माने की रकम या शास्ति अवधारित होती हो तथा 50 हजार रुपए से अधिक न हो।

(3) आयुक्त उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपीलीय अधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को स्वतः या केंद्रीय कर आयुक्त की प्रार्थना पर परीक्षण के लिए मंगा सकेगा और आदेश द्वारा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को निदेश देकर उस तारीख को जिसको अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील अधिकरण को आवेदन करता है, तो ऐसा आवेदन अपील अधिकरण इस प्रकार निपटाएगा जैसे वह धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो और इस अधिनियम के उपबंध आवेदन को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन फाइल अपील के संबंध में लागू होते हैं।

(5) इस नोटिस की प्राप्ति पर कि इस धारा के अधीन अपील हो चुकी है, पक्षकार जिसके विरुद्ध अपील हुई है किसी अन्य बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील नहीं की है, नोटिस की प्राप्ति के 45 दिन में विहित रीति में सत्यापित प्रति आक्षेपों का ज्ञापन, आदेश जिसके किसी भाग के विरुद्ध अपील की गई है, फाइल करेगा और ऐसा ज्ञापन अपील अधिकरण द्वारा ऐसे निस्तारित किया जाएगा जैसे यह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत की गई अपील हो।

(6) अपील अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में एक अपील स्वीकार कर सकेगा या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् 45 दिन में प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा यदि यह समाधान हो जाए कि इसको उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपयुक्त कारण था।

(7) अपील अधिकरण को अपील ऐसे प्रूप में उस रीति में सत्यापित और ऐसी फीस सहित जो विहित की जाए, में होगी ।

(8) कोई अपील, उपधारा (1) के अधीन जब तक फाइल नहीं की जाएगी तब तक अपीलार्थी निम्नलिखित संदत्त न कर दे,-

(क) पूर्ण कर की रकम का ऐसा कोई भाग, व्याज, जुमाना, फीस और आरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गई हो; और

(ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त उक्त आदेश से उत्पन्न, जिसके सम्बन्ध में अपील दाखिल की गई है, में विवादित कर की शेष रकम के 20% के बराबर राशि ।

(9) जहां अपीलार्थी उपधारा (8) के अनुसार रकम संदत्त कर चुका है वहां शेष रकम की वसूली कार्यवाहियां अपील के निस्तारण तक रोकी हुई समझी जाएंगी ।

(10) अपील अधिकरण के समक्ष-

(क) त्रुटि को ठीक करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अपील;

(ख) अपील या किसी आवेदन का प्रत्यावर्तन करने हेतु,

प्रत्येक आवेदन ऐसी ऐसे शुल्क सहित होगा जो विहित किया जाए ।

अपील अधिकरण
के आदेश ।

113. (1) अपीली अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है के पुष्टिकरण, उपांतरण या बातीलकरण जैसा ठीक समझे, उस पर आदेश कर सकेगा या अपीली प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या भूल न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को ऐसे निदेशों को जिनको वह ठीक समझे सहित वापस नये न्यायनिर्णयन या अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात् यदि आवश्यक हों, विनिश्चय के लिए वापस भेज सकेगा ।

(2) अपीली प्राधिकारी यदि समुचित कारण दिए जाएं तो किसी अपील की सुनवाई की किसी प्राप्तिस्थिति पर उनके लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए पक्षकारों को समय प्रदान या अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा :

परंतु यह कि इस प्रकार का स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार को तीन बार से अधिक नहीं प्रदान किया जाएगा ।

| (3) यदि ऐसी कोई त्रुटि अपने-आप उसे संज्ञान में आ जाती है या आयुक्त या केंद्रीय कर आयुक्त या अपील के किसी पक्षकार द्वारा संज्ञान में आदेश की तारीख के तीन मास की अवधि में लाइ जाती है तो अपीली अधिकरण अभिलेख पर किसी प्रत्यक्ष त्रुटि को ठीक करने के लिए उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा ।

परंतु यह कि ऐसा कोई संशोधन जो मूल्यांकन की वृद्धि या वापसी की कमी या इनपुट कर प्रयय या किसी पक्षकार के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करता है, इस अधिनियम के अधीन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि पक्षकार को सुनने का अवसर न प्रदान किया जाए ।

(4) अपीली अधिकरण जहां तक संभव हो अपील के फाइल होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि में प्रत्येक अपील सुने और विनिश्चय करेगा।

(5) अपीली अधिकरण इस अधिनियम के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या मूल न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी अपीलार्थी और अधिकारिता रखने वाले आयुक्त या केंद्रीय कर आयुक्त को यथास्थिति भेजेगा।

(6) जैसा कि धारा 117 या धारा 118 में उपबंधित है, अपील अधिकरण द्वारा किसी अपील पर पारित आदेश पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

114. राज्य अध्यक्ष, किसी राज्य में अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा विहित किया जाए :

परंतु राज्य अध्यक्ष के पास अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जैसा वह ठीक समझे, राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों के किसी अन्य सदस्य या अन्य अधिकारी को, इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

115. जहां अपीलार्थी द्वारा धारा 112 की उपधारा (8) या धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदर्भ रकम को अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप वापस किया जाना अपेक्षित है तो धारा 56 के अधीन विनिर्दिष्ट व्याज की दर से ऐसी वापसी के संबंध में रकम के संदाय की तारीख से ऐसे रकम की वापसी की तारीख तक व्याज का संदाय किया जाएगा।

116. (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में हाजिर होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्ययनीय शपथ या कथन पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए इस अधिनियम के अधीन जब उससे अन्यथा अपेक्षित है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर हो सकेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पद "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उपधारा (1) में निर्देशित व्यक्ति द्वारा उसके स्थान पर हाजिर होने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है--

(क) उसका रिश्तेदार या नियमित कर्मचारी ; या

(ख) ऐसा कोई अधिवक्ता जो भारत में किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार है और जिसे भारत में किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है ; या

(ग) कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव जो प्रैक्टिस करने का प्रमाण-पत्र रखता है और जिसे प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है ;

राज्य न्यायपीठ
वित्तीय भीर
प्रशासनिक
शक्तियाँ।

अपील के दाखिल
करने के लिए
संदर्भ रकम की
वापसी पर
व्याज।

प्राधिकृत प्रतिनिधि
द्वारा हाजिरी।

या

(घ) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के विभाग का या बोर्ड का ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी, जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति की पंक्ति से अन्यून के पद पर कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो :

परंतु यह कि ऐसा कोई अधिकारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के समक्ष हाजिर होने के लिए अधिकारी नहीं होगा ; या

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो संबद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए माल और सेवा कर प्रैक्टिसकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्तिकृत है ।

(3) कोई व्यक्ति--

(क) जो सरकारी सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो ; या

(ख) जो इस अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, समेकित माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या विद्यमान किसी विधि या माल के विक्रय या माल के पूर्ति या सेवाओं या दोनों पर कर लगाने से संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध हो ; या

(ग) जो विहित प्राधिकारी द्वारा दुर्व्यावहार का दोषी पाया गया हो ;

(घ) जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत हो चुका हो,

उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अहं नहीं होगा--

(i) खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में सदैव के लिए ; और

(ii) खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में उस अवधि के दौरान जब तक दिवालियापन जारी रहे ।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन निरह है इस अधिनियम के अधीन भी निरह समझा जाएगा ।

उच्च न्यायालय
को अपील ।

117. (1) राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा और उच्च न्यायालय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से जिसको व्यथित व्यक्ति द्वारा अपीलगत आदेश प्राप्त हुआ है से 180 दिन की अवधि में अपील फाइल की जा सकेगी और यह ऐसे प्रारूप में और उस सत्यापित रीति में होगी जो विहित की जाए :

परंतु यह कि उच्च न्यायालय उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को सुन सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी अवधि में इसको फाइल न कर पाने का समुचित कारण था ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाए कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को विनियमित करेगा और केवल इस प्रकार विनियमित प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा तथा प्रत्यर्थी अपील की सुनवाई के दौरान कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है पर बहस करने के लिए अनुज्ञेय होंगे :

परंतु इस उपधारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह अडिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायालय की किसी अपील की, उसके द्वारा विरचित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान प्रश्न पर सुनवाई करने की शक्ति को तब समाप्त करता है या उसका अल्पीकरण करता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है ।

(4) उच्च न्यायालय इस प्रकार विनियमित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और ऐसे निर्णय को उन आधारों सहित जिन पर ऐसा निर्णय आधारित हैं, प्रदान करेगा और ऐसी लागत लगा सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(5) उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद को अवधारित कर सकेगा, जो—

(क) राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा अवधारित न किया गया हो ; या

(ख) उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय के कारण राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा अनियन्त्रित अवधारण किया गया हो ।

(6) जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल की गई हो, वहां यह उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की पीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी और ऐसे न्यायाधीशों यदि हों तो उनके बहुमत के मत के अनुसार विनिश्चय की जाएगी ।

(7) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि के उस बिंदु को बताएंगे जिस पर वे मतांतर रखते हैं और वहां केवल उस बिंदु पर उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा मामले को सुना जाएगा और ऐसे न्यायाधीशों, जिन्होंने पहले इस मामले को सुना है, सहित के बहुमत के मत के अनुसार ऐसे बिंदु पर विनिश्चय किया जाएगा ।

(8) जहां उच्च न्यायालय ने इस धारा के अधीन फाइल अपील में निर्णय दे दिया है तो ऐसे निर्णय को प्रभाव इसकी सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर किसी पक्ष द्वारा दिया जाएगा ।

(9) इस अधिनियम में जैसे पहले अन्यथा उपबंधित किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, जो उच्च न्यायालय के अपील से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन अपील के मामलों में, जहां तक संभव हो लागू होंगे ।

118. ऐसी अपील जो उच्चतम न्यायालय में होगी—

(क) राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध ; या

उच्चतम
न्यायालय
अपील ।

(ख) किसी मामले में धारा 117 के अधीन की गई अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, जो स्वतः या व्यक्तित विवेदन पर निर्णय या आदेश के पारित होने के तुरंत बाद, उच्च न्यायालय द्वारा प्रभागित किया गया हो कि उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए उचित मामला है।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध, जो उच्चतम न्यायालय को अपील करने से संबंधित हैं जहां तक संभव हो इस धारा के अधीन अपील के मामलों में उस तरह लागू होंगे जैसे उच्च न्यायालय की डिक्री की अपील के मामले में होते हैं।

(3) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय अपील में बदल या प्रतिलोम गया हो वहां उच्च न्यायालय का आदेश उस प्रकार प्रभावी होगा, जैसे उच्च न्यायालय के निर्णय के मामले में धारा 117 में यथा उपबंधित रीति में उच्चतम न्यायालय का आदेश होता है।

राशि जो अपील आदि के होने के बाद भी संदर्भ किए जाने हैं।

कठिपय मामलों में अपील का फाइल नहीं किया जाना।

119. किसी बात के होते हुए भी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है, धारा 113 के उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण की राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों या धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों या धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप 'सरकार को दिए जाने वाली राशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसरण में संदेश की जाएगी।

120. (1) आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों से, जैसा ठीक समझे इस अद्याय के उपबंधों के अधीन राज्य कर अधिकारी द्वारा फाइल की गई अपील या आवेदन के नियमन के प्रयोजन के लिए ऐसी किसी मौद्रिक सीमा को नियत कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर का अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या आवेदन नहीं फाइल कर सकेगा, यह राज्य कर के ऐसे अधिकारी को किसी अन्य मामले में अंतर्वलित समान या समतुल्य विवाद्यक या विधि के प्रश्न के विरुद्ध अपील या आवेदन फाइल करने से नहीं रोकेगा।

(3) किसी बात के होते हुए भी यह तथ्य कि उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया गया है, कोई व्यक्तित अपील में या आवेदन में पक्षकार होते हुए भी किसी अपील या आवेदन के फाइल न किए जाने पर विवादित बिंदु पर विनिश्चय से वह अधिकारी राज्य कर का अधिकारी अवगत था, आशयित नहीं करेगा।

(4) अपील अधिकरण या न्यायालय ऐसी अपील या आवेदन को सुनते समय उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन फाइल न किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

121. इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी बात के होते हुए भी राज्य कर के अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चय या पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी,

अपील न किए
जाने वाले

यदि ऐसा लिया गया विनिश्चय या आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक से संबंधित है अर्थात् :-

विनिश्चय
आदेश।

- (क) आयुक्त या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश जो कार्यवाहियों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को सीधे अंतरित करने में सशक्त हो ; या
- (ख) लेखा बहियों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का अभियाहन करने या प्रतिधारित करने से संबंधित कोई आदेश ; या
- (ग) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की मंजूरी देने वाला कोई आदेश ; या
- (घ) धारा 80 के अधीन पारित कोई आदेश।

अध्याय 19

अपराध और शास्तियां

122. (1) जहां करार्थी व्यक्ति जो—

कानूनी अपराध
के लिए शास्ति।

- (i) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों का पूर्ति करता है या ऐसे किसी पूर्ति के लिए छूट या गलत बीजक जारी करता है ;
- (ii) इस अधिनियम के उपबंधों या तदीन बनाए गए नियमों उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों के पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है ;
- (iii) कर के रूप में किसी रकम का संग्रह कर उसको सरकार को संदाय करने में तीन मास से परे उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय देय था, असफल रहता है ;
- (iv) इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी कर का संग्रह करता है लेकिन उसको सरकार को संदाय करने में तीन मास से परे उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय देय था, करने में असफल रहता है ;
- (v) धारा 51 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपनियम के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या उपधारा (2) के अधीन सरकार को इस कटौती की गई रकम को कर के रूप में संदाय करने में असफल रहता है ;
- (vi) धारा 52 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार कर संग्रहण में असफल रहता है या कोई रकम संग्रहीत करता है जो उक्त उपधारा के अधीन संग्रहीत किए जाने के लिए अपेक्षित रकम से कम रकम का संग्रहण है या जहां वह धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन कर के रूप में संग्रहीत रकम को सरकार को संदर्भित करने में असफल रहता है ;
- (vii) इस अधिनियम के उपबंधों या तदीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विपरीत चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक रसीद के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपभोग करता है ;
- (viii) इस अधिनियम के अधीन कर की वापसी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है ;

- (ix) धारा 20 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के विपरीत इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या बांटता है ;
- (x) इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय से बचने के आशय से या वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूँलाता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों या किसी झूठी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है ;
- (xi) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी तो है लेकिन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है ;
- (xii) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण के विवरण के संबंध में गलत सूचना देता है ;
- (xiii) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी अधिकारी को रोकता है या प्रवारित करता है ;
- (xiv) इस निमित यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना कराईय किसी माल का परिवहन कराता है ;
- (xv) इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन के लिए अपने टर्नओवर को छिपाता है ;
- (xvi) इस अधिनियम के या तदीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में लेखा की पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने या प्रतिधारित करने में असमर्थ रहता है ;
- (xvii) इस अधिनियम के या तदीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है ;
- (xviii) ऐसे किसी माल को पूर्ति, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसको विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन जद्दी के लिए दायी हैं ;
- (xix) अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का प्रयोग द्वारा किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है ;
- (xx) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है ;
- (xxi) किसी माल को खुर्चुर्द या छेड़छाड़ करता है जो इस अधिनियम के अधीन रोके, जद्दत या कुर्क किया हुआ था,
- दस हजार रुपए या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौती न किए गए कर या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए परंतु सरकार को संदेय नहीं किए गए कर या धारा 52 के अधीन संगृहीत नहीं किए गए कर या कम संगृहीत या संगृहीत परंतु सरकार को संदर्त्त नहीं किए गए कर या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गए या अनियमित रूप से वितरित या पारित या कपटपूर्ण ढंग से दावा की गई वापसी जो भी उच्चतर हो, के समतुल्य रकम को शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल का पूर्ति या सेवाओं या दोनों का पूर्ति करता है जिन पर उसने कोई कर नहीं दिया है या कम संदर्भ किया है या त्रुटिपूर्ण ढंग से वापस लिया या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया है या किसी कारण से प्रयोग किया है,—

(क) कपट के कारण भिन्न या किसी जानबूझ कर गलत कथन करता या कर बचाने के लिए तथ्यों को छिपाता है, तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर का दस प्रतिशत जो उच्चतर हो, की शास्ति के लिए दायी होगा ।

(ख) कपट के उद्देश्य से या कर अपवंधन के तथ्यों का जानबूझ कर गलत कथन या छिपाता है तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर का दस प्रतिशत जो उच्चतर हो, दायी होगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो—

(क) उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (xxi) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है;

(ख) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन को हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, पूर्ति करने या विक्रय या अन्य किसी रीति में किसी प्रकार अपने को संबद्ध करता है, जिसके विषय में यह जानता है या विश्वास करने का विश्वास रखता है कि वह इस अधिनियम या तदीन निर्मित नियमों के अधीन जब्ती के लिए दायी ।

(ग) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या इसके पूर्ति से किसी प्रकार संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा के किसी पूर्ति को करता है जिसके लिए वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है यह इस अधिनियम या तदीन निर्मित नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में है;

(घ) किसी जांच में साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु सम्मन के जारी होने पर राज्य कर के अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है;

(ङ) इस अधिनियम या तदीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिए कैफियत देने में असमर्थ रहता है,

ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी ।

123. यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 150 के अधीन सूचना के अधीन सूचना विवरणी देना अपेक्षित है, वह उसकी उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि देने में असफल रहता है तो उचित अधिकारी निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के प्रत्येक दिन के लिए जिसके लिए वह ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, के लिए सौ रुपए प्रतिदिन की शास्ति के लिए दायी होगा :

परंतु यह कि इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति पांच हजार से अधिक नहीं होगी ।

सूचना विवरणी
देने में असफल
रहने पर शास्ति ।

आंकड़े देने में
असमर्थ रहने पर
जुर्माना।

124. यदि किसी व्यक्ति से धारा 151 के अधीन सूचना या विवरणी देना अपेक्षित है,-

(क) इस धारा के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी सूचना या विवरणी देने में बिना युक्तियुक्त कारण देने में असमर्थ रहता है, या

(ख) कोई सूचना या विवरणी जिसे वह जानता है कि असत्य है, को जानबूझ कर प्रस्तुत करता है,

वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार तक हो सकेगा और अपराध जारी रखने की दशा में और जुर्माने से जो ऐसे प्रथम दिन जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस हजार रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन एक सौ रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

साधारण शास्ति।

125. कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तदीन निर्मित किन्हीं नियमों के किसी उपबंध जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक् रूप से कोई शास्ति नहीं है, का उल्लंघन करता है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।

शास्ति से संबंधित
साधारण विधाएँ।

126. (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी कर विनियमन या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के छोटे भंग और विशेषतः दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती जिसे आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तथा बिना कपटपूर्ण आशय या समग्र लापरवाही के बिना किए गए हैं, के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए—

(क) यदि किसी भंग जिसमें पांच हजार रुपए से कम का कर जंतर्वलित है तो वह "छोटा भंग" माना जाएगा;

(ख) दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती आसानी से शुद्ध की जा सकने वाली मानी जा सकेगी जो अभिलेख पर एक प्रत्यक्ष त्रुटि है।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति तथ्यों पर और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होगी तथा यह भंग की अवस्था और गंभीरता के अनुपात में होगी।

(3) किसी व्यक्ति पर बिना उसे सुनवाई का अवसर दिए शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(4) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी किसी विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग के आदेश में शास्ति अधिरोपित करते समय भंग की प्रकृति और लागू विधि, विनियम या प्रक्रियाएं जिनके अधीन विनिर्दिष्ट भंग के लिए शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट करेगा।

(5) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा भंग की खोज से पहले या कर विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के भंग की परिस्थितियां इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को स्वेच्छया प्रकट कर देता है तो उचित अधिकारी

उस व्यक्ति के लिए शास्ति की गणना करते समय इस तथ्य पर न्यूनकारी घटक के रूप में विचार करेगा ।

(6) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट शास्ति या तो नियत राशि है या नियत प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त है ।

127. जहां उचित अधिकारी इस विचार का है कि व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन किसी कार्यवाह में नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उदगृहीत करने का आदेश जारी कर सकेगा ।

128. सरकार, अधिसूचना द्वारा, कर दाता के ऐसे वर्ग के लिए धारा 122 या धारा 123 या धारा 125 में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा 47 में निर्दिष्ट किसी विलंब फीस का भागतः या पूर्णतः और परिषद् की सिफारिशों पर उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी कम करने वाली परिस्थितियों के अधीन अधित्यजन कर सकेगी ।

129. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति किसी माल का परिवहन या माल का भंडारण करता है जब वे अभिवहन में इस अधिनियम या तद्वीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में हैं, सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त साधन और ऐसे माल से संबंधित दस्तावेज और अभिवहन अभिरक्षा में लेने या अभिग्रहण के लिए दायी होगा तथा अभिरक्षा या अभिग्रहण निर्मुक्त हो सकेगा—

(क) ऐसे माल पर लागू कर के और अर्थदंड के 100 प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रूपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का प्रधान ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) लागू कर के और उस पर संदर्त्त कर रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य का 50 प्रतिशत के बराबर शास्ति और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रूपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का प्रधान ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;

(ग) ऐसे प्रस्तुत और रीति जो विहित की जाएं, में खंड (क) या खंड (ख) के अधीन संदेश रकम के समतुल्य प्रतिभूति को देने पर :

परंतु यह कि इस प्रकार का माल या अभिवहन माल का परिवहन करने के लिए व्यक्ति पर अभिरक्षा या अभिग्रहण के आदेश के तामील कराए बिना अभिरक्षा में या अभिग्रहण में नहीं लिया जाएगा ।

(2) धारा 67 की उपधारा (6) के उपबंध माल की अभिरक्षा और अभिग्रहण और प्रवहण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(3) माल की अभिरक्षा या अभिग्रहण या प्रवहण करने वाला उचित अधिकारी कर

कोरप्या मामलों
में शास्ति
अधिरोपित करने
की शक्ति ।

शास्ति या फीस
या दोनों के
आदेश गजट करने
की शक्ति ।

अधिरक्षा,
अधिग्रहण और
माल की नियुक्ति
तथा अभिवहन में
प्रवहण ।

और संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात् खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संदेय कर और शास्ति के लिए एक आदेश पारित करेगा।

(4) बिना संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए व्याज या शास्ति उपधारा (3) के अधीन अवधारित नहीं की जाएगी।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम के संदाय पर उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट नोटिस की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी।

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपधारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का संदाय करने में ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के सात दिन में असफल रहता है तो अन्य कार्यवाहियां धारा 130 की शर्तों के अनुसार आरंभ की जाएंगी:

परंतु यह कि जहां अभिरक्षा या अभिग्रहण का माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या खतरनाक या समय के साथ मूल्य में हास की प्रकृति का है तो उक्त सात दिन की अवधि उचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।

माल की जब्ती या प्रवहण और शास्ति का उद्घारण।

130. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति-

(i) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन निर्मित नियमों के किसी उल्लंघन में माल का पूर्ति या प्राप्ति कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या

(ii) किसी माल के लिए लेखा नहीं रखता है जिस पर वह उस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी है; या

(iii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल का पूर्ति करता है; या

(iv) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या लद्दीन बने नियमों का उल्लंघन कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या

(v) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में माल को ढाने के लिए परिवहन के रूप में किसी प्रवहण का प्रयोग करता है जब तक कि प्रवहण का प्रधान यह सिद्ध न कर दे कि उसका या उसके ऐजेंट, यदि कोई है और प्रभारी व्यक्ति की बिना जानकारी या गठजोड़ के यह कार्य हुआ है,

तब ऐसा सभी माल या प्रवहण जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति धारा 122 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) जब कभी किसी माल या प्रवहण की जब्ती इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है तो उसको न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को जब्त माल के स्थान पर ऐसा जुर्माना जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, संदाय करने का विकल्प दे सकेगा :

परंतु यह कि ऐसा उद्ग्रहणीय जुर्माना जब्त माल के बाजार मूल्य से अधिक तथा उस पर प्रभारित कर से कम नहीं होगा :

परंतु यह और कि ऐसा जुर्माना और उद्घाटीय शास्ति धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्घाटीय शास्ति की रकम से कम नहीं होगा :

परंतु यह भी कि जहां माल को ढोने या आड़े पर यात्रियों को ढोने में प्रयुक्त कोई ऐसा प्रवहण या प्रधान को जब्त प्रवहण के स्थान पर उसमें परिवहन किए माल पर संदेय कर के बराबर जुर्माना संदेय करने का विकल्प किया जा सकेगा ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित माल या प्रवहण की जब्ती के स्थान पर जुर्माना अधिरोपित किया जाता है उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे माल का स्वामी या प्रवहण या व्यक्ति इसके अतिरिक्त किसी ऐसे माल का प्रवहण की बाबत किसी कर शास्ति और शोध्य प्रभारों के लिए दायी होगा ।

(4) माल या प्रवहण की जब्ती या शास्ति का अधिरोपण का आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं जारी किया जाएगा ।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या प्रवहण को जब्त कर लिया गया है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामित्व सरकार में निहित हो जाएगा ।

(6) जब्ती के न्यायनिर्णयन का उचित अधिकारी जब्त वस्तुओं का कब्जा लेगा और धारण करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे उचित अधिकारी की अपेक्षा पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसको सहयोग करेगा ।

(7) उचित अधिकारी स्वयं के समाधान के पश्चात् कि जब्त माल या प्रवहण इस अधिनियम की धारा के अधीन किसी अन्य कार्यवाहियों में अपेक्षित नहीं है और जब्ती के स्थान पर जुर्माना देने के लिए तीन मास से अनधिक युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् ऐसे माल या प्रवहण का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय प्राप्ति सरकार को जमा करेगा ।

1974 का 2

131. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम और तदीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन की गई जब्ती या अधिरोपित शास्ति किसी अन्य दंड जो उससे प्रभावित व्यक्ति को इस अधिनियम या प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन दायी है, के दंड से प्रवारित नहीं करेगा ।

132. (1) जो निम्नलिखित में से किसी दंड को कारित करता है, अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम या तदीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना किसी माल या सेवाओं या दोनों का पूर्ति अपवर्चन के आशय से करता है;

(ख) इस अधिनियम या तदीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में गलत प्राप्ति या निष्केप कर प्रत्यय के प्रयोग या कर की वापसी के लिए माल या सेवा या दोनों का पूर्ति बिना बीजक या बिल के जारी करना;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का प्रयोग कर इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है ;

(घ) कोई रकम कर के रूप में संगृहीत करता है किन्तु उसे उस तारीख से

जब्ती या शास्ति अन्य दंडों से व्यतिरेक नहीं करेगा ।

कठिपय अपराधों के लिए दंड ।

जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, तीन मास की अवधि के पश्चात् तक सरकार को संदाय करने में असफल होता है :

(ड) कर अपवंचन, कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति या कपट से वापसी प्राप्त करना और जहां ऐसा अपराध खंड (क) से (घ) में नहीं आता ;

(च) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय से अपवंचन के आशय से या तो वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या झूठे लेखा या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या किसी झूठी सूचना को प्रस्तुत करता है ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकता है या प्रवारित करता है;

(ज) किसी माल जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तदीन निर्मित नियमों को जब्त करने के लिए दायी है, उसका कब्जा अर्जित करता है या परिवहन में स्वयं को किसी माध्यम से संबद्ध करता है, हटाता है या जमा करता है, रखता है, छिपाता है, पूर्ति करता है या क्रय करता है या किसी अन्य रीति में निपटाता है;

(झ) किसी माल को प्राप्त करता है या किसी अन्य प्रकार से उसके पूर्ति से संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा पूर्ति में लगा रहता है जिसको वह जानते हुए करता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि इस अधिनियम या तदीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है ;

(ञ) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;

(ट) किसी सूचना का पूर्ति करने में असफल रहता है जिसे उसे इस अधिनियम में या तदीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन पूर्ति के लिए वह अपेक्षित है (बिना युक्तियुक्त विश्वास सहित, सिद्ध करने का भार जो उस पर है कि उसके द्वारा पूर्ति की गई सूचना सत्य है) या झूठी सूचना देता है, या

(ठ) इस धारा के खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी के कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है,

दंडनीय होगा—

(i) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई इनपुट के प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की गई रकम पांच सौ लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से;

(ii) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई इनपुट के प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की गई रकम दो सौ लाख रुपए से अधिक है लेकिन पांच सौ लाख रुपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से;

(iii) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई इनपुट के प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की गई रकम एक सौ लाख रुपए

से अधिक लेकिन दो सौ लाख रुपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से;

(iv) खंड (च) या खंड (छ) या खंड (ज) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का दोषसिद्ध है तथा पुनः इस धारा के अधीन दोषसिद्ध होता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से,

(3) उपधारा (1) के खंड (i), (ii) और (iii) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट कारावास विशेष और उचित कारण जिन्हें न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित की गई है की अनुपस्थिति में छह मास से कम अवधि का नहीं होगा ।

1974 का 2

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध उपधारा (5) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय असंजेय और जमानतीय होगा ।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट और उस उपधारा के खंड (i) के अधीन दंडनीय अपराध संजेय और गैर जमानतीय होगा ।

(6) कोई व्यक्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "कर" में अपवंचित कर की रकम या गलत रूप से रखी गई कर प्रत्यक्ष की रकम या प्रयुक्त की गई रकम या उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गलत रूप से ली गई रकम केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन उदगृहीत उपकर सम्मिलित हैं ।

133. (1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 151 के अधीन सांख्यिकियों के संग्रहण या समेकन या उनके कंप्यूटरीकरण या यदि धारा 150 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना तक पहुंच के लिए राज्य कर का कोई अधिकारी लगा हुआ है या समान पोर्टल पर सेवा के उपबंधों के संबंध में लगा कोई व्यक्ति या यदि समान पोर्टल का अभिकर्ता जानबूझकर इस अधिनियम अध्यधीन निर्मित नियमों के अधीन किसी विवरणी के अंश उक्त धाराओं के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन से अन्यथा या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजन के लिए वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक का होगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति,—

(क) जो सरकारी सेवक है, इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा;

(ख) जो सरकारी सेवक नहीं है, इस धारा के अधीन अपराध के लिए आयुक्त की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा ।

अधिकारियों और
कठिपय अन्य
व्यक्तियों का
दायित्व ।

अपराध का संज्ञान।

आपराधिक मानसिक दशा का अनुमान।

क्रितिपय परिस्थितियों के अधीन कथनों की सुसंगतता।

कंपनियों द्वारा अपराध।

134. न्यायालय इस अधिनियम या तदीन निर्मित नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान बिना आयुक्त की पूर्व अनुमति के नहीं ले गा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से कम का न्यायालय से अपराध का विचारण नहीं करेगा।

135. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोजन जो आपराधिक मानसिक दशा अभियुक्त के भाग पर अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता को अनुमान लगाएगा लेकिन अभियुक्त के लिए यह तथ्य सिद्ध करने के लिए यह बचाव होगा कि वह इस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत इस मानसिक स्थिति का नहीं था।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन हेतु

(i) "आपराधिक मानसिक दशा" पद में आशय, उद्देश्य, तथ्य का जान और उसमें विश्वास या विश्वास करने का कारण, एक तथ्य सम्मिलित है;

(ii) एक तथ्य सिद्ध किया हुआ केवल तब कहा जाएगा जब न्यायालय इस पर बिना युक्तयुक्त संदेश के विश्वास करता है और केवल जब इसकी विद्यमानता प्राथमिकता की संभाव्यता द्वारा स्थापित है।

136. इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान धारा 70 के अधीन जारी किसी सम्मन के संदर्भ में हाजिर व्यक्ति द्वारा किया और हस्ताक्षरित कथन इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा, तथ्य की सत्यता जिसमें होगा-

(क) जब कोई व्यक्ति जिसने कथन किया था भर गया है या नहीं मिल पा रहा है या साक्ष्य देने में अक्षम है या विरोधी पक्ष द्वारा तरीके से भिन्न या जिसको देरी के बिना उपस्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती है, मामले की परिस्थितियों के अधीन न्यायालय अनौचित्यपूर्ण मानेगा; या

(ख) जब किसी व्यक्ति जिसने कथन किया है का न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रूप में उसका परीक्षण किया गया है और न्यायालय का मत है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कथन को न्यायहित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

137. (1) जहां कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की झहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के

कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किसी कराएय व्यक्ति द्वारा किसी आगीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व आगीदारी या किसी हिन्दू अविभक्त परिवार या किसी न्यास के आगीदार या कर्ता या प्रबंध, न्यासी होने के कारण किया जाता है, उक्त अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए किए जाने के अधीन दायी होंगे । ऐसे व्यक्तियों को उपधारा (2) के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का आगी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसे ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; और

(ii) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का आगीदार अभिप्रेत है ।

138. (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या तो अभियोजन के संस्थित करने या उसके पश्चात् अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे प्रशमन रकम को ऐसी रीति से संदाय पर, जो विहित की जाए, आयुक्त द्वारा प्रशमन होगा :

परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संदर्भ में एक बार प्रशमित होने के लिए अनुजात किया गया था और खंड (1) में विनिर्दिष्ट अपराध जो उक्त उपधारा के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराध से संबंधित है ;

(ख) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन या एक करोड़ रुपए से अत्यधिक मूल्य के पूर्ति के संबंध में, किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो खंड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमन के लिए अनुजात किया गया था ;

(ग) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है, जिसने तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध भी किया है ;

(घ) कोई व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है ;

अपराधी
प्रशमन ।

(३) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उपधारा (१) के खंड (छ) या खंड (ज) या खंड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त है ; और

(च) कोई अन्य व्यक्तियों या अपराधों का वर्ग जो विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई प्रशमन अनुजात होगा जो किसी अन्य विधि के अधीन संस्थित करवाईयों, यदि कोई हो, पर प्रभाव नहीं डालता :

परंतु यह और भी कि ऐसे अपराधों में केवल अंतर्वलित कर, व्याज और शास्ति का संदाय करने के पश्चात् प्रशमन अनुजात होगा ।

(२) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए रकम, न्यूनतम रकम दस हजार रुपए या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत से, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी होगी, जो विहित की जाए ।

(३) आयुक्त द्वारा अवधारित ऐसे प्रशमन रकम के संदाय पर समान अपराध और किसी अन्य दाइक कार्यवाहियों के संबंध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन संस्थित नहीं होगी, यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही संस्थित है, समाप्त हो जाएगी ।

अध्याय 20

संक्रमणकालीन उपबंध

विद्यमान
करदाताओं
का
प्रबंधन ।

139. (१) नियत दिन से ही विद्यमान विधियों में से किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विधिमान्य स्थायी खाता संलग्नक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अनंतिम आधार पर ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी होगा, जिसे जब तक कि उपधारा (२) के अधीन अंतिम प्रमाणपत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता, रद्दकरण के लिए दायी होगा यदि इस प्रकार विहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है ।

(२) रजिस्ट्रीकरण का अंतिम प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में निरस्त है कि वह धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था ।

निवेश प्रतिदेय कर
के लिए
संक्रमणकालीन
व्यवस्थाएं ।

140. (१) धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता में, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी, जिसे उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत किया गया है,

मूल्यवर्धित कर, यदि कोई हो, की रकम के प्रत्यय को अग्रनीत करने के लिए हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यय लेने के लिए अनुजात नहीं होगा, अर्थात् :-

(i) जहां प्रत्यय की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुजेय नहीं है ; या

(ii) जहां वह नियत दिन के तत्काल पूर्व छह मास की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणी को नहीं देता है ; या

परंतु यह और कि उक्त प्रत्यय की उत्तीर्णी रकम, जो केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6, धारा 6क या धारा 8 की उपधारा (8) से संबंधित किसी ऐसे दावे के कारण है, जिसे केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं किया गया है, इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा किए जाने की पात्र नहीं होगी :

1956 का 74

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की समतुल्य रकम का उस समय विद्यमान विधि के अधीन प्रतिदाय किया जाएगा जब उक्त दावों को केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति में सिद्ध कर दिया जाता है ।

(2) धारा 10 के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूँजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय की जमा अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का, जो विवरणी में अग्रनीत नहीं की है, उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी विहित रीति में नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन लेने को समाप्ति अवधि के लिए हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुजेय उक्त जमा को जब तक जमा करने के लिए अनुजात नहीं होगा और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में भी अनुजेय है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय" पद से वह रकम अभिप्रेत है जो कि निवेश प्रतिदेय कर की रकम के घटाने के पश्चात् शेष रहती है जिसका उक्त व्यक्ति ने इनपुट कर प्रत्यय की औसत रकम से विद्यमान विधि के अधीन कराई व्यक्ति द्वारा पूँजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय की रकम प्राप्त कर ली है जो विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूँजी माल के संबंध में हकदार था ;

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था या जो किसी विद्यमान विधि के अधीन ऐसे छूट प्राप्त या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से जात हों, के विक्रय में लगा है, किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं (या जहां व्यक्ति मालों के विक्रय के समय इनपुट कर प्रत्यय के लिए

हकदार था), अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खातों में स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध-निर्मित माल या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में नियत दिन को मूल्यवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होगा, अर्थात् :—

(i) इस अधिनियम के अधीन कराधेय पूर्ति करने के लिए ऐसे निवेश या मालों के उपयोग या कराधेय पूर्ति करने के लिए उपयोग के आशयित हैं;

(ii) इस अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे निवेशों पर निवेश प्रतिदेय कर के लिए पात्र होगा;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कब्जे में बीजक या ऐसे अन्य विहित दस्तावेज, जो ऐसे इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य स्वरूप है, रखता है;

(iv) नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर जारी किए गए ऐसे बीजक या विहित दस्तावेज जारी नहीं किए गए थे;

परंतु जहां किसी विनिर्माता या सेवाओं के प्रदाता से बिल्ल कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुटों के संबंध में कर के संदाय का साक्ष्य कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखता है तब ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, जिसके अंतर्गत उक्त कराधेय व्यक्ति ऐसी जमा के लाभ हस्तांतरित करने को प्राप्तकर्ता को मूल्य की कमी के द्वारा ऐसे जमा को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसी दर पर जमा करने का अनुज्ञात होगा।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय मालों के साथ-साथ छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से जात हों, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं, के विनिर्माण में लगा है, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा,—

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी में अद्यनीत मूल्यवर्धित कर, यदि कोई हो, के जमा की रकम ; और

(ख) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से जात हों, के संबंध में नियत दिन को स्टॉक में रखे गए इनपुटों और अर्ध-निर्मित या तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों) के संबंध में मूल्यवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय की रकम ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों के संबंध में अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में मूल्यवर्धित कर, यदि कोई हो, की जमा को लेने का हकदार होगा, किंतु जिसके संबंध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अधीन पूर्तिकार द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय संबंधी दस्तावेज को, नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में लेखबद्द किया गया था :

परंतु तीस दिन की अवधि पर्याप्त कारण दर्शीत करने पर तीस दिन की और अधिक अवधि आयुक्त द्वारा विस्तारित होगी :

परंतु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन जमा के संबंध में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विवरणी देगा ।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय करता था या विद्यमान विधि के अधीन संदाय योग्य कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टाक में अंतर्विष्ट अर्ध-निर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टाक में धारित स्टाक और निवेश के संबंध में पात्र शुल्क की जमा अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात् :-

(i) इस अधिनियम के अधीन ऐसे निवेश या मालों जो प्रयोग किए गए हैं या कराधीय पूर्ति करने के लिए आशयित हैं ;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय नहीं करता है ;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे निवेशों पर निवेश प्रतिदेय कर के लिए पात्र है ;

(iv) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निवेश के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य के रूप में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज कब्जे में हैं ; और

(v) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत तारीख के तत्काल पूर्व बारह मास से पूर्व जारी नहीं किए गए थे ।

(7) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के अधीन प्रत्यय की रकम ऐसी रीति में प्रगणित होगी, जो विहित की जाए ।

141. (1) नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसरण में, जहाँ कोई इनपुट, कारबार के एक स्थान पर प्राप्त होता है और उसे उसी रूप में आगे और प्रसंस्करण, जांच, मरम्मत, पुनर्नुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी कर्मकार को आंशिक रूप से प्रसंस्करण के पश्चात् प्रेषित कर दिया जाता है और ऐसे इनपुटों को उक्त स्थान पर नियत दिन को या उसके पश्चात् वापस भेजा जाता है तो उस समय कोई कर संदेय नहीं होगा, यदि ऐसे इनपुटों को फुटकर काम के पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस भेज दिया जाता है :

फुटकर काम के संबंध में संकेतनकालीन उपबन्ध ।

परंतु छह मास की अवधि पर्याप्त कारण दर्शाएँ जाने पर दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए आयुक्त द्वारा बढ़ायी जा सकेगी :

परंतु यह और कि यदि ऐसा निवेश छह मास की अवधि के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किये जाने का दायी होगा :

(2) जहाँ कोई अद्वैत तैयार माल कारबार के किसी स्थान से नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार कतिपय विनिर्माणकारी प्रक्रियाएँ करने के लिए

किसी अन्य परिसर को प्रेषित किया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात् इस उपधारा में "उक्त माल" कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान को वापिस लौटाया जाता है तो कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल, विनिर्माणकारी प्रक्रियाएँ करने या अन्यथा के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाएँ जाने पर छह मास की अवधि को दो मास से अनधिक अवधि तक बढ़ाने के लिए आयुक्त द्वारा विस्तार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, नियत दिन से भारत में कर के संदाय पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में उक्त मालों को, वहां से आगे उनका कहीं और पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए या, यथास्थिति, छह मास के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना अंतरित कर सकेगा ।

(3) जहां कारबार के स्थान पर कोई विनिर्मित किया गया उत्पाद-शुल्क योग्य माल विनिर्माता को बिना बताए किसी अन्य प्रक्रिया अथाव बाहर परीक्षण कराए जाने हेतु शुल्क के बिना संदाय के किसी अन्य परिसर में हटा दिया गया था विद्यमान विधि के अनुसरण में नियत की गई तारीख और ऐसे माल के लिए पूर्व में उक्त स्थान पर अथवा नियत की गई तारीख के पश्चात् वापस किया जाता है, कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण के अधीन अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से नियुक्त तारीख से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस किया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाएँ जाने पर छह मास की अवधि को, आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की आगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, नियत दिन से भारत में कर के संदाय पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में उक्त मालों को, वहां से आगे उनका कहीं और पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए या, यथास्थिति, छह मास के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना अंतरित कर सकेगा ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कर उस समय संदेय नहीं होगा, यदि केवल विनिर्माता और कार्य-कर्मकार यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर और उस प्रूप और रीति में नियत तारीख पर विनिर्माता की ओर से कार्य-कर्मकार द्वारा स्टाक में रखे माल अथवा निवेश के ब्यौरे में घोषणा करेगा ।

प्रकीर्ण संक्षमण
कालीन उपबंध।

142. (1) जहां किसी माल पर कोई कर, यदि कोई है, उसके विक्रय के समय पर विद्यमान विधि के अधीन देय किया गया था, नियत तारीख से पूर्व छह मास अपेक्षा पूरे का समय ना हुआ हो, नियत तारीख के पश्चात् अथवा कारबार के स्थान पर वापस किया जाता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन देय शुल्क के वापस किए जाने के लिए पात्र होगा जहां ऐसा माल नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति को वापस किया जाता है तथा ऐसे माल का उचित अधिकारी के समाधान होने पर पहचान की जारी है :

परन्तु यह कि उक्त माल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वापस किया जाता है, ऐसे माल की वापसी पूर्ति के लिए समझी जाएगी ।

(2) (क) जहां नियत तारीख से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत तारीख के पश्चात् अथवा उससे पूर्व ऊपर की ओर पुनरीक्षित की जाती है, तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसे माल की बिक्री की गई है, प्राप्तकर्ता को ऐसे पुनरीक्षित कीमत की 30 दिन की अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टियों में अंतर्विष्ट, जैसा विहित किया जाए, अनुपूरक बीजक अथवा नामे नोट जारी करेगा तथा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा नामे नोट को इस अधिनियम के अधीन की गई बाहरी पूर्ति के संबंध में जारी किया समझा जाएगा ।

(ख) जहां नियत तारीख से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत तारीख के पश्चात् अथवा उससे पूर्व नीचे की ओर पुनरीक्षित की जाती है, तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसके द्वारा ऐसे माल की बिक्री की गई है, प्राप्तकर्ता को, ऐसे पुनरीक्षित कीमत की 30 दिन की अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टियों में अंतर्विष्ट जैसा विहित किया जाए जमा पत्र जारी करेगा तथा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए ऐसे जमा पत्र को इस अधिनियम के अधीन की गई बाहरी पूर्ति के संबंध में जारी किया समझा जाएगा :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को केवल जमा पत्र के जारी किए जाने पर दायी उसके कर को कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि जमा पत्र के पाने पर दायी कर के ऐसे कम करने के लिए तत्स्थानी उसका इनपुट कर प्रत्यय घट जाता है ।

(3) विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय, कर, ब्याज अथवा कोई अन्य रकम के प्रतिदाय हेतु किसी व्यक्ति के द्वारा फाइल किए गए प्रतिदाय के लिए प्रत्येक दावा विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाया जाएगा और उसके लिए प्रोटमूल की गई पारिणामिक किसी रकम को विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद संदेय किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां इनपुट कर प्रत्यय की रकम के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख के रूप में उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है ।

(4) नियत तारीख के पश्चात् अथवा उसके पूर्व निर्यात किए गए किसी माल या सेवा के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन किसी संदेश कर के प्रतिदाय हेतु नियत तारीख के पश्चात् फाइल किए गए प्रतिदाय हेतु प्रत्येक दावा, विद्यमान विधि के अनुसार निपटाया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा आगतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख के रूप में उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अद्येतिथ किया गया है ।

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नियत दिन से पूर्व प्रतिलोम किये गए इनपुट कर प्रत्यय की कोई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर के प्रत्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी ।

(6)(क) विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय हेतु दावे के संबंध में आशयित प्रत्येक अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह नियत तारीख के पूर्व, को अथवा पश्चात् की गई हो विद्यमान विधि के अनुसरण में निस्तारित की जाएगी तथा दावाकर्ता के लिए स्वीकार की गई पायी जाने वाली प्रत्यय की कोई रकम विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, नगद प्रतिदाय की जाएगी और वह अस्वीकार की गई रकम यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी :

परन्तु यह कि इनपुट कर प्रत्यय की रकम में से कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत के तारीख के रूप में उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अद्येतिथ किया गया है ।

(ख) विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के वसूली के संबंध में आशयित प्रत्येक अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह नियत तारीख के पूर्व, को अथवा पश्चात् की गई हो विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रूप में वसूल योग्य है उसी रूप में जब तक विद्यमान विधि के अधीन वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली होगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी ।

(7)(क) आउटपुट कर दायित्व के संबंध में आशयित प्रत्येक अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पूर्व, को अथवा पश्चात् की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रूप में वसूल योग्य है उसी रूप में जब तक विद्यमान विधि के अधीन वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की

जाने वाली होगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी ।

(ख) आउटपुट कर दायित्व के संबंध में आशयित प्रत्येक अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अथवा लिंदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पूर्व, को अथवा पश्चात् की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार निपटाई जाएगी तथा कोई दावाकर्ता के लिए रकम स्वीकार योग्य पाए जाने पर विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में नगद प्रतिदाय की जाएगी और वह अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी ।

(8)(क) जहां विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन के पूर्व, को या उसके पश्चात् संस्थित निर्धारण या न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के अनुसरण में किसी कर, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की रकम किसी व्यक्ति वसूलनीय हो जाती है तो उस रकम को जब तक कि विद्यमान विधि के अधीन वसूल न की गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूला जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी ।

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन के पूर्व, को या उसके पश्चात् संस्थित निर्धारण या न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के अनुसरण में किसी कर, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की रकम कराधीय व्यक्ति को प्रतिदेय हो जाती है तो उस रकम का उसे उक्त विधि के अधीन नकद में प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी ।

(9)(क) जहां कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत की जाती है, का नियत दिन के पश्चात् पुनरीक्षण किया जाता है है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम वसूलनीय पायी जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय की रकम अनुज्ञेय पायी जाती है तो उसको विद्यमान विधि के अधीन वसूला जाएगा, उसकी इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन करनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी ।

(ख) जहां कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत की जाती है का, नियत तारीख के पश्चात् परन्तु विद्यमान विधि के अधीन ऐसे पुनरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम प्रतिदाय की जानी पाई जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय किसी कर योग्य व्यक्ति के लिए स्वीकार्य पाई जाती है, विद्यमान विधि के अधीन, नगद प्रतिदाय की जाएगी और अस्वीकार की गई रकम यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी ।

(10) इस अध्याय में यथा उपबंधित के सिवाय नियत तारीख के पूर्व की गई किसी संविदा के अनुसरण में नियत तारीख को या के पश्चात् अथवा माल या सेवा अथवा दोनों पूर्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के लिए दायी होगा ।

(11) (क) धारा 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के

अधीन मालों पर कोई कर उस विस्तार तक संदेय नहीं होगा जिस तक उक्त मालों पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन उक्त माल पर कर उद्ग्रहीत किया गया था।

1994 का 12

(ख) धारा 13 में अंतर्विष्ट होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर कोई कर उस सीमा तक देय नहीं होगा जहाँ तक वह वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन उक्त सेवाओं पर उद्ग्रहीत किया गया था।

1994 का 32

(ग) जहाँ उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 दोनों के अधीन किसी पूर्ति पर कर संदाय कर दिया गया है, ऐसा कर इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किया जाएगा तथा कर योग्य व्यक्ति नियत तारीख के पश्चात् किए गए प्रदायों की सीमा तक विद्यमान विधि के अधीन मूल्यवर्धित कर या सेवा कर के प्रत्यय को लेने का हकदार होगा तथा ऐसे प्रत्यय की उस रीति में जैसी विहित की जाए गणना की जाएगी।

(12) जहाँ कोई माल नियत तारीख के पूर्व छह मास से पूर्व अनधिक अवधि के अनुमोदन के आधार पर भेजा जाता है, वहाँ क्रेता द्वारा वापस किया जाता है अथवा अनुमोदन नहीं किया जाता है और नियत तारीख के पश्चात् अथवा उस तारीख को विक्रेता को वापस किया जाता है, उस पर कोई कर नहीं देय होगा यदि ऐसा माल नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर वापस किया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाएँ जाने पर छह मास की अवधि को दो मास से अनधिक अवधि तक बढ़ाने के लिए आयुक्त द्वारा विस्तार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि कर माल के वापस किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा कर देय होगा यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी होता है तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् वापस किया जाता है :

परन्तु यह भी कि कर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कर संदेय किया जाएगा जिसने अनुमोदन के आधार पर माल को भेजा है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है, तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है।

(13) जहाँ पूर्तिकार ने ऐसे माल का कोई विक्रय किया है जिसके संबंध में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था और नियत तारीख के पूर्व बीजक भी जारी किया गया है, धारा 51 के अधीन स्रोत पर उक्त धारा के अधीन कटौतीकर्ता के द्वारा किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी जहाँ उक्त पूर्तिकार को संदाय नियत तारीख के पश्चात् किया जाता है।

(14) जहाँ प्रधान के कोई माल या पूँजी माल नियत दिन को अभिकर्ता के परिसरों में रखे हैं, वहाँ अभिकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए ऐसे मालों पर संदत्त कर का प्रत्यय लेने के लिए हकदार होगा, अर्थात् :-

- (i) अभिकर्ता इस अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कराधीय व्यक्ति है ;
- (ii) प्रधान और अभिकर्ता, दोनों ही नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को ऐसे

अभिकर्ता के पास रखे मालों या पूँजी मालों के स्टॉक के व्यारों की घोषणा ऐसे प्रक्रम और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर करते हैं, जो इस निमित्त विहित किया जाए;

(iii) ऐसे मालों या पूँजी मालों के लिए बीजक नियत दिन से ठीक पूर्व के बारह मासों की अवधि से पूर्व जारी नहीं किए गए थे; और

(iv) प्रधान ने या तो ऐसे,—

(क) मालों ; या

(ख) पूँजी मालों,

के संबंध में या तो इनपुट कर प्रत्यय को वापस कर दिया है या उसका फायदा नहीं लिया है या ऐसे प्रत्यय का फायदा ले लेने के पश्चात् उसे, उसके द्वारा लिए गए फायदे की सीमा तक वापस लौटा दिया है।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "पूँजी माल" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका उत्तराखण्ड मूल्यवर्तित कर अधिनियम, 2005 में है।

अध्याय 21

प्रकीर्ण

छुटपुट कार्य की प्रक्रिया।

143. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (इसके पश्चात् इस धारा में "प्रधान" के रूप में उल्लिखित किया गया है) । ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाए और सूचना के अधीन छुटपुट कार्य के लिए छुटपुट कार्य को बिना कर के संदाय के कोई निवेश अथवा पूँजीमाल भेज सकता है तथा पश्चात्वर्ती रूप में अन्य छुटपुट कार्य को भेज सकता है, और—

(क) छुटपुट कार्य या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् निवेश या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से बिन्न पूँजी लाभ कर के संदाय के बिना, कारबार के उसके किसी स्थान को उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, वापस लाएगा;

(ख) छुटपुट कार्य या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् निवेश या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों से बिन्न पूँजी लाभ कर के संदाय के बिना, भारत के भीतर अथवा निर्यात के लिए कर से संदाय के बिना अर्थात् उसके साथ जैसी स्थिति हो कर के संदाय पर छुटपुट कर्मकार के कारबार के उसके किसी स्थान को उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, पूर्ति करेगा :

परन्तु यह कि प्रधान इस खंड के प्राविधानों के अनुक्रम में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से माल की पूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक उक्त प्रधान उस दशा के सिवाए कारबार के अतिरिक्त स्थान की घोषणा नहीं करता है—

(i) जहां छुटपुट कर्मकार धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; अथवा

(ii) जहां प्रधान ऐसे माल की पूर्ति में लगा हुआ है जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(2) इनपुट अथवा पूँजी माल के लिए उपयुक्त लेखाओं को रखने का उत्तरदायित्व प्रधान पर होगी।

(3) जहां छुटपुट कार्य हेतु भेजा गया इनपुट उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में छुटपुट कार्य से भिन्न कार्य के पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा प्रधान द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने के एक वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से पूर्ति नहीं की जाती है, इसे यह समझा जाएगा कि ऐसे इनपुट की छुटपुट कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा पूर्ति की गई थी उस दिन जब उक्त निवेश बाहर भेजे गए थे।

(4) जहां छुटपुट कार्य हेतु भेजे गए सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूँजी माल उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में प्रधान द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने की तीन वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से पूर्ति नहीं की जाती है, इसे यह समझा जाएगा कि ऐसे पूँजी माल छुटपुट कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा पूर्ति की गई थी उस दिन जब उक्त पूँजी माल बाहर भेजे गए थे।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अपशिष्ट और छुटपुट कार्य के दौरान उत्पादित स्क्रेप कर के संदाय पर कारबार के उसके स्थान से सीधे छुटपुट कर्मकार के द्वारा पूर्ति की जा सकती है, यदि ऐसा छुटपुट कर्मकार रजिस्ट्रीकृत है अथवा प्रधान द्वारा यदि छुटपुट कर्मकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

स्पष्टीकरण—छुटपुट कार्य के उद्देश्य हेतु इनपुट में प्रधान या किसी छुटपुट कर्मकार द्वारा इनपुट पर लाए गए किसी उपाय या कार्रवाई से उद्भूत होने वाले मध्यवर्ती माल सम्मिलित हैं।

144. जहां कोई दस्तावेज—

कठिपय मामलों
में दस्तावेजों के
लिए उपधारणा,
छूट प्राप्त
करना।

(i) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है; अथवा

(ii) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण से अभिग्रहण किया गया है; अथवा

(iii) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही के क्रम में भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त किया गया है,

और ऐसा दस्तावेज उसके अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसने उससे संयुक्त होने का प्रयास किया हो, उसके विरुद्ध अभियोजन द्वारा निविदित किया गया हो, न्यायालय—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, उपधारणा की जाएगी।

(i) ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु की सत्यता;

(ii) यह कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग जिसका तात्पर्य किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा हस्तालिखित हो अथवा जिसे न्यायालय ने उद्धित कारणों के लिए हस्ताक्षर कराया हो अथवा किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा हस्तालिखित किया गया हो और ऐसे निष्पादित या अभिप्रमाणित

दस्तावेज की दशा में इस प्रकार उसका तात्पर्य निष्पादन या अभिप्राणन किया गया हो ;

(ख) यह होते हुए भी कि यह सम्यकतः स्टॉपिट नहीं है, मैं दस्तावेज स्वीकार करेगा, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में गृहीय है ।

145. तत्समयप्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए--

(क) ऐसे माईक्रोफिल्म में लगी हुई छाया या छायाओं के पुनरुत्पादन या दस्तावेजों की माईक्रोफिल्म (चाहे वह बड़ी हो अथवा नहीं); या

(ख) किसी दस्तावेज की प्रतिकृति प्रति; या

(ग) किसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट कोई विवरण और जिसमें किसी कम्प्यूटर द्वारा जनित कोई मुद्रित सामग्री भी शामिल है, ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाए ; या

(घ) किसी युक्ति या संचार माध्यम में इलैक्ट्रॉनिक रूप से भंडारित कोई सूचना जिसमें ऐसी सूचना की हाई प्रतियां भी शामिल हैं,

को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजन के लिए एक दस्तावेज के रूप में समझा जाएगा और उसके अधीन किसी कार्गवाई में, किसी और सबूत या मूल दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के बिना ही ऐसे ग्राह्य होगा जैसे मूल दस्तावेज की कोई विषय वस्तु के साक्ष्य के रूप में या उसमें कथित कोई तथ्य या साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा ।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाने गये नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में कथन करने की ईप्सा की गयी है, कोई ऐसा प्रमाणपत्र—

(क) जो ऐसे दस्तावेज को परिलक्षित करता है जिसमें कथन अन्तर्विष्ट है और उस रीति का वर्णन करता है जिसमें इसे लिया गया है ;

(ख) जो उस दस्तावेज को बनाने में शामिल किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियों को देता है जो यह प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि दस्तावेज को किसी कम्प्यूटर द्वारा बनाया गया था,

प्रमाण पत्र में कथित किसी मामले का साक्ष्य होगा और इस उपधारा से प्रयोजन हेतु यह इसका कथन करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी और विश्वास से कहा गया कथन होने के मामले में पर्याप्त होगा ।

146. सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकरण प्रमुखिया, कर के संदाय, विवरणी के प्रस्तुतीकरण एकीकृत कर की संगणना और निपटान, इलैक्ट्रॉनिक वे बिल को सुकर बनाने के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाए के लिए सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल को अधिसूचित कर सकेगी ।

147. सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर जहां पूर्ति किया गया माल भारत नहीं

सामान्य पोर्टल ।

नियोत समझा

छोड़ता है और ऐसी पूर्ति के लिए संदाय भारतीय रूपए या संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो गया है, यदि ऐसा माल भारत में विनिमित किया गया है, कतिपय माल की पूर्ति को नियति के रूप में समझा जाना अधिसूचित कर सकेगी।

148. सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और सुरक्षा के अधीन जो विहित किए जाए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों और ऐसे कराधीय व्यक्तियों, जिसमें रजिस्ट्रीकरण से संबंधित, विवरणी का प्रस्तुतीकरण कर का संदाय और ऐसे कराधीय व्यक्तियों का प्रशासन भी शामिल है, द्वारा अनुसरण की जाने वाली विशेष पद्धति को अधिसूचित कर सकेगी।

149. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुपालन के उसके अभिलेख पर आधारित सरकार द्वारा एक माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग समानुदेशित कर सकेगी।

(2) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को ऐसे मानकों के आधार पर जो विहित किए जाए, अवधारित किया जा सकेगा।

(3) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को आवधिक अन्तरालों पर अद्यतन किया जा सकेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सूचित किया जा सकेगा तथा ऐसी रीते जो विहित की जाए से पब्लिक डोमेन में भी रखा जा सकेगा।

150. (1) कोई व्यक्ति-

(क) कोई कराधीय व्यक्ति होने के कारण ; या

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य पब्लिक निकाय या संगम होने के कारण ; या

(ग) मूल्य संवर्धित कर या विक्रय कर या राज्य आउटपुट कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी या उत्पाद-शुल्क या सीमा शुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी केन्द्र सरकार का कोई प्राधिकारी होने के कारण ; या

1961 का 43

(घ) आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आयकर प्राधिकारी होने के कारण ; या

1934 का 2

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क के अर्थ के अंतर्गत कोई बैंक कंपनी; या

2003 का 36

(च) विद्युत अधिनियम, 2003 या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्यों से न्यस्त कोई इकाई के अधीन कोई राज्य विद्युत बोर्ड या कोई विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञानिधारक; या

विवरणी।

कतिपय प्राधिकारी के लिए विशेष पद्धति।

माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग।

सूचना विवरणी प्रस्तुत करने वाली वाध्यता।

(छ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार; या

1908 का 56

(ज) कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थान्तर्गत कोई रजिस्ट्रार; या

2013 का 18

(झ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटर यान का रजिस्ट्रार करने को सशक्त करने वाला रजिस्टर करने वाला प्राधिकारी ; या

1988 का 59

(ज) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उपित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम सं. 30) की धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कलक्टर होने के कारण इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के अधीन सदावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकत किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी ; या

2013 का 30

(ट) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज; या

1956 का 42

(ठ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) में निर्दिष्ट निक्षेपागार; या

1996 का 22

(ड) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन यथागठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी; या

1934 का 2

(ढ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कोई रजिस्ट्र्ड कंपनी, माल और सेवा कर नेटवर्क; या

2013 का 18

(ण) धारा 25 की उपधारा (9) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया विशेष पहचान संख्या; या

(त) सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति;

जो, तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन, लेखा रजिस्ट्रीकरण या विवरण या कोई आवधिक विवरणी या कर और माल या सेवा के संव्यवहार के अन्य ब्यौरे के अंतर्विष्ट संदाय के दस्तावेज या दोनों या किसी बैंक खाता से संबंधित संव्यवहार या विद्युत खपत या क्रय, विक्रय के संव्यवहार या माल या संपत्ति का आदान प्रदान या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए ऐसी अवधि, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्रक्रम या रीति में और यथाविनिर्दिष्ट, ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण के संबंध में उसकी सूचना की विवरणी भरने का उत्तरदायित्व होगा ।

(2) जहां आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राप्तिकृत कोई अधिकारी, सूचना विवरणी में दी गई उस सूचना जो त्रुटिपूर्ण है, को विचार में लेगा, वह त्रुटिपूर्ण ऐसी सूचना विवरण भरने वाले उस व्यक्ति को सूचित करेगा और उसको ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या जो कि उसकी ओर से किए गए आवेदन पर ऐसी और अवधि के भीतर त्रुटिपूर्ण के परिशोधन करने का एक अवसर देगा, उक्त प्राधिकारी अनुजात करेगा और यदि त्रुटि का परिशोधन उक्त तीस दिन की अवधि या उसे अनुजात की गई अवधि के भीतर नहीं किया गया है तो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बाते के होते हुए भी, ऐसी सूचना विवरणी भरी हुई नहीं समझी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे ।

(3) जहां कोई व्यक्ति, जिससे सूचना विवरणी दिया जाना अपेक्षित है उसे वह उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो उक्त प्राधिकारी उसे सूचना परिदान की तारीख से नब्बे दिनों की अनधिक अवधि के भीतर ऐसी सूचना विवरणी देने की अपेक्षा का नोटिस दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति सूचना विवरणी देगा ।

151. (1) आयुक्त, यदि यह विचार करता है कि ऐसा किया जाना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा, उससे संबंधित या इस अधिनियम के संबंध में किसी मामले से संबंधित सांछिकी का संग्रहण करने को निदेश दे सकेगा।

सांछिकी संग्रहण की शर्त ।

(2) ऐसी अधिसूचना जारी करने पर आयुक्त या उसकी ओर से या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यथा विहित, ऐसे प्ररूप और रीति में उन सांछिकीयों के संग्रहण से संबंधित किसी मामले के संबंध में, ऐसी सूचना या विवरणी देने के लिए संबंधित व्यक्ति को बुला सकेगा।

सूचना के भवान पर वर्जन।

152. (1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए दी गई किसी भी बात के संबंध में किसी व्यष्टि विवरणी या उसके आग की सूचना, बिना सहमति के अनुरूप या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी ताकि विशिष्ट व्यक्ति के यथाविनिर्दिष्ट पहचान किए गए ऐसी विवरणी को सक्षम बना सके और ऐसी सूचना इस अधिनियम के अधीन किसी प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन को छोड़कर, कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन सांछिकी संग्रहण में या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संकलन या उसके कंप्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, को, धारा 151 में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई व्यष्टि विवरणी को देखने या उसकी पंहुच तक को अनुज्ञात करेगा।

(3) इस धारा की किसी बात का कराद्येय व्यक्ति वर्ग या संव्यवहार वर्ग से संबंधित कोई सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगा, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछनीय है।

153. सहायक आयुक्त की पंक्ति से कम नहीं कोई अधिकारी, मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित के संबंध को ध्यान में रखते हुए, उसके समक्ष संविक्षा, जांच अन्वेषण या कोई अन्य प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त कर सकेगा।

किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना।

154. आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जहां वह यह विचार करता है कि यह आवश्यक है किसी कराद्येय व्यक्ति के कब्जे से माल के नमूने ले सकेगा, और लिए गए किसी भी नमूनों की रसीद उपलब्ध कराएगा।

नमूनों को प्राप्त करने की शक्ति।

155. जहां कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह उस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, ऐसे दावे को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा।

सबूत का भार।

156. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत आने वाले लोक सेवक समझे जाएंगे।

व्यक्ति लोक सेवक समझा जाएगा।

157. (1) कोई वाट, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई कोई बात या सद्वाव में किए जाने को आशयित के लिए या अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या उक्त अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी।

(2) कोई वाट, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सदभाव में की गई कोई बात या किए जाने को आशयित के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी ।

लोक नेवक द्वारा सूचना का प्रकट किया जाना ।

158. (1) इस अधिनियम के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए विवरण, दी गई विवरणीया तेखा या दस्तावेजों या (दंड न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों से भिन्न) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के अनुक्रम में दिए गए साक्ष्य का कोई अभिलेख या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के किसी अभिलेख में अंतर्विष्ट सभी विवरणों को उपधारा (3) में यथाउपबंधित के सिवाय प्रकट नहीं किया जाएगा ।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए, कोई न्यायालय, उपधारा (3) में यथाउपबंधित के सिवाय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण के संबंध में उसके पेश किए जाने से पहले या साक्ष्य दिए जाने से पहले इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई अधिकारी से अपेक्षा नहीं करेगा ।

1872 का ।

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के,—

(क) भारतीय दंड संहिता या अष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजन के लिए किसी विवरण, विवरणीय, लेखाओं, दस्तावेजों, साक्ष्य, शपथपत्र या अभिसाक्ष्य के संबंध में कोई विशिष्टियां ; या

1880 का 45
1988 का 49

(ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वयित करने के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कार्यकारी किसी व्यक्ति की कोई विशिष्टियां ; या

(ग) किसी नोटिस के तामिल या किसी मांग की वस्त्री के लिए इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण कार्य द्वारा की गई किसी कार्यवाही के फलस्वरूप जहां ऐसे प्रकटन के कारण कोई विशिष्टियां; या

(घ) किसी भी वाद या कार्यवाहियों में एक सिविल न्यायालय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन सरकार या कोई प्राधिकारी, एक पक्षकार है जो कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाहियों में उठने वाले किसी मामले से संबंधित है, इसके अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसे किसी प्राधिकारी को प्राधिकृत करता है की कोई विशिष्टियां ; या

(ङ) इस अधिनियम द्वारा कर प्राप्ति की लेखापरीक्षा या अधिरोपित कर के प्रतिदाय के प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अधिकारी की कोई विशिष्टियां ; या

(च) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी जांच करने के प्रयोजन के लिए जहां ऐसे विवरण सुसंगत है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जांच अधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति या नियुक्त व्यक्ति के कोई विशिष्टियां ; या

(छ) कर या शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने के

प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी की कोई ऐसी विशिष्टियां; या

(ज) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन उसकी या उसकी शक्तियां कोई लोक सेवक या कोई अन्य कानूनी प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्ण कार्य द्वारा जब ऐसे प्रकटन के कारण कोई विशिष्टियां; या

(झ) यथास्थिति, किसी विधि व्यवसाय, किसी लागत लेखाकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव के व्यवसाय में व्यवसायरत सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकारी को सशक्ति किए जाने के लिए विधि व्यवसाय अधिवक्ता, कर व्यवसायिक, लागत लेखाकार चार्टर्ड अकाउंटेंट; कंपनी सचिव के व्यवसाय में लगे हुए के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के संबंध में अवचार के आरोपी में की गई जांच से संबंधित कोई विशिष्टियां; या

(झ) डाटा प्रविष्टि या स्वचालित प्रणाली के प्रयोजन के लिए या संचालन, उन्नत करने या किसी स्वचालित प्रणाली के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए जहां ऐसे अभिकरण पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए को छोड़ ऐसी विशिष्टियों के प्रयोग या प्रकट करने की संविदा आबद्ध नहीं है, किसी अभिकरण का नियुक्ति किए जाने की कोई विशिष्टियां; या

(ठ) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के प्रयोजन के लिए यथाआवश्यक सरकार के किसी अधिकारी की कोई विशिष्टियां; और

(ठ) प्रकाशन के लिए किसी कराधेय व्यक्तियों के प्रवर्ग या संघवहार के वर्ग की ऐसी सूचना का प्रकाशन यदि, आयुक्त की राय में यह लोकहित में वांछनीय है, से संबंधित कोई सूचना,

को प्रकटन करने को लागू होगी।

159. (1) यदि आयुक्त, या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी की यह राय है कि ऐसे व्यक्तियों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों या अभियोजन से संबंधित किसी व्यक्ति का नाम और कोई अन्य विशिष्टियां का प्रकाशन लोकहित में आवश्यक या समझे, ऐसी रीति में ऐसे नाम और विशिष्टियां का प्रकाशन कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में की जाती है जब तक धारा 107 के अधीन अपील प्राधिकारी को कोई अपील प्रस्तुत करने के लिए समय किसी अपील को प्रस्तुत किए बिना अवसान हो जाता है या कोई अपील यदि प्रस्तुत की जाती है, का निपटारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—यथास्थिति, फर्म, कंपनी या व्यक्तियों का संगम, फर्म के भागीदारों का नाम, कंपनी के निदेशकों, प्रबंधकीय अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों या सदस्यों का संगम की दशा में; प्रकाशित किया जा सकेगा, यदि आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की राय में मामले की परिस्थिति न्यायोचित ठहराई गई है।

कितिपर्य मामलों
में व्यक्ति के
विषय में सूचना
का प्रकाशन।

कानूनी स्तरों पर
निर्धारण
कार्यवाहियां, आदि
का अधिकारिता न
किया जाना।

160. (1) इस अधिनियम के किसी उपबंधों के अनुसरण में कोई निर्धारण पुनःनिर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनःविलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या की गई अन्य कार्यवाहियां, प्रतिग्रहण, बनाए गए, जारी किया गया, आरंभ किया गया अविधिमान्य या उसमें किसी गलती, त्रुटि या लोप होने के कारण अविधिमान्य समझा नहीं जाएगा, यदि ऐसे निर्धारण, पुनःनिर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनःविलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाहियां इस अधिनियम या विद्यमान किसी विधि के आशय, प्रयोजन और अपेक्षा अनुरूपता या के अनुसरण में सार और प्रभाव हैं।

(2) नोटिस, आदेश या संचार की तामील, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यदि यथास्थिति, नोटिस, आदेश या संचार उस व्यक्ति को पहले ही पहुंचा दिया गया है जिसके नाम उसे जारी किया गया है जहां ऐसे तामील प्रश्नगत नहीं किया गया है या ऐसे नोटिस, आदेश या संचार के अनुसरण में पूर्व प्रारंभिक कार्यवाहियां चालू और अतिक्रम में की गई हो।

अभिलेख पर प्रकट
त्रुटि का
परिशोधन।

161. धारा 160 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी अन्य बातों के होते हुए भी कोई प्राधिकारी, जो किसी परित या जारी कोई विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज में किसी त्रुटि का परिशोधन कर सकेगा जिसमें ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज में अभिलेख को देखने से ही प्रकट होता है, या तो उसके स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर या जहां ऐसी त्रुटियां इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी द्वारा उसके संज्ञान में लाई जाती है या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र था कोई अन्य दस्तावेज के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के दौरान प्रभावित व्यक्ति द्वारा उसकी जानकारी में लाई जाती है :

परंतु यह कि ऐसे परिशोधन ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य कोई दस्तावेज के जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के पश्चात् किया जाएगा :

परंतु यह और कि उक्त छह मास की अवधि ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां परिशोधन लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि, किसी घटनावश चूक या लोप से उद्भूत संशोधन के स्वरूप में शुद्धता की गई हो :

परंतु यह भी कोई व्यक्ति ऐसे परिशोधन के प्रतिकूल प्रभावित है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का ऐसे परिशोधन किए जाने का प्राधिकारी द्वारा पालन किया गया हो।

162. धारा 117 और 118 में यथाउपबंधित के सिवाय कोई सिविल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या किया गया तात्पर्यित है से संबंधित कार्यवाही करना या किसी प्रश्न से उद्भूत विनिश्चय की अधिकारिता नहीं होगी।

163. जहां कहीं किसी आदेश या दस्तावेज की प्रति उस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है, वहां यथाविनिर्दिष्ट ऐसी फीस संदर्भ की जाएगी।

164. (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशो पर, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वयन करने के लिए नियम बना सकेगी।

फीस उद्धरण।

नियमों को बनाने
की सरकार की
शक्ति।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर साधारणतया प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, सभी या इस अधिनियम द्वारा कोई भी मामले जो अपेक्षित है या विहित किया गया है या उन उपबंधों के संबंध में जो किए जाने हैं या नियमों द्वारा बनाए जा सके, नियम बना सकेगी।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में या उनमें से किन्हीं को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी जो उस तारीख से पूर्ववर्ती तारीख नहीं होगी जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवत्त होत है।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बनाए गए कोई नियमों का उल्लंघन करने पर दस हजार से अनाधिक शास्ति लगाए जाने के दायी का उपबंध कर सकेगा।

165. सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ संगत विनियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

विनियम ब-॥-।
की शक्ति ।

166. इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम, सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम और सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसे बनाए जाने के पश्चात् राज्य विधान-मंडल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगी और यदि पूर्वक सत्र या अनुक्रमिक सत्रों से तुरंत पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान-मंडल नियम, विनियम या अधिसूचना जैसी भी स्थिति हो, में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या राज्य विधान-मंडल इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि ऐसे नियम, विनियम या अधिसूचना को नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, विनियम या अधिसूचना जैसी भी स्थिति हो, उसके पश्चात् यथास्थिति केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या अप्रभावी, जैसी भी स्थिति हो, रहेगी; तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, इस नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

नियम, विनियम
और अधिसूचनाएँ
का रखा जाना ।

167. आयुक्त, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई है, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या कार्यालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, ऐसी अधिसूचना में जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए किसी और प्राधिकारी या कार्यालय द्वारा भी प्रयोग करने का निदेश कर सकेगा।

शक्तियों का
प्रत्ययोजन ।

168. (1) आयुक्त, यदि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राज्य कर अधिकारियों को जो उचित समझे ऐसा आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा और इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित सभी ऐसे अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का संप्रेक्षण और पालन करेंगे।

अनुदेशों या
निदेशों को जारी
करना ।

(2) धारा 2 के खंड (91), धारा 5 की उपधारा (3), धारा 25 की उपधारा (9) के खंड (ख), धारा 37 की उपधारा (1), धारा 38 की उपधारा (2), धारा 39 की उपधारा (6), धारा

35 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 66 की उपधारा (5) धारा 143 की उपधारा (1), धारा 158 की उपधारा (3) के खंड (1), धारा 151 की उपधारा (1), धारा 168 और धारा 167 में विनिर्दिष्ट आयुक्त से ऐसे आयुक्त अभिप्रेत हैं जो उक्त धाराओं में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग सरकार के अनुमोदन से करेंगे ।

कल्पना मामलों में
नोटिस की
तामील ।

169. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या अन्य संसूचना को निम्नलिखित किन्हीं पद्धतियों द्वारा तामील की जाएगी, अर्थात्--

(क) प्रेषिती कराधीय व्यक्ति को या उसके प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि या अधिकता या कर व्यवसायी जिसके पास कराधीय व्यक्ति की ओर से कार्यवाहियों में पेश होने का प्राधिकार है या कारबार के संबंध में उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति को या कराधीय व्यक्ति के साथ रह रहे किसी व्यस्क व्यक्ति को सीधे देकर या सुपुर्द करके या संदेशवाहक जिसके अंतर्गत कुरियर भी है, के द्वारा;

(ख) व्यक्ति, जिससे आशयित है या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि कोई है, उसके कारबार या निवास का अंतिम स्थान जो जानकारी में है, को जिससे अभिस्वीकृति देय है रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर संशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा;

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा;

(ङ) परिक्षेत्र जहां, कराधीय व्यक्ति या व्यक्ति जिसे यह जारी किया गया था, अंतिम जात रूप में रहता था, कारबार करता था या व्यैक्तिक तौर पर अभिलाभ के लिए कार्य करता था, समाचारपत्र में प्रकाशन करके प्रचालन द्वारा;

(च) यदि उपर्युक्त कोई ढंग व्यवहारिक नहीं है, तो उसके निवास या कारबार के अंतिम स्थान पर किसी सहज दृश्य जगह चिपकाने के द्वारा और यदि किसी कारणवश ऐसी पद्धति भी व्यवहारिक नहीं होती है तो संबद्ध कार्यालय या प्राधिकारी जिसने या जिसके द्वारा ऐसा विनिश्चय या आदेश या समन या नोटिस जारी किया गया है, के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के द्वारा तामील की जाएगी ।

(2) प्रत्येक विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना की उसी तारीख को तामील हुई समझी जाएगी जिस पर इसे सुपुर्द किया गया या प्रकाशित किया गया या उपधारा (1) में उपबंधित रीति से एक प्रति वहां चिपकाई गई ।

(3) जब ऐसे विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया, तो सामान्यतः जितनी अवधि ऐसी डाक को पहुंचने में लगती है, के अनुसार प्रेषिती द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं होता ।

170. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर की रकम, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य संदेय रकम और प्रतिदाय की रकम या कोई अन्य देय रकम निकटतम रूपए के लिए पूर्णाकित होगी और, इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम जिसमें रूपए का एक भाग पैसे के रूप में है, तब यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है, तो एक रूपए तक बढ़ाया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

कर का पूर्णाकित
आदि ।

171. (1) किसी माल या सेवाओं या ईनपुट कर प्रत्यय के फायदे पर कर की दर में किसी कमी के मूल्यों में अनुरूप कमी के तौर पर प्राप्तकर्ता को दें दी जाएगी ।

अधिनियमों
निरूपित ।

(2) केन्द्रीय सरकार यह परीक्षा करने के लिए कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग ईनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी से वास्तव में परिणामतः माल और सेवाओं या उसके द्वारा पूर्ति किए गए दोनों के मूल्यों में अनुरूप कमी हुई है, परिषद् की सिफारिशों पर, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिसूचना द्वारा, प्राधिकारी का गठन या किसी विद्ययमान प्राधिकारी को सशक्त बना सकेगी ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी यथाविहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

172. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, किसी साधारण या किसी विशेष आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीक्षीय प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी/ऐसे उपबंध कर सकेगी :

कठिनाईयों को
दूर करना ।

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

173. इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,—

कठिनाई
अधिनियमों का
संशोधन ।

(i) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश मुनिसिपल कारपोरेशन अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 की धारा 192 तथा धारा 172 की उपधारा 2 का खंड (ज) विलोपित कर दिया जायेगा;

(ii) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कराधान और भू राजस्व विधि अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 का अध्याय 2 (धारा 2 से 13 तक) विलोपित कर दिया जायेगा;

174. (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही निम्नलिखित अधिनियमों का निरसन किया जाता है, अर्थात् :—

निरसन और
व्यापृति ।

(i) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित मालों के सिवाय, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 ;

(ii) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित मालों के सिवाय, उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015;

(iii) उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 ;

(iv) उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवर्त) ;

(v) उत्तर प्रदेश विजापन कर अधिनियम, 1981 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवर्त) ;

1959 का
अधिनियम सं २

1975 का
अधिनियम सं ८

2005 का
अधिनियम सं २०

2015 का
अधिनियम सं २३

1989 का
अधिनियम सं २८

1981 का
अधिनियम सं १६

(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है) ।

(2) धारा 173 या उपधारा (1) में उल्लिखित विस्तार तक उक्त अधिनियमों का निरसन और धारा 173 में विनिर्दिष्ट अधिनियमों का संशोधन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् यथास्थिति "ऐसा संशोधन" या "संशोधित अधिनियम" कहा गया है),--

(क) ऐसे संशोधन या निरसन के समय किसी भी प्रवृत्त या विद्यमान को पुनः प्रवर्तित नहीं करेगा ; या

(ख) पूर्व प्रथालित संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम और आदेश या उसके अधीन सम्यक् रूप से किए गए या भुक्ती गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा ; या

(ग) ऐसे निरसित या संशोधित अधिनियमों के अधीन संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम या आदेश किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाईयता, या अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत दायित्व को नहीं करेगा :

परंतु यह कि किसी अधिसूचना के द्वारा विनिवेश पर प्रोत्साहन के रूप में अनुदत्त कोई कर छूट, विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी, यदि नियत दिन पर या उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना विखंडित हो जाती है :

(घ) किसी कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज जो देय हैं या देय हो सकते हैं या कोई समपहरण या संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के उपबंधों के खिलाफ किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत या दिए गए दंड को प्रभावित नहीं करेगा ;

(ङ) किसी अन्वेषण, जांच, निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य कोई विधिक कार्यवाही या बकायों की वसूली या यथापूर्वाक्त किसी कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाईयता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य विधिक कार्यवाहियों या बकायों की वसूली या उपचार को संस्थित, जारी या प्रवर्तित कर सकेगा और किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, समपहरण या दंड उद्गृहित या अधिरोपित हो सकेगा जैसे कि इन अधिनियम को इस प्रकार से संशोधित या निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा ;

(च) कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत जिनका संबंध किसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश जिन्हे नियत दिन से पूर्व या उस दिन पर या उसके पश्चात् उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन संस्थित किया गया है और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन जारी रहेंगी जैसे कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियम को संशोधित और निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा ।

(3) निरसन के प्रभाव के संदर्भ में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण उपयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव या प्रभावित करने के लिए उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट विशेष विषयों के उल्लेख को नहीं रखा जाएगा ।

अनुसूची 1

(धारा 7)

क्रियाकलापों को पूर्ति के रूप में माना जाए यदि दिना विद्यार के किया
गया

1. जहां इनपुट कर प्रत्यय का ऐसी आस्तियों पर उपभोग किया गया है, कारबार आस्तियों का स्थाई अंतरण या निपटान ।
2. जब कारबार के अनुक्रम या अग्रसर में किया गया, धारा 25 में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों या सुभिन्न व्यक्तियों के बीच में माल या सेवाओं या दोनों का पूर्ति परंतु यह कि किसी नियोजन द्वारा किसी कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार से अनधिक मूल्य का दान दिया गया, को माल या सेवा या दोनों का पूर्ति नहीं माना जाएगा ।
3. (क) किसी प्रधान द्वारा उसके अभिकर्ता को माल का पूर्ति, जहां अभिकर्ता प्रधान की ओर से ऐसे माल का पूर्ति करने का वचन देता है ।
(ख) किसी अभिकर्ता द्वारा उसके प्रधान को माल का पूर्ति, जहां अभिकर्ता प्रधान की ओर से ऐसे माल को प्राप्त करने का वचन देता है ।
4. कारबार के अग्रसर या अनुक्रम में, कराधीय व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर संबंधित व्यक्ति या उसके किसी अन्य स्थापन से सेवाओं का आयात ।

अनुसूची २

[धारा ७]

क्रियाकलापों को माल के पूर्ति या सेवाओं के पूर्ति के रूप में माना जाए

१. अंतरण-

(क) माल में हक का कोई अंतरण, माल का पूर्ति है;

(ख) माल में अधिकार या माल में अविभाजित हिस्से का उसके हक के अंतरण के बिना, कोई अंतरण, सेवाओं का पूर्ति है;

(ग) कोई करार जो अनुबंध करता है कि माल में संपत्ति जैसी सहमती हुई है कि अनुसार पूर्ण प्रतिफल के संदाय पर भविष्य की तारीख को हस्तांतरित होगा, माल का पूर्ति है।

२. भूमि और भवन-

(क) कोई पट्टा अभिधृति, सुखायार, भूमि के अधिभोग की अनुज्ञित, सेवाओं का पूर्ति है;

(ख) भवन जिसके अंतर्गत कारबार या वाणिज्य के लिए वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय प्रक्षेत्र पूर्णतः या अंशतः कोई पट्टा या किराए पर देना, सेवाओं का पूर्ति है।

३. व्यवहार या प्रक्रिया-

कोई व्यवहार या प्रक्रिया जो अन्य व्यक्ति के माल पर लागू की जाती है, सेवाओं का पूर्ति है।

(४) कारबार आस्तियों का अंतरण-

(क) जहां माल जो कारबार की संपत्ति का भाग है, को व्यक्ति जो कारबार चला रहा है के निदेशों के अधीन या द्वारा अंतरित या व्ययनित किया जा रहा है जिससे कि वह उन आस्तियों का और हिस्सा न रहे; जो विचारणीय है या नहीं, ऐसे अंतरण या व्ययन, व्यक्ति द्वारा माल का पूर्ति है;

(ख) जहां, कारबार करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा या उसके निदेश के अधीन, कारबार के प्रयोजन के लिए रखो या उपयोग किए गए माल को कारबार के प्रयोजनों से भिन्न किसी निजी उपयोग के लिए रखा गया है या उपयोग कर लिया गया है या किसी व्यक्ति को कारबार के प्रयोजन के सिवाय किसी प्रयोजन में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है, याहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न हो, ऐसे माल का उपयोग करना या उपलब्ध करवाना, सेवाओं की पूर्ति है;

(ग) जहां कोई व्यक्ति कराधीय व्यक्ति के रूप में प्रवित हो जाता है, कोई माल जो उसके द्वारा चलाए गए कारबार की आस्तियों का हिस्सा है, उसके

कराद्येय व्यक्ति के रूप में प्रविरत होने से तुरंत पूर्व उसके कारबार के अनुक्रम या अग्रसर में उसके द्वारा पूर्ति किया गया समझा जाएगा, जब तक कि:-

- (i) दूसरे व्यक्ति को यात् समुत्थान के रूप में कारबार का अंतरण नहीं कर दिया जाता है ; या
- (ii) कारबार ऐसे वैयक्तिक प्रतिनिधि द्वारा नहीं चलाया जाता है जिसे कराद्येय व्यक्ति समझा जाएगा ।

(5) सेवाओं का पूर्ति--

निम्नलिखित को सेवा का पूर्ति माना जाएगा, अर्थात्:-

- (क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ;

(ख) समापन प्रमाणपत्र के जारी होने के पश्चात् जहां पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया है, जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो या कब्जा मिलने के पश्चात्; जो भी पहले हो, के सिवाय प्रक्षेत्र का सन्निर्माण, भवन, सिविल संरचना या उसका कोई भाग, जिसके अंतर्गत क्रेता को विक्रय के लिए आशयित पूर्णतः या अंशतः प्रक्षेत्र या भवन ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजन के लिए--

1972 का 20

(1) अभिव्यक्ति "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई प्राधिकारी और ऐसे प्राधिकारी की ओर से ऐसा प्रमाणपत्र गैर अपेक्षित होने की दशा में, निम्नलिखित किन्हीं में से, अर्थात्:-

- (i) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन गठित वास्तुविद् परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई वास्तुविद् ; या

- (ii) इंजिनियरी संस्थान (भारत) के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई चार्टर्ड इंजिनियर ; या

- (iii) सम्बंधित शहर का स्थानीय निकाय या कस्बा या गांव या विकास या योजना प्राधिकारी का कोई अनुजप्त सर्वेक्षक ;

(2) अभिव्यक्ति "सन्निर्माण" जिसके अंतर्गत किसी विद्यमान सिविल संरचना में अतिरिक्त निर्माण परिवर्तन, प्रतिस्थापन या पुनः प्रतिरूपण है ;

- (ग) किसी बौद्धिक संपत्ति अधिकार के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थाई अंतरण करना ;

- (घ) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, क्रमादेशन, अनुकूलत, उन्नति, वृद्धि, क्रियान्वयन ;

- (ङ) किसी कार्य से विरत होने की बाध्यता को मंजूरी देना या किसी कार्य या किसी स्थिति को सहन करना या किसी कार्य का करना ; और

- (च) किसी प्रयोजन (किसी विनिर्दिष्ट अविधि के लिए या नहीं) नकद,

आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को उपयोग करने के अधिकार का अंतरण ।

6. संयुक्त पूर्ति--

निम्नलिखित संयुक्त प्रदायी को सेवाओं का पूर्ति माना जाएगा, अर्थात्--

(क) धारा 2 के छंड (119) में यथा परिभाषित कार्य संविदा ; और

(ख) किसी सेवा के द्वारा या हिस्से के रूप में या किसी अन्य रीति में जो भी हो, माल यथा खाद्य वस्तुएं या मानव उपभोग के लिए अन्य चीज़ों या कोई पेय (मानव उपयोग हेतु शराब द्रवण के अतिरिक्त) जहां ऐसा पूर्ति या सेवा नकद, विरत संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए होता है, का पूर्ति ।

7. माल का पूर्ति--

निम्नलिखित को माल के पूर्ति के रूप में माना जाएगा, अर्थात् :--

किसी सदस्य को किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा नकद, विरत संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का पूर्ति ।

अनुसूची ३

[थारा ७]

क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल की पूर्ति माना जाएगा न ही सेवाओं की पूर्ति

1. कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के संबंध में या उसके अनुक्रम में नियोजक को सेवाएं।
 2. तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सेवाएं।
 3. (क) संसद सदस्यों, राज्य विधानसभा के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा पालन किए गए कृत्य ;
(ख) उस हैसियत में संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारण किए हुए किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए गए कर्तव्य ; या
(ग) किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित निकाय में निदेशक द्वारा और जिसे इस खंड के प्रारंभ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में न समझा जाए।
 4. अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदाहगृह या मुर्दाघर जिसके अंतर्गत मृतक के परिवहन की सेवाएं।
 5. भूमि का विक्रय और अनुसूची-२ के पैरा ५ के खंड (ख) के अध्यधीन भवन का विक्रय।
 6. लाटरी, दांव और दयूत के अतिरिक्त अनुयोज्य दावे।
- स्पष्टीकरण—पैरा २ के प्रयोजन के लिए शब्द "न्यायालय" जिसके अंतर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी है।

आज्ञा से,
भारत भूषण पाण्डेय,
अपर सचिव।